खण्ड-109, अंक-1
सोमवार, 17 भाद्रपद, शक संवत् 1874
(8 सितम्बर, 1952 ई0)

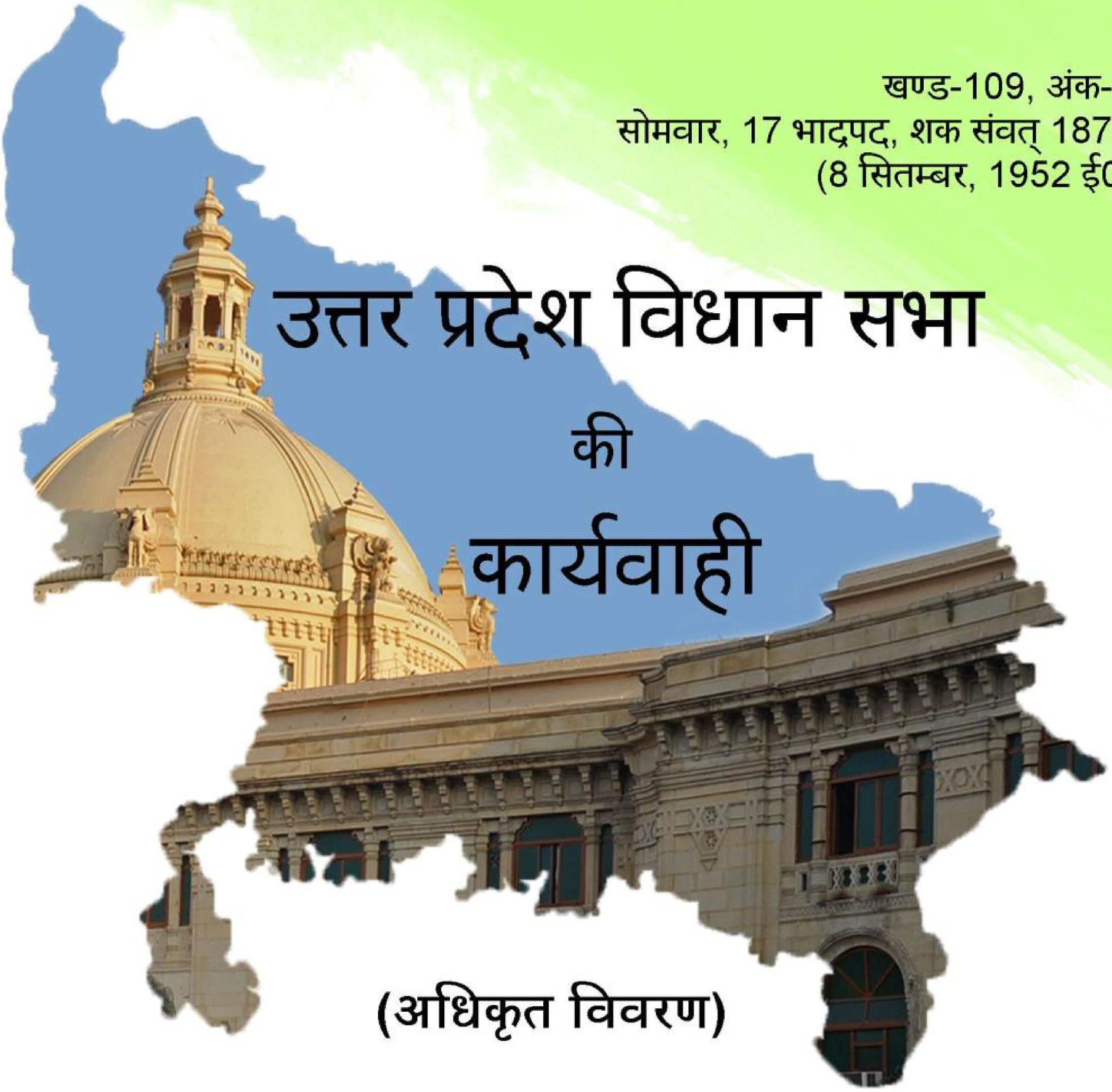

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 109 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

खंड १०९

सोमवार, ८ सितम्बर, १९५२

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१–४
प्रश्नोत्तर	५–२८
श्री राजनारायण द्वारा अपने अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के संबंध में पूछताछ	२८
गोरखपुर की खाद्य-समस्या के संबंध में श्री कुमारप्पा की रिपोर्ट तथा खाद्य-समस्या पर विचारार्थ दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (अवैध घोषित)	२८–२९
साप्ताहिक कार्य-क्रम की सूचना	२९
कार्य-सूची के क्रम में परिवर्तन	२९–३०
उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ रेंट ऐण्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५२ (विचार जारी)	३०–७७
सभा का कार्यकाल बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	७७–७८
उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ रेंट ऐण्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५२ (विचार जारी)	७८–८६
उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (संशोधन) विधेयक, १९५२ (पुरःस्थापित किया गया)	८६
नत्थियां	८७–९४
मंगलवार, ९ सितम्बर, १९५२	
उपस्थित सदस्यों की सूची	९५–९९
प्रश्नोत्तर	१००–१२०
उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५२ (प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित किया गया) ..	१२०
उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ़ रेंट ऐण्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५२ (पारित)	१२१–१३६
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२ (पारित)	१३६–१७८
नत्थियां	१७९–१९१
बुधवार, १० सितम्बर, १९५२	
उपस्थित सदस्यों की सूची	१९३–१९७
प्रश्नोत्तर	१९८–२०७
समाचार पत्र में प्रसूचित एक हत्या के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (उपस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ...	२०७

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन) पर राज्यपाल की अनुमति की घोषणा	२०७
उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	२०८
उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ (प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन स्थगित किया गया) ...	२०८
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२ (विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत)	२०८–२२८
उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ (प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया)	२२८
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२ (विचार जारी) ...	२२८–२६०
बैठक का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (वापस लिया गया)	२६०
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२ (विचार जारी) ...	२६०–२६१
जिला बोर्ड रायबरेली के गबन से सम्बद्ध हिसाब के कागजों के दीमक द्वारा खाये जाने के संबन्ध में श्री चन्द्रपाल वाजपेयी के प्रश्नों के विषय में विवाद ..	२६१–२६४
आगामी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में पूछताछ	२६४
नत्थी	२६५–२७६
बुधवार, १७ सितम्बर, १९५२	
उपस्थित सदस्यों की सूची	२७७–२८०
सदस्य का शपथ ग्रहण करना	२८०
प्रश्नोत्तर	२८१–३०४
मेडिकल कालेज, लखनऊ के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों द्वारा आन्दोलन के संबन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (उपस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	३०४
देहली तथा कानपुर की नार्दर्न रेलवे की स्थानीय परामर्शदात्री समितियों तथा संस्कृत शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के लिये सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में सूचना ...	३०५
चैरिटेबिल एंडोउमेंट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२ (पुरः स्थापित किया गया)	३०५
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२ (पारित) ..	३०५–३११
कार्य-सूची के क्रम में परिवर्तन	३११–३१२
उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ (विचार जारी) ...	३१३–३५६
नत्थियां	३५७–३६३
बृहस्पतिवार, १८ सितम्बर, १९५२	
उपस्थित सदस्यों की सूची	३६५–३६९
सदस्य का शपथ ग्रहण करना	३६९
प्रश्नोत्तर	३७०–३८८
१० जुलाई, १९५२, के तारांकित प्रश्न २४ के उत्तर में अभिदिष्ट तालिका का शोधन	३८८

विषय	पृष्ठ-संख्या
बुलन्दशहर के सत्याग्रह के संबंध में गृह-मंत्री के २७ अगस्त, १९५२, के वक्तव्य का शोधन	३८९
१० जुलाई, १९५२, के तारांकित प्रश्न २४ के उत्तर में अभिदिष्ट तलिका का शोधन	३८९
अनेक विषयों से सम्बद्ध कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (श्री झारखंडे राय ने दी--उपस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३८९
उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ (विचार जारी) ...	३८९-४३१
सदन की बैठक के कार्य-काल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	४३१-४३२
उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ (विचार जारी) ...	४३२-४३८
नत्थियां	४३९-४५२
शुक्रवार, १९ सितम्बर, १९५२	
उपस्थित सदस्यों की सूची	४५३-४५७
प्रश्नोत्तर	४५८-४८६
उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ (पारित) ..	४८६-४९६
उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (संशोधन) विधेयक, १९५२ (विचार जारी)	४९६-५२८
नत्थियां	५२९-५३८

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

विधान सभा
प्रदेश प्रदेश

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ।

मन्त्रि-परिषद्

श्री गोविन्दवल्लभ पंत, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन सहकारी और नियोजन मंत्री ।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, एम० एल० ए०, न्याय तथा मादक-कर मंत्री ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वित्त तथा विद्युत् मंत्री ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, एम० एल० ए०, गृह तथा श्रम मंत्री ।

श्री हुकुमसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, उद्योग तथा पुनर्वासन मंत्री ।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, निर्माण मंत्री ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री ।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, माल तथा कृषि मंत्री ।

श्री हरगोविन्द सिंह, एम० एल० ए०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री ।

श्री मोहनलाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), एम० एल० ए०, स्वशासन मंत्री ।

श्री कमलापति त्रिपाठी, एम० एल० ए०, सूचना तथा सिंचाई मंत्री ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, एम० एल० ए०, परिवहन मंत्री ।

उप-मन्त्री

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सहकारिता उपमंत्री ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वन उपमंत्री ।

श्री फूलसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, योजना उपमंत्री ।

श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, कृषि उपमंत्री ।

श्री मुजफ्फर हसन, एम० एल० ए०, गृह उपमंत्री ।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सिंचाई उपमंत्री ।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण उपमंत्री ।

सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, एम० एल० ए०, मुख्य मंत्री के सभा सचिव ।

श्री बलदेवसिंह आर्य, एम० एल० ए०
श्री बनारसीदास, एम० एल० ए० } अन्न मंत्री के सभा सचिव ।

श्री रऊफ जाफरी, एम० ए०, एम० एल० ए०, उद्योग मंत्री के सभा सचिव ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य, एम० एल० ए०, माल मंत्री के सभा सचिव ।

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस), पी-एच० डी०, एम० एल० ए०, शिक्षा मंत्री के सभा सचिव ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

१—अंसमान सिंह, श्री .. बस्ती (पूर्व)।
२—अक्षयवर सिंह, श्री .. गोरखपुर (दक्षिण पूर्व)।
३—अजीज इमाम, श्री . मिर्जापुर (दक्षिण)।
४—अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री .. रुड़की (दक्षिण)।
५—अनन्तस्वरूप सिंह, श्री .. फतेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)।
६—अब्दुल मुईज खां, श्री .. खलीलाबाद (मध्य)।
७—अब्दुल रऊफ खां, श्री .. फतेहपुर (पूर्व)—खागा (उत्तर)।
८—अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री .. मिर्जापुर (उत्तर)।
९—अमृतनाथ मिश्र, श्री .. उतरौला (दक्षिण)।
१०—अली जहीर, श्री सैयद .. लखनऊ नगर (मध्य)।
११—अवधशरण वर्मा, श्री .. फतेहपुर (उत्तर)।
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री .. छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)।
१३—अवधेशप्रताप सिंह, श्री .. बीकापुर (पूर्व)।
१४—अशरफ़ अली खां, श्री .. सादाबाद (पूर्व)।
१५—आत्माराम गोविन्द खेर, श्री .. झांसी (पूर्व)।
१६—आर्थर ग्राइस, श्री .. नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय।
१७—आशालता व्यास, श्रीमती .. फूलपुर (दक्षिण)।
१८—इरतजा हुसैन, श्री .. बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)।
१९—इसराउल हक़, श्री .. फिरोजाबाद-फतेहाबाद।
२०—इस्तफ़ा हुसैन, श्री .. गोरखपुर (मध्य)।
२१—उमाशंकर, श्री .. सगरी (पश्चिम)।
२२—उमाशंकर तिवारी, श्री .. चंदौली (दक्षिण-पश्चिम)—रामनगर।
२३—उमाशंकर मिश्र, श्री .. नवाबगंज (दक्षिण) हैदरगढ़—रामसनेहीघाट।
२४—उम्मेदसिंह, श्री .. उतरौला (उत्तर-पूर्व)।
२५—उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री .. ऐतमादपुर—आगरा (पूर्व)।
२६—ऐजाज रसूल, श्री .. शाहाबाद (पश्चिम)।
२७—ओंकार सिंह, श्री .. दातागंज (उत्तर)—बदायूं।
२८—कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री .. शाहाबाद (पूर्व)—हरदोई (उत्तर-पश्चिम)।
२९—कमलापति त्रिपाठी, श्री .. चकिया—चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)।
३०—कमलासिंह, श्री .. सैदपुर।
३१—कमाल अहमद रिजवी, श्री .. मोहम्मदी (पूर्व)।
३२—करणसिंह यादव, श्री .. गुन्नौर (उत्तर)।
३३—करनसिंह, श्री .. निघासन—लखीमपुर (उत्तर)।
३४—कल्याण राय, श्री .. हजूर मिलक (उत्तर)।
३५—कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री .. चंदौली (उत्तर)।
३६—कालिकासिंह, श्री .. लालगंज (दक्षिण)।
३७—कालीचरण टंडन, श्री .. कन्नौज (उत्तर)।
३८—काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री .. कादीपुर।
३९—किन्दरलाल, श्री . हरदोई (पूर्व)।
४०—किशनस्वरूप भटनागर, श्री .. खुर्जा।
४१—कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री .. सुल्तापुर (पश्चिम)।
४२—कृपाशंकर, श्री .. हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)।
४३—कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री .. सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)।
४४—कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री .. ललितपुर (दक्षिण)।

४५—कृष्णशरण आर्य, श्री .. मिलक (दक्षिण)—शाहाबाद ।
४६—केदारनाथ, श्री .. मुरादाबाद (दक्षिण) ।
४७—केवल सिंह, श्री .. सिकन्दराबाद (पूर्व) ।
४८—केशभान राय, श्री .. बांसगांव (मध्य) ।
४९—केशव गुप्त, श्री .. कैराना (उत्तर) ।
५०—केशव पाण्डेय, श्री .. गोरखपुर (उत्तर-पूर्व) ।
५१—केशवराम, श्री .. सहसवान (पूर्व) ।
५२—कैलाशप्रकाश, श्री .. मेरठ नगरपालिका ।
५३—खयालीराम, श्री .. अमरोहा (पूर्व) ।
५४—खुशीराम, श्री .. पिथौरागढ़—चम्पावत ।
५५—खूबसिंह, श्री .. धामपुर (उत्तर-पूर्व)—नगीना (पूर्व) ।
५६—गंगाधर, श्री .. चमोली (पश्चिम)—पौड़ी (उत्तर) ।
५७—गंगाधर जाटव, श्री .. फिरोजाबाद—फतेहाबाद ।
५८—गंगाधर शर्मा, श्री . मिश्रिख ।
५९—गंगाप्रसाद, श्री तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)—गोंडा (दक्षिण) ।
६०—गंगाप्रसाद सिंह, श्री .. रसरा (पश्चिम) ।
६१—गजेन्द्र सिंह, श्री .. बिधूना (पूर्व) ।
६२—गज्जूराम, श्री .. मऊ-मोठ (दक्षिण)—झांसी (पश्चिम) ललितपुर (उत्तर) ।
६३—गणेशचन्द्र काछी, श्री .. मैनपुरी (उत्तर)—भोगांव (उत्तर) ।
६४—गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री .. इलाहाबाद नगर (पूर्व) ।
६५—गणेशप्रसाद पांडेय, श्री .. बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम) ।
६६—गिरजारमण शुक्ल, श्री .. पट्टी (दक्षिण) ।
६७—गिरधारीलाल, श्री .. धामपुर (उत्तर-पूर्व)—नगीना (पूर्व) ।
६८—गुप्तारसिंह, श्री .. डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम) ।
६९—गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री .. खजुहा (पश्चिम) ।
७०—गुरुप्रसाद सिंह, श्री .. मुसाफिरखाना (दक्षिण)—अमेठी (पश्चिम) ।
७१—गुलजार, श्री .. मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर) ।
७२—गैंदासिंह, श्री .. पडरौना (पूर्व) ।
७३—गोपीनाथ दीक्षित, श्री इटावा (दक्षिण) ।
७४—गोवर्धन तिवारी, श्री .. अल्मोड़ा (दक्षिण) ।
७५—गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री .. बरेली नगरपालिका ।
७६—गौरीराम, श्री .. फरेंदा (मध्य) ।
७७—घनश्यामदास, श्री .. नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़—रामसनेही घाट ।
७८—घासीराम जाटव, श्री .. बिधूना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर)—इटावा (उत्तर) ।
७९—चतुर्भुज शर्मा, श्री .. उरई—जालौन (दक्षिण) ।
८०—चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री .. डलमऊ (पूर्व) ।
८१—चन्द्रभानु गुप्त, श्री .. लखनऊ नगर (पूर्व) ।
८२—चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री .. तराबगंज (दक्षिण-पूर्व)—गोंडा (दक्षिण) ।
८३—चन्द्रवती, श्रीमती .. बिजनौर (मध्य) ।
८४—चन्द्र सिंह रावत, श्री .. पौड़ी (दक्षिण)—चमोली (पूर्व) ।
८५—चन्द्रहास, श्री .. हरदोई (पूर्व) ।
८६—चरणसिंह, श्री .. बागपत (पश्चिम) ।
८७—चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री .. कोंच ।
८८—चिरंजीलाल जाटव, श्री .. जलेसर—एटा (उत्तर) ।

८९—चिरंजीलाल पालीवाल, श्री .. छिबरामऊ (दक्षिण)—कन्नौज (दक्षिण) ।
९०—चुन्नीलाल सगर, श्री .. बिसौली—गुन्नौर—(पूर्व) ।
९१—छेदालाल, श्री .. शाहाबाद (पूर्व)—हरदोई (उत्तर—पश्चिम) ।
९२—छेदालाल चौधरी, श्री .. लखीमपुर (दक्षिण) ।
९३—जगतनारायण, श्री .. नवाबगंज (उत्तर) ।
९४—जगदीशप्रसाद, श्री .. हसनपुर (दक्षिण)—सम्भल (पश्चिम) ।
९५—जगदीश सरन रस्तोगी, श्री .. सम्भल (पूर्व) ।
९६—जगनप्रसाद रावत, श्री .. खैरगढ़ ।
९७—जगन्नाथप्रसाद, श्री .. निघासन—लखीमपुर (उत्तर) ।
९८—जगन्नाथबख्श दास, श्री .. रामसनेही घाट ।
९९—जगन्नाथ मल्ल, श्री .. पडरौना (उत्तर) ।
१००—जगन्नाथ सिंह, श्री .. बलिया (उत्तर—पूर्व)—बांसडीह (दक्षिण—पश्चिम) ।
१०१—जगपतिसिंह, श्री .. मऊ—करवी—बबेरू (पूर्व) ।
१०२—जगमोहन सिंह नेगी, श्री .. लैन्सडाउन (पश्चिम) ।
१०३—जटाशंकर शुक्ल, श्री .. पुरवा (उत्तर)—हसनगंज ।
१०४—जयपालसिंह, श्री .. रुड़की (पश्चिम)—सहारनपुर (उत्तर) ।
१०५—जयराम वर्मा, श्री .. अकबरपुर (पश्चिम) ।
१०६—जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री .. खेन—टेहरी (उत्तर) ।
१०७—जवाहरलाल, श्री .. करछना (उत्तर)—चायल (दक्षिण) ।
१०८—जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर .. कानपुर नगर (पूर्व) ।
१०९—जुगलकिशोर, श्री .. मथुरा (दक्षिण) ।
११०—जोरावर वर्मा, श्री .. महोबा—कुलपहाड़—चरखारी ।
१११—ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री .. गोंडा (पश्चिम) ।
११२—झारखंडे राय, श्री .. घोसी (पश्चिम) ।
११३—टीकाराम, श्री .. संडीला—बिलग्राम (दक्षिण—पूर्व) ।
११४—डल्लाराम, श्री .. मिश्रिख ।
११५—डालचन्द, श्री .. माठ—सादाबाद (पश्चिम) ।
११६—ताराचन्द माहेश्वरी, श्री .. सिधौली (पश्चिम) ।
११७—तिरमल सिंह, श्री .. कासगंज (उत्तर) ।
११८—तुलसीराम, श्री .. बदायूं (दक्षिण—पश्चिम) ।
११९—तुलाराम, श्री .. औरैया—भरथना (दक्षिण) ।
१२०—तुलाराम रावत, श्री .. मलिहाबाद—बाराबंकी (उत्तर—पश्चिम) ।
१२१—तेजप्रताप सिंह, श्री .. मौरहा (दक्षिण) ।
१२२—तेजबहादुर, श्री .. लालगंज (उत्तर) ।
१२३—तेजा सिंह, श्री .. गाजियाबाद (उत्तर—पश्चिम) ।
१२४—त्रिलोकीनाथ कौल, श्री .. बहराइच (पश्चिम) ।
१२५—दयालदास भगत, श्री .. घाटमपुर—भोगनीपुर (पूर्व) ।
१२६—दर्शनराम, श्री .. मऊ—करवी—बबेरू (पूर्व) ।
१२७—दलबहादुर सिंह, श्री .. सलोन (दक्षिण) ।
१२८—दाऊदयाल खन्ना, श्री .. मुरादाबाद (उत्तर) ।
१२९—दाताराम, श्री .. नकुड़ (दक्षिण) ।
१३०—दीनदयालु शर्मा, श्री .. अनूपशहर (उत्तर) ।
१३१—दीनदयालु शास्त्री, श्री .. रुड़की (पूर्व) ।
१३२—दीपनारायण वर्मा, श्री .. जौनपुर (पश्चिम) ।
१३३—देवकीनन्दन विभव, श्री .. आगरा ।

१३४—देवदत्त मिश्र, श्री .. पुरवा (दक्षिण)।
१३५—देवदत्त शर्मा, श्री .. बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)।
१३६—देवनन्दन शुक्ल, श्री .. सलीमपुर (पश्चिम)।
१३७—देवमूर्ति राम, श्री .. बनारस (पश्चिम)।
१३८—देवराम, श्री .. सैदपुर।
१३९—देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री .. गोरखपुर (पश्चिम)।
१४०—द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री .. मुजफ्फरनगर (मध्य)।
१४१—द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री .. मड़ियाहूं (उत्तर)।
१४२—द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री .. फरेंदा (दक्षिण)।
१४३—धनुषधारी पाण्डेय, श्री .. खलीलाबाद (दक्षिण)।
१४४—धर्मसिंह, श्री .. बुलन्दशहर—(दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)।
१४५—धर्मदत्त वैद्य, श्री .. बहेड़ी (दक्षिण—पश्चिम)—बरेली (पश्चिम)।
१४६—नत्थूसिंह, श्री .. आंओं—(पूर्व)—फरीदपुर।
१४७—नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री .. हाथरस।
१४८—नरदेव शास्त्री, श्री .. पश्चिमी दून—दक्षिणी—पूर्वीय दून।
१४९—नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री .. पिथौरागढ़—चम्पावत।
१५०—नरोत्तमसिंह श्री .. दातागंज (दक्षिण)—बदायूं (दक्षिण—पूर्व)।
१५१—नवलकिशोर, श्री .. आंवला (पश्चिम)।
१५२—नागेश्वर द्विवेदी, श्री .. मछलीशहर (उत्तर)।
१५३—नाजिम अली, श्री .. मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)।
१५४—नारायणदत्त तिवारी, श्री .. नैनीताल (उत्तर)।
१५५—नारायणदास, श्री .. फैजाबाद (पूर्व)।
१५६—नारायणदीन, श्री .. पवायां—शाहजहांपुर (पूर्व)।
१५७—निरंजनसिंह, श्री .. पीलीभीत (पूर्व)—बीसलपुर (पश्चिम)।
१५८—निहालुद्दीन, श्री .. बदायूं (उत्तर)।
१५९—नेकराम शर्मा, श्री .. सिकन्दराराव (दक्षिण)।
१६०—नेत्रपालसिंह, श्री .. सिकन्दराराव (उत्तर)—कोइल (दक्षिण—पूर्व)।
१६१—नौरंगलाल, श्री .. नवाबगंज।
१६२—पद्मनाथसिंह, श्री .. मुहम्मदाबाद गोहना (दक्षिण)।
१६३—परमानन्द सिन्हा, श्री .. सोरांव (दक्षिण)।
१६४—परमेश्वरीराम, श्री .. केराकत—जौनपुर (दक्षिण)।
१६५—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री .. महाराजगंज (उत्तर)।
१६६—पहलवानसिंह चौधरी, श्री .. बांदा।
१६७—पातीराम, श्री .. छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)।
१६८—पुत्तूलाल, श्री .. ऐतमादपुर—आगरा (पूर्व)।
१६९—पुद्दनराम, श्री .. बांसी (उत्तर)।
१७०—पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री .. लखनऊ नगर (पश्चिम)।
१७१—प्रकाशवती सूद, श्रीमती .. हापुड़ (उत्तर)।
१७२—प्रतिपालसिंह, श्री .. शाहजहांपुर (पश्चिम)—जलालाबाद (पूर्व)।
१७३—प्रभाकर शुक्ल, श्री .. हरैया (उत्तर—पश्चिम)।
१७४—प्रभुदयाल, श्री .. बस्ती (पश्चिम)।
१७५—प्रेमकिशन खन्ना, श्री .. पवायां—शाहजहाँपुर (पूर्व)।
१७६—फजलुलाइक, श्री .. रामपुर नगर।
१७७—फतेहसिंह, श्री .. जलेसर-एटा (उत्तर)।
१७८—फतेहसिंह राणा, श्री .. सरधना (पश्चिम)।
१७९—फूलसिंह, श्री .. देवबन्द।

१८०—बद्रीनारायण मिश्र, श्री .. सलीमपुर (दक्षिण)।
१८१—बनारसी दास, श्री .. बुलन्दशहर (मध्य)।
१८२—बलदेव सिंह, श्री .. बनारस (मध्य)।
१८३—बलदेवसिंह आर्य, श्री .. पौड़ी (दक्षिण)—चमोली (पूर्व)।
१८४—बलवीरसिंह, श्री .. ग़ाजियाबाद (दक्षिण)।
१८५—बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री .. उतरौला (उत्तर)।
१८६—बलवन्तसिंह, श्री .. मुजफ्फरनगर (पूर्व)—जानसठ (उत्तर)।
१८७—बशीर अहमद हक़ीम, श्री .. सीतापुर (पूर्व)।
१८८—बसन्तलाल, श्री .. कालपी—जालौन (उत्तर)।
१८९—बसन्तलाल शर्मा, श्री .. नानपारा (उत्तर)।
१९०—बाबूनन्दन, श्री .. शाहगंज (पूर्व)।
१९१—बाबूराम, गुप्त, श्री .. कासगंज (पश्चिम)।
१९२—बाबूलाल कुसुमेश, श्री .. रामसनेहीघाट।
१९३—बाबूलाल मीतल, श्री .. आगरा नगर (उत्तर)।
१९४—बालेन्दुशाह, महाराजकुमार .. टेहरी (दक्षिण)—प्रतापनगर।
१९५—बिशम्भर सिंह, श्री .. सरधना (पूर्व)।
१९६—बेचनराम, श्री .. ज्ञानपुर (उत्तर—पश्चिम)।
१९७—बचनराम गुप्त, श्री .. ज्ञानपुर (पूर्व)।
१९८—बेनीसिंह, श्री .. कानपुर तहसील।
१९९—बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री .. बांसडीह (मध्य)।
२००—बैजूराम, श्री .. सिधौली (पश्चिम)।
२०१—ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री .. कानपुर नगर (दक्षिण)।
२०२—भगवतीदीन तिवारी, श्री .. जौनपुर (उत्तर)—शाहगंज (पश्चिम)।
२०३—भगवतीप्रसाद दुबे, श्री .. बांसगांव (पूर्व)—गोरखपुर (दक्षिण)।
२०४—भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री .. प्रतापगढ़ (पूर्व)।
२०५—भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री .. फतेहपुर (दक्षिण)।
२०६—भगवानदीन मिश्र, श्री .. कैसरगंज (उत्तर)।
२०७—भगवानदीन वाल्मीकि, श्री .. फतेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)।
२०८—भगवान सहाय, श्री .. तिलहर (दक्षिण)।
२०९—भीमसेन, श्री .. खुर्जा।
२१०—भुवरजी, श्री .. फूलपुर (पूर्व)—हंडिया (उत्तर—पश्चिम)।
२११—भूपाल सिंह खाती, श्री .. अल्मोड़ा (उत्तर)।
२१२—भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री . बांसगांव (दक्षिण—पूर्व)।
२१३—भोला सिंह यादव, श्री . ग़ाजीपुर (दक्षिण—पश्चिम)।
२१४—मकसूद आलम खां, श्री .. पीलीभीत (पश्चिम)।
२१५—मंगलाप्रसाद, श्री .. मेजा—करछना (दक्षिण)।
२१६—मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री .. फर्रुखाबाद (पश्चिम)—छिबरामऊ।
२१७—मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री .. बांसी (उत्तर)।
२१८—मदनगोपाल वैद्य, श्री .. फैजाबाद (पूर्व)।
२१९—मदनमोहन उपाध्याय, श्री .. रानीखेत (उत्तर)।
२२०—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री .. महोबा—कुल पहाड़—चरखारी।
२२१—मलखान सिंह, श्री .. कोइल (मध्य)।
२२२—महमूद अली खां, श्री .. सुमेर—टांडा—बिलासपुर।
२२३—महमूद अली खां, श्री .. सहारनपुर (उत्तर—पश्चिम)—नकुड़ (उत्तर)।
२२४—महाजन, श्री सी० बी० .. आगरा नगर (पश्चिम)।
२२५—महादेव प्रसाद, श्री .. गोरखपुर (उत्तर—पूर्व)

२२६—महाराज सिंह, श्री .. शिकोहाबाद (पश्चिम)।
२२७—महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री .. हंडिया (दक्षिण)।
२२८—महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री .. मोहनलालगंज।
२२९—महीलाल, श्री .. बिलारी।
२३०—मान्धाता सिंह, श्री .. रसरा (पूर्व)—बलिया (दक्षिण—पश्चिम)।
२३१—मिजाजीलाल, श्री .. करहल (पूर्व)—भोगांव (दक्षिण)।
२३२—मिहरबान सिंह, श्री .. बिधूना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर)—इटावा (उत्तर)।
२३३—मुज़फ़्फ़र हसन, श्री चायल (उत्तर)।
२३४—मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री .. पूरनपुर—बीसलपुर (पूर्व)।
२३५—मुन्नूलाल, श्री .. बिसवां—सिधौली (पूर्व)।
२३६—मुरलीधर कुरील, श्री .. बिल्हौर—अकबरपुर।
२३७—मुश्ताक अली खाँ, श्री .. सहसवान (पश्चिम)।
२३८—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री .. डुमरियागंज (दक्षिण)।
२३९—मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री .. बिजनौर (उत्तर)—नजीबाबाद (पश्चिम)।
२४०—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री .. बनारस नगर (उत्तर)।
२४१—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़ .. नगीना (दक्षिण-पश्चिम)—रामपुर (उत्तर-पूर्व)
२४२—मुहम्मद तक़ी हादी, श्री .. अमरोहा (पश्चिम)।
२४३—मुहम्मद नबी, श्री .. बुढ़ाना (पूर्व)—जानसठ (दक्षिण)।
२४४—मुहम्मद नसीर, श्री .. टांडा।
२४५—मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री .. देवरिया (उत्तर—पूर्व)।
२४६—मुहम्मद मन्ज़ूरुल नबी, श्री .. सहारनपुर नगर।
२४७—मुहम्मद रऊफ़ जाफरी, श्री .. मछलीशहर (दक्षिण)।
२४८—मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री .. उतरौला (मध्य)।
२४९—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा .. नानपारा (दक्षिण)।
२५०—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री .. डुमरियागंज (उत्तर—पूर्व)—बांसी (पश्चिम)।
२५१—मोहनलाल, श्री .. सफीपुर—उन्नांव (उत्तर)।
२५२—मोहनलाल गौतम, श्री .. खैर—कोइल (उत्तर—पश्चिम)।
२५३—मोहन सिंह, श्री .. बुलन्दशहर (उत्तर—पूर्व)।
२५४—मोहन सिंह शाक्य, श्री .. अलीगंज (दक्षिण)।
२५५—यमुनाप्रसाद, श्री .. बहराइच (पश्चिम)।
२५६—यमुना सिंह, श्री .. गाजीपुर (मध्य)—मुहम्मदाबाद (उत्तर—पश्चिम)
२५७—यशोदादेवी, श्रीमती .. बासगांव (दक्षिण—पश्चिम)।
२५८—रघुनाथ प्रसाद, श्री .. मेजा—करछना (दक्षिण)।
२५९—रघुराज सिंह, श्री .. तरबगंज (पश्चिम)।
२६०—रघुवीर सिंह, श्री .. बागपत (दक्षिण)।
२६१—रणञ्जय सिंह, श्री .. अमेठी (मध्य)।
२६२—रतनलाल जैन, श्री .. नजीबाबाद (उत्तर)—नगीना (उत्तर)।
२६३—रमानाथ खैरा, श्री .. महरौनी।
२६४—रमेशचन्द्र शर्मा, श्री ... मरियाहूं (दक्षिण)।
२६५—रमेश वर्मा, श्री .. किराउली।
२६६—राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा .. उतरौला (दक्षिण—पश्चिम)।
२६७—राजकिशोर राव, श्री .. बहराइच (पूर्व)।
२६८—राजकुमार शर्मा, श्री .. चुनार (उत्तर)।
२६९—राजदेव उपाध्याय, श्री .. हाटा (उत्तर)।
२७०—राजनारायण, श्री .. बनारस (दक्षिण)।

२७१—राजनारायण सिंह, श्री .. चुनार (दक्षिण)।
२७२—राजवंशी, श्री .. पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)-देवरिया। (दक्षिण-पूर्व)।
२७३—राजाराम, श्री .. अतरौली (दक्षिण)-कोइल (पूर्व)।
२७४—राजाराम किसान, श्री .. प्रतापगढ़ (पश्चिम)—कुन्डा (उत्तर)।
२७५—राजाराम मिश्र, श्री .. फैजाबाद (पश्चिम)।
२७६—राजाराम शर्मा, श्री .. खलीलाबाद (उत्तर)।
२७७—राजेन्द्रदत्त, श्री .. मुजफ्फरनगर (पश्चिम)।
२७८—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री .. बिलग्राम (पूर्व)।
२७९—राधामोहन सिंह, श्री .. बलिया (पूर्व)।
२८०—रामअधार तिवारी, श्री .. प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२८१—रामअधीन सिंह यादव, श्री .. पुरवा (मध्य)।
२८२—रामअनन्त पाण्डेय, श्री .. बलिया (मध्य)।
२८३—रामअवधसिंह श्री .. फ़रेंदा (उत्तर)।
२८४—रामकिंकर, श्री .. प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चिम)।
२८५—रामकुमार शास्त्री, श्री .. बांसी (दक्षिण)।
२८६—रामकृष्ण जैसवार, श्री .. मिर्जापुर (दक्षिण)।
२८७—रामगुलामसिंह, श्री .. जलालाबाद (पश्चिम)।
२८८—रामचन्द्र विकल, श्री .. सिकन्दराबाद (पश्चिम)।
२८९—रामचरण लाल गंगवार, श्री .. बरेली (पश्चिम)।
२९०—रामजीलाल सहायक, श्री .. मवाना।
२९१—रामजी सहाय, श्री .. देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण-पश्चिम)।
२९२—रामदास आर्य, श्री .. बुढ़ाना (पूर्व)-जानसठ (दक्षिण)।
२९३—रामदास रविदास, श्री .. अकबरपुर (पश्चिम)।
२९४—रामदुलारे मिश्र, श्री .. अकबरपुर (दक्षिण)।
२९५—रामनरेश शुक्ल, श्री .. कुन्डा (दक्षिण)।
२९६—रामनाथ तिवारी, श्री .. देवरिया (दक्षिण)।
२९७—रामनारायण त्रिपाठी, श्री .. अकबरपुर (पूर्व)।
२९८—रामप्रसाद, श्री .. रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)।
२९९—रामप्रसाद देशमुख, श्री .. खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)।
३००—रामप्रसाद नौटियाल, श्री .. लैन्सडाउन (पूर्व)।
३०१—रामप्रसाद सिंह, श्री .. महाराजगंज (दक्षिण)।
३०२—रामबली मिश्र, श्री .. सुल्तानपुर (पूर्व)-अमेठी (पूर्व)।
३०३—रामभजन, श्री .. मोहम्मदी (पश्चिम)।
३०४—राम मूर्ति, श्री .. बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)।
३०५—रामरतनप्रसाद, श्री .. रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)।
३०६—रामराज शुक्ल, श्री .. पट्टी (पूर्व)।
३०७—रामलखन, श्री .. चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)।
३०८—रामलखन मिश्र, श्री .. डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम)।
३०९—रामलाल, श्री .. बस्ती (पश्चिम)।
३१०—रामवचन यादव, श्री .. फूलपुर (दक्षिण)।
३११—रामशंकर द्विवेदी, श्री .. रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)।
३१२—रामशंकर रविवासी, श्री .. लखनऊ (मध्य)।
३१३—रामसनेही भारतीय, श्री .. बबेरी (पश्चिम)।

३१४—रामसहाय शर्मा, श्री .. गरोखा-मोठ (उत्तर)।
३१५—रामसुन्दर पाण्डेय, श्री .. घोसी (पूर्व)।
३१६—रामसुन्दर राम, श्री .. खलीलाबाद (दक्षिण)।
३१७—रामसुभग वर्मा, श्री .. पडरौना (पश्चिम)।
३१८—रामसुमेर, श्री .. टांडा।
३१९—रामस्वरूप, श्री .. दुबी-रावर्ट्सगंज।
३२०—रामस्वरूप गुप्त, श्री .. भोगनीपुर (पश्चिम)-डेरापुर (दक्षिण)।
३२१—रामस्वरूप भारतीय, श्री ... कुण्डा (दक्षिण)।
३२२—रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री .. महाराजगंज (पश्चिम)।
३२३—रामहरख यादव, श्री .. बीकापुर (पश्चिम)।
३२४—रामहेतसिंह, श्री .. छता।
३२५—रामेश्वरप्रसाद, श्री .. महाराजगंज (पश्चिम)।
३२६—लक्ष्मीदत्त भट्ट, श्री ... नैनीताल (दक्षिण)।
३२७—लक्ष्मणराव क़दम, श्री ... मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)।
३२८—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती ... संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)।
३२९—लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री ... माठ-सादाबाद (पश्चिम)।
३३०—लक्ष्मीशंकर यादव, श्री .. शाहगंज (पूर्व)।
३३१—लताफ़त हुसैन, श्री .. हसनपुर (उत्तर)।
३३२—लालबहादुर सिंह, श्री .. केराकत-जौनपुर (दक्षिण)।
३३३—लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री .. बनारस (उत्तर)।
३३४—लीलाधर अष्ठाना, श्री .. उन्नाव (दक्षिण)।
३३५—लुत्फ़ अली खां, श्री .. हापुड़ (दक्षिण)।
३३६—लेखराज सिंह, श्री .. सम्भल (पूर्व)।
३३७—वंशनारायण सिंह, श्री .. ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)।
३३८—वंशीदास धनगर, श्री .. करहल (पश्चिम)-शिकोहाबाद (पूर्व)।
३३९—वंशीधर मिश्र, श्री .. लखीमपुर (दक्षिण)।
३४०—वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री .. गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)।
३४१—वसी नक़वी, श्री .. महाराजगंज (पूर्व)-सलोन (उत्तर)।
३४२—वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री .. कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)।
३४३—विचित्र नारायण शर्मा, श्री .. गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४४—विजयशंकर प्रसाद, श्री .. मुहम्मदाबाद (दक्षिण)।
३४५—विद्यावती राठौर, श्रीमती .. एटा (पूर्व)-अलीगढ़ (पश्चिम)-कासगंज (दक्षिण)।
३४६—विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री .. गाजीपुर (पश्चिम)।
३४७—विश्वम्भर नाथ पाण्डेय, श्री .. इलाहाबाद नगर (मध्य)।
३४८—विष्णुदयाल वर्मा, श्री . जसराना।
३४९—विष्णुशरण दुबिलश, श्री ... मवाना।
३५०—वीरसेन, श्री .. हापुड़ (दक्षिण)।
३५१—वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री .. बिलग्राम (पश्चिम)।
३५२—वीरेन्द्रपति यादव, श्री .. मैनपुरी (दक्षिण)।
३५३—वीरेन्द्र वर्मा, श्री .. कैराना (दक्षिण)।
३५४—वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री .. नानपारा (पूर्व)।
३५५—वीरेन्द्र शाह, राजा .. कालपी-जालौन (उत्तर)।
३५६—व्रजभूषण मिश्र, श्री .. दूबी-रावर्ट्सगंज।
३५७—व्रजरानी मिश्र, श्रीमती .. बिल्हौर-अकबरपुर।

३५८—व्रजवासी लाल, श्री .. बीकापुर (मध्य)।
३५९—व्रजविहारी मिश्र, श्री .. फूलपुर (उत्तर)।
३६०—व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री .. घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)।
३६१—शंकरलाल, श्री .. काद्दीपुर (मध्य)।
३६२—शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री .. बाह।
३६३—शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री .. चकराता-पश्चिमी दून (उत्तर)।
३६४—शिवकुमार पाण्डेय, श्री .. सिराथू-मंझनपुर।
३६५—शिवकुमार मिश्र, श्री .. तिलहर (उत्तर)।
३६६—शिवकुमार शर्मा, श्री .. बिजनौर (दक्षिण)-धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)।
३६७—शिवदानसिंह, श्री .. इगलास।
३६८—शिवनायकाजू, श्री .. फूलपुर (मध्य)।
३६९—शिवनारायण, श्री .. हरैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)।
३७०—शिवपूजन राय, श्री .. मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)।
३७१—शिवप्रसाद, श्री .. हाटा (मध्य)।
३७२—शिवमंगल सिंह, श्री .. बांसडीह (पश्चिम)।
३७३—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री .. डुमरियागंज (पश्चिम)।
३७४—शिवराजबली सिंह, श्री .. खजुहा (पूर्व)-फतेहपुर (दक्षिण-पश्चिम)।
३७५—शिवराज सिंह यादव, श्री .. बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)।
३७६—शिवराम पान्डेय, श्री .. डोरपु (उत्तर)।
३७७—शिवराम राय, श्री .. सदर (आजमगढ़) उत्तर।
३७८—शिववक्ष सिंह राठौर, श्री .. करहल (पूर्व)-भोगांव (दक्षिण)।
३७९—शिववचन राव, श्री .. सलीमपुर (उत्तर)।
३८०—शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री .. बहराइच (पूर्व)।
३८१—शिवस्वरूप सिंह, श्री .. ठाकुरद्वारा।
३८२—शुकदेव प्रसाद, श्री .. महाराजगंज (दक्षिण)।
३८३—शुगनचन्द, श्री .. रुड़की (पश्चिम)-सहारनपुर (उत्तर)।
३८४—श्याममनोहर मिश्र, श्री .. मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)।
३८५—श्यामलाल, श्री .. उतरौला (उत्तर)।
३८६—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री .. नरैनी।
३८७—श्रीचन्द, श्री .. बुढ़ाना (पश्चिम)।
३८८—श्रीनाथ भार्गव, श्री .. मथुरा (उत्तर)।
३८९—श्रीनाथ राम, श्री .. मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण)।
३९०—श्रीनिवास, श्री .. उतरौली (उत्तर)।
३९१—श्रीपति सहाय, श्री .. राठ।
३९२—सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती .. कासगंज (पूर्व)-अलीगंज (उत्तर)।
३९३—संग्राम सिंह, श्री .. सोरों (उत्तर)-फूलपुर (पश्चिम)।
३९४—सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री .. सलीमपुर (पूर्व)।
३९५—सज्जन देवी महनोत, श्रीमती .. गोंडा (पूर्व)।
३९६—सत्यनारायण दत्त, श्री .. औरय्या-भरथना (दक्षिण)।
३९७—सत्य सिंह राणा, श्री .. देवप्रयाग।
३९८—सत्यानन्द, श्री .. सगरी (पूर्व)।
३९९—सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती .. बरेली (पूर्व)।
४००—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर .. बनारस नगर (दक्षिण)।
४०१—सावित्रीदेवी, श्रीमती .. मुसाफिर खाना (मध्य)।
४०२—सियाराम गंगवार, श्री .. फर्रुखाबाद (मध्य)-कायमगंज (पूर्व)।
४०३—सियाराम चौधरी, श्री .. कैसरगंज (मध्य)।

४०४--सीताराम, डाक्टर .. देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)--हाटा (दक्षिण-पश्चिम) ।

४०५--सीताराम शुक्ल, श्री .. हरैया (दक्षिण-पश्चिम) ।

४०६--सुखीराम भारतीय, श्री .. सिराथू-मंझनपुर।

४०७--सुन्दरलाल, श्री .. आंवला (पूर्व)-फरीदपुर ।

४०८--सुरुजू राम, श्री .. सदर (आजमगढ़) (उत्तर) ।

४०९--सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री .. हमीरपुर-मौदहा (उत्तर) ।

४१०--सुरेशप्रकाश सिंह, श्री .. बिसवाँ-सिधौली (पूर्व) ।

४११--सुल्तान आलम खां, श्री .. क़ायमगंज (पश्चिम) ।

४१२--सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री .. कानपुर नगर (उत्तर) ।

४१३--सूर्य्यबली पांडेय, श्री .. हाटा (मध्य) ।

४१४--सेवाराम, श्री .. पुरवा (उत्तर)-हसनगंज ।

४१५--हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री .. सफीपुर-उन्नाव (उत्तर) ।

४१६--हबीबुर्रहमान आजमी, श्री .. मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण) ।

४१७--हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री .. शाहजहांपुर (मध्य) ।

४१८--हमीद खां, श्री .. कानपुर नगर (मध्य पूर्व) ।

४१९--हरखलाल सिंह, श्री .. बागपत (पूर्व) ।

४२०--हरगोविंद पन्त, श्री .. रानीखेत (दक्षिण) ।

४२१--हरगोविंद सिंह, श्री .. जौनपुर (पूर्व) ।

४२२--हरदयाल सिंह, पिपल, श्री .. हाथरस ।

४२३--हरदेवसिंह, श्री .. देवबन्द ।

४२४--हरसहाय गुप्त, श्री .. बिलारी ।

४२५--हरिप्रसाद, श्री .. बीसलपुर (मध्य) ।

४२६--हरिश्चन्द्र अग्रवाल, श्री .. सीतापुर (उत्तर-पश्चिम) ।

४२७--हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री .. लखनऊ (मध्य) ।

४२८--हरिसिंह, श्री .. हापुड़ (उत्तर) ।

४२९--हुकुमसिंह, श्री .. कैसरगंज (दक्षिण) ।

४३०--हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री .. करछना (उत्तर)-चायल (दक्षिण) ।

४३१--होतीलाल दास, श्री .. एटा (दक्षिण) ।

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

हरगोविन्द पन्त, एम० एल० ए० ।

सचिव

श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए० ।

सहायक सचिव

श्री कृष्णबहादुर सक्सेना, बी० ए० ।

अधीक्षक

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी० ।

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

देवकी नन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

RA-757

70932

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

757

सोमवार, ८ सितम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४८)

अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख़्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
ख़ुशीराम, श्री
ख़ूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री

विधान सभा

छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख़्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर , श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन ,श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री

अवलोकन प्रदर्शन सभा

उपस्थित सदस्यों की सूची

विधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश
१९५४

बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मञ्जूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा अमेठी
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री

रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव क़ासम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर [illegible], श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल मिश्र, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्य बली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मऊ स्टीम स्टेशन का निर्माण

*१—श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—क्या सरकार मऊ स्टीम स्टेशन के निर्माण को प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—यह पावर स्टेशन five year plan (पंचवर्षीय योजना) में शामिल है ।

*२—श्री शिवमंगल सिंह कपूर—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मऊ स्टीम स्टेशन के निर्माण का काम कब से प्रारम्भ होने वाला है और यह स्टेशन कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—इस बात की कोशिश की जा रही है कि इस स्टेशन के बनाने का काम जितनी जल्दी भी मुमकिन हो सके शुरू कर दिया जाय और नियत समय के अन्दर खत्म कर दिया जाय।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर—क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मऊ पावर स्टेशन के निर्माण-कार्य को पूरा करने के लिये सरकार ने कौन सा समय नियत कर रखा है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—यह तो पहले सवाल के जवाब में जो कहा गया कि फ़ाइव ईयर प्लान में शामिल है, इस ५ साल के अन्दर मेरे ख्याल में करीब ३ वर्ष उसके बनने में लग जायंगे।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस पावर हाउस के निर्माण के लिये जिन सामग्रियों की आवश्यकता है वह सभी सामग्रियां सरकार को उपलब्ध हैं ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—वह मैटिरियल तो मौजूद हुआ ही नहीं करता, वह तो विलायत से आया करता है । वहां जब आर्डर देते हैं तो वहां से टेंडर मंगाये जाते हैं। वह आरहा है जब वह आयेंगे तो उनका सिलेक्शन होगा कि किस कम्पनी को वहां की, काम करने को दिया जाय। तब वहां से यह मशीनरी बनकर आयेगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सत्य है कि अब तक मऊ स्टीम स्टेशन के लिये जगह नहीं मिल सकी है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मुझे तो यह सही नहीं मालूम होता।

तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—[२५ सितम्बर, १९५२, के लिये संख्या १-३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४-६—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—(अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २३ पर]

बस्ती जिले में कृषि विकास योजना के अन्तगर्त खरीदे गये बैल तथा गाड़ियां

*७—श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कृषि विकास योजना के साथ गत वर्ष में कितने बैल तथा कितनी बैलगाड़ियां सरकार द्वारा खरीदी गयी थीं और बैलों की खरीद अलग-अलग कितने रुपयों में की गयी थी ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—गत वर्ष में कोई बैल तथा गाड़ियां नहीं खरीदी गईं।

*८—श्री धनुषधारी पाण्डेय—क्या वे बैल बेच दिये गये ? यदि हां, तो कितने रुपयों में और क्या बिक्री का जो धन आया वह कई माह बाद ट्रेजरी में जमा किया गया ?

श्री जगन प्रसाद रावत—प्रश्न ही नहीं उठता।

*९—श्री धनुषधारी पाण्डेय—क्या बैलगाड़ियां बेकार पड़ी हैं और बरबाद हो रही हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री धनुषधारी पाण्डेय—क्या माननीय कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में बैल और बैलगाड़ियां कितनी खरीदी गयी थीं और उनकी क्या हालत है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मैंने कहा कि पिछले ३ वर्षों में बैल गाड़ियां नहीं खरीदी गयीं। उनके पहले के दो वर्षों के लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

आजमगढ़ जिले में धान की फ़सल और सिंचाई

*१०—श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर, लालगंज तथा मुहमदाबाद तहसीलों में धान अधिकतर पैदा होता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां।

*११—श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या कृषि मंत्री को मालूम है कि गत दो वर्षों से उन तहसीलों में अनावृष्टि के कारण धान की फ़सल बिलकुल नहीं हुई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—पिछले दो वर्षों में अनावृष्टि या बाढ़ के कारण इन तहसीलों में फ़सलों को काफी हानि हुई है।

*१२—श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि धान की उन्नति के लिये उक्त क्षेत्र में सिंचाई की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि है, तो वह कब तक कार्यान्वित की जावेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इन क्षेत्रों में सिंचाई की कई योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। जैसे छोटी नदियों को गहरा करके या उन पर बांध बना के या रेगुलेटर बना के उन्हें सिंचाई के कार्य में लाना, पक्के कुयें बनाने के लिये राज सहायता, तकावी व सीमेंट आदि की व्यवस्था करना और सरकारी ट्यूब वेल निर्माण करना। आजमगढ़ जिले में सन् १९५२,-५३ में ५० ट्यूब वेल बनाने की योजना के अतिरिक्त १५ वर्षीय योजना के अन्तर्गत ३५८ ट्यूब-वेल बनाने का भी आयोजन है। इन योजनाओं के पूरे होने पर जिन तहसीलों का मान, नीय सदस्य ने उल्लेख किया है उन्हें काभी लाभ पहुंचने की आशा है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि तहसील फूलपुर में भी किसी नदी को गहरा करने या रेगुलेटर लगा कर सिंचाई का प्रबंध करने की कोई योजना बनायी गयी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—अभी तो इस संबंध में कोई योजना नहीं है लेकिन यदि माननीय सदस्य कुछ सूचना देंगे तो उसके ऊपर गवर्नमेंट सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन तहसीलों में गत वर्ष कोयला न मिलने के कारण कुओं का भी निर्माण नहीं हो सका था ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—आजमगढ़ जिले में ही नहीं बल्कि पूर्व के और दूसरे जिलों में भी सीमेंट की कमी के कारण जितने कुयें बनाने चाहिये थे उतने बन नहीं सके। अब की बार कोयला, सीमेंट और लोहे का मूवमेंट कराने के लिये एक विशेषज्ञ अफ़सर नियुक्त किया गया है और इस वक्त कोई शिकायत नहीं है।

गोरखपुर और देवरिया जिले में बाढ़

*१३—श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर देवरिया जिले में बाढ़ के कारण कितनी भूमि और गांव की फसलें नष्ट हो जाया करती हैं ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—बाढ़ के कारण गोरखपुर और देवरिया जिलों में लगभग २ लाख एकड़ भूमि को क्षति पहुंचती है और लगभग १ हजार गांवों की फसलें नष्ट हो जाया करती हैं।

श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)—गोरखपुर तथा देवरिया की पृथक्-पृथक् उपजाऊ जमींन कितनी है ?

श्री चरण सिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस साल बाढ़ से कितने एकड़ खेत गोरखपुर में डूबे हैं ?

श्री चरण सिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

*१४—श्री केशव पाण्डेय—क्या सरकार इस बाढ़ क्षेत्र ग्रस्त क्षेत्र को सदा के लिये राहत देने का कोई उपाय निकाल सकी है ? यदि हां, तो वह उपाय क्या है और वह कब से कार्यान्वित होगा ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उत्तर प्रदेश में आने वाली बाढ़ों को रोकने तथा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को सदा के लिये राहत देने का प्रश्न उत्तर प्रदेश बाढ़ समिति की टेकनिकल उपसमिति के विचाराधीन है। उप समिति की रिपोर्ट आने पर यह मालूम हो सकेगा कि गोरखपुर व देवरिया जिलों में बाढ़ की रोकथाम का प्रबंध किस तरह किया जा सकता है।

श्री केशव पाण्डेय—उत्तर प्रदेश बाढ़ समिति की टेकनिकल समिति को बाढ़ से बचाने का काम कब सौंपा गया और उसमें कब तक क्या प्रगति हुई तथा अन्तिम रिपोर्ट कब तक आ जाने की आशा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—एक फ्लड रेलीफ सब-कमेटी बना दी गयी थी। यह २५ सितम्बर, सन् १९४८ के कम्युनिके के मुताबिक बनायी गयी थी। बाकी सब-कमेटियों की रिपोर्ट आ चुकी है केवल फ्लड रेलीफ कमेटी की रिपोर्ट अभी नहीं आयी है। आशा है कि जल्द ही आजायेगी।

राप्ती नदी के किनारे के बांध

*१५—श्री केशव पाण्डेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राप्ती नदी के किनारे कहां-कहां बांध बांधे गये हैं और इस वर्ष उन बांधों के मरम्मत की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—राप्ती नदी के किनारे निम्नलिखित बांध बांधे गये हैं जिनकी सालाना मरम्मत व देखभाल सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी०डब्लू०डी०) करता है।

राप्ती के पूर्वी किनारे पर होवार्ट बंध और मलौनी बंध है। इलाहाबाद-गोरखपुर सड़क पर राप्ती के किनारे टक्कर बंध और इलाहाबाद-गोरखपुर व लखनऊ-गोरखपुर सड़क के किनारे पर भी एक बांध है। राप्ती के किनारे सहजनुवां के पास बक्टूटा बंध है। इनके अलावा राप्ती के किनारे गोरखपुर-आजमगढ़ सड़क भी बांध का काम करती है। देवरिया जिले में राप्ती नदी के बाय किनारे तहसील देवरिया में तिखरा खैरवा से सचौली पटवनियां तक एक बांध लगभग १६ मील लंबा है जो सन् ४८ में बांधा था।

श्री केशव पाण्डेय—गोरखपुर देवरिया की सीमाओं पर राप्ती नदी के दोनों किनारों पर लगभग ११ मील का बांध बना है, लेकिन क्या यह सत्य है कि इस वर्ष उस बांध की मांग करने पर भी मरम्मत नहीं करायी गयी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—बांध की हालत जरूर खराब है।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर जिले के सिचौल बटवनियां बांध की मरम्मत न करने के कारण इस वर्ष प्रायः १०० गांव जलमग्न हो गये हैं ?

श्री चरण सिंह—ऐसी कोई सूचना सरकार को निश्चित तौर पर इस वक्त नहीं है। लेकिन उसकी तहकीकात कराई जायगी और यह भी कि अगर मांग की गयी थी तो फिर उसकी मरम्मत पी० डब्लू० डी० की तरफ से क्यों नहीं की गयी। अगर माननीय सदस्य मुझसे इसके बाद मिलने की कृपा करें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी।

*१६-१७—श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—]सहकारी मंत्री से संबंधित इन प्रश्नों के उत्तर (४ सितम्बर, १९५२) को सं० ४२-४३ के अन्तर्गत दिये गये।]

मिर्जापुर जिले में किसानों को दिया गया धान का बीज

*१८—श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को मालूम है कि मिर्जापुर जिले में किसानों को धान का बीज जो कि तकावी में दिये गये रुपये से खरीदना था वह उस समय के स्थानीय बाजार दर से बहुत मंहगा था और घटिया था ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मिर्जापुर जिले में धान अप्राप्य होने के कारण आर० एफ० सी० ने अन्य क्षेत्रों से वहां धान भेजा था। मिर्जापुर पहुंचने पर इस बीज का भाव वही था जो उस समय बाजार भाव था पर जिले में यातायात के साधन कठिन होने के कारण विक्रय मूल्य बढ़ गया। सरकार ने तकावी के रूपये से बीज खरीदने का कोई आदेश नहीं दिया था। तकावी पाने वाले खुले बाजार से भी बीज खरीद सकते थे। सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आई कि यह बीज खराब था।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय कृषि मंत्री बताने की कृष्ट करेंगे कि जो बीज आया वह किस भाव मिर्जापुर में पहुंचा, उसका यातायात का खर्च क्या था और किस भाव वह बिका ?

श्री चरण सिंह---इतनी तफसील के लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री व्रजभूषण मिश्र---सरकार ने यह कहा कि वह बीज खराब नहीं था, इसके लिये किसी विशेषज्ञ द्वारा क्या सरकार ने जांच कराई थी ?

श्री चरण सिंह---जवाब सिर्फ इतना दिया गया कि हमारे पास कोई ऐसी इत्तिला नहीं आई। मैं आप की इजाजत से एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि अक्सर यह सवाल उठता है कि सरकार की तरफ से जो बीज दिया गया वह जमा नहीं। सरकार के पास इम्प्रूव्ड सीड या उन्नतिशील बीज रहता है और वह बीज बहुत कम होता है, लेकिन यकायक मांग ज्यादा हो जाय तो गवर्नमेंट कहीं से, जो बीज उनके गोदामों में है, उसको दस गुना बीस गुना कर नहीं सकती। वह तो बाजार से ही लाकर के दिया जाता है। ऐसी सूरत में इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि जमेगा या नहीं जमेगा।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पैडी रिसर्च स्टेशन, नगीना, ने धान की कोई अच्छी वराइटी तैयार की है ?

श्री चरण सिंह---पूछा उन्होंने यह है कि क्या धान की कोई अच्छी वराइटी रिसर्च की गई नगीना के फार्म में, तो उसके लिये मुझे नोटिस की आवश्यकता होगी।

*१९---श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार को विदित है कि कृषि विभाग अपने द्वारा दिये गये बीज पर सवाई सूद लगाता है और निश्चित तिथि पर बीज न अदा करने वाले के ऊपर कन्ट्रोल दर के बजाय महंगे बाजार दर पर नकदी रकम का कर्ज बना दिया जाता है और उसके ऊपर ५० प्रतिशत तावान भी जोड़ा जाता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---हां।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या यह सच नहीं है कि जिलाधीश ने एक मीटिंग वहां के एम० एल० ए० लोगों की और सरकारी अधिकारियों की करके यह निश्चय किया था कि तकावी लेने वालों को आधा नकद और आधा बीज लेना होगा और उसके हिसाब से ही वहां बीज बांटा गया ?

श्री चरण सिंह---जी ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अफसरान की मीटिंग करके ऐसा निश्चय किया। माननीय सदस्य ने जरूर मेरे से जबानी यह बात कही थी कि बीज की जरूरत है और उसी तकावी से हम को बीज लेना पड़ता है। बीज का दाम, जो सरकारी गोदामों से मिलता है या आर० एफ० सी० के यहां से मिलता है, ज्यादा है। मैंने यह कहा था कि यह लाजिमी नहीं है कि आप तक़ावी से बीज खरीदें। खुले बाजार से भी आप बीज खरीद सकते हैं।

श्री भगवानदीन मिश्र---क्या सरकार इस संकट काल में भी बीज पर जो सवाई सूद लेने की नीति है उस पर उचित विचार करेगी ?.

श्री चरण सिंह---जी नहीं।

*२०---श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार को यह विदित है कि इसी कारण बीज का बकाया मिर्जापुर जिले में कई लाख तक पहुंच गया है जिसका मूल धन ४० प्रतिशत से अधिक नहीं है तथा भिन्न-भिन्न काश्तकारों के हिसाब में भिन्न-भिन्न भाव एक ही वर्ष में तथा एक ही क्षेत्र में लगाये गये हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--मिर्जापुर जिले में जो भारी बकाया है उसके वास्तविक कारण वे नहीं जो माननीय सदस्य ने बताये हैं वरन् वह यह है;

१. किसानों को उनकी वास्तविक आवश्यकता से अधिक बीज दिया जाना ।

२. नादेहन्द किसानों को बीज दिया जाना ।

३. किसानों का बीज लेकर उसे बोने के लिये नहीं वरन् और काम में इस्तेमाल करना ।

यह बकाया उस समय का है जब कि कण्ट्रोल लागू नहीं था तथा जुर्माने की दर १२ १/२ ही थी ।

बस्ती जिले में राजनीतिक पीड़ितों को दी गयी परती जमीन

*२१--श्री राम सुन्दर राम (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कितनी एकड़ परती जमीन जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा पट्टे पर दी गयी और उसमें से कितनी एकड़ जमीन राजनीतिक पीड़ितों को और कितनी और लोगों को दी गयी ?

श्री जगन प्रसाद रावत--कुल २९०९ एकड़ परती जमीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा १ जनवरी, १९५० से जुलाई, १९५२ तक की अवधि में पट्टे पर उठायी गई । इसमें से ५२९ एकड़ राजनीतिक पीड़ितों को दी गई तथा २३८० एकड़ और लोगों को दी गई

*२२--श्री रामसुन्दर राम--क्या जंगल बेलहर, तहसील खलीलाबाद (बस्ती) की परती जमीन का पट्टा हो गया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--कुल ९६६ एकड़ परती जमीन में से ४९९ एकड़ जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा पट्टे पर उठाई गई है ।

*२३--श्री रामसुन्दर राम--क्या सरकार को मालूम है कि बेलहर में परती जमीन के होते हुये और राजनीतिक पीड़ितों की दरख्वास्तों के होते हुये भी उन्हें नहीं दी गयी ? अगर नहीं दी गई तो क्या कारण हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा बेलहर क्षेत्र में पट्टे पर उठाई गई ४९९ एकड़ जमीन में से ७८ एकड़ राजनीतिक पीड़ितों को, ३८७ एकड़ हरिजनों को और शेष ३४ एकड़ चौकीदार और अन्य लोगों को दी गई ।

श्री रामसुन्दर राम--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्य लोगों में पटवारी भी सम्मिलत हैं और उसमें से हरएक को कितनी कितनी जमीनें दी गईं ?

श्री चरण सिंह--अन्य लोगों की कोई सूचना इस वक्त हमारे पास नहीं है ।

श्री रामसुन्दर राम--क्या माननीय माल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजनीतिक पीड़ितों के नाम क्या हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--उनके नाम ये हैं सर्व श्री हरिश्चन्द्र, दाल सिंगार, काशी प्रसाद, चन्द्र बली, उदय राज लाल, और ब्रह्मदेव ।

श्री रामसुन्दर राम--क्या माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के नाम पट्टे हो गये हैं उनको कब्जा भी मिल गया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इसकी सूचना इस वक्त हमारे पास नहीं है । माननीय सदस्य चाहेंगे तो मंगा दी जायगी ।

*२४--श्री अमरेशचन्द्र पाण्डेय (जिला मिर्जापुर)--[सूचना मंत्री से संबंधित इस प्रश्न का उत्तर (२ सितम्बर, १९५२) को सं० ६३ के अन्तर्गत दिया गया ।]

चकिया जिला बनारस में ऐग्रीकल्चरल टैक्स

*२५—श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या सरकार को मालूम है कि चकिया जिला बनारस में कितने लोग ऐग्रीकल्चरल टैक्स देते हैं और-और कितना-कितना ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जिला बनारस की तहसील चकिया में सन् १९५१-५२ में ३८ लोगों पर कृषि आयकर निर्धारित किया गया था। व्यक्तियों के विरुद्ध जो कर लगाया जाता है उसकी सूचना गोपनीय है और कृषि आयकर ऐक्ट की धारा ३६ के अन्तर्गत उसको बताया नहीं जा सकता।

श्री राजनारायण—क्या माननीय माल मंत्री जी बतलायेंगे कि व्यक्तियों के नाम नहीं बतलाये जाते या जो उनके ऊपर कर लगाया गया है उसकी रकम नहीं बतलायी जाती ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—कानून के हिसाब से व्यक्तियों के नाम नहीं बतलाये जाते।

*२६—श्री राजनारायण—क्या सरकार को यह मालूम है कि चकिया में आम चुनाव के पहले से एग्रीकल्चर टैक्स में भारी कमी हो गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—आम चुनाव के पूर्व तहसील चकिया नें सन् १९५०-५१ तथा सन् १९५१-५२ में क्रमशः २१,११२ रूपये ६ आने तथा ४३, ७८२ रूपये कृषि आयकर निर्धारित हुआ। आम चुनाव के पश्चात् अभी तक कर निर्धारित हुआ ही नहीं। फलतः कर घटने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राजनारायण—क्या माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् ४९-५० में २१,११२ रु० ६ आने की रकम लगाई गई थी और ५१-५२ में ४३ हजार, ७८२ रुपया तो ५०-५१ से ५१-५२ में यह वृद्धि कैसे हुई ?

श्री चरण सिंह—पहले साल जिन पर टैक्स लगाना चाहिये था वह बच गये।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि जिन आदमियों पर पहले साल का टैक्स नहीं लगा है उनको एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के मातहत नोटिस दी गई है कि वह पहले साल का टैक्स दें ?

श्री चरण सिंह—जो कार्यवाही कानून के मातहत जाप्ते की होगी वह सब की गई है।

श्री राजनारायण—क्या माननीय माल मंत्री बतलायेंगे कि ५०-५१ में और ५१-५२ में कितने व्यक्तियों पर टैक्स लगा था ?

श्री चरण सिंह—५१-५२ में कितने आदमियों पर टैक्स लगा था, ३८ आदमियों पर टैक्स लगा था, यह प्रश्न के उत्तर में दे दिया गया है।

अध्यक्ष—वह ५०-५१ का भी पूछते हैं। अगर न मालूम हो तो माननीय मंत्री नोटिस ले लें।

अगर इसका उत्तर आपके पास नहीं हो तो नोटिस मांग सकते हैं।

श्री राजनारायण—तो ५०-५१ के लिये नोटिस मांगने की बात कही गई है।

अध्यक्ष—यही समझिये।

श्री राजनारायण---क्या माननीय माल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २६ नम्बर के प्रश्न का जो जवाब दिया गया है कि अभी तक आम चुनाव के बाद कर निर्धारित नहीं हुआ तो क्या कर निर्धारित होने में और अपील की सुनवाई होने में कोई अन्तर है? अर्थात् अपील की सुनवाई होने के बाद कर घटा है तो वह भी उसमें शामिल है?

श्री चरण सिंह---जी हां, वह शामिल नहीं है। १३५९ की फसली से इसका मतलब है। जिन लोगों ने अपील की है और उससे किसी का घटा है या बढ़ा है इससे मतलब नहीं है। न इस प्रकार का प्रश्न था और न उसका उत्तर ही मांगा गया है।

श्री राजनारायण---हमारा प्रश्न साफ है कि आम चुनाव के पहले जो कर निर्धारित किया गया था और चुनाव के बाद जो कर निर्धारित हुआ है उसमें बहुत भारी कमी हुई तो इससे यह प्रश्न निकलता है कि अप्रैल और मई में जितनी अपीलें हुई उससे लगाये गये कर में कमी हुई है?

श्री चरण सिंह---चाहें कमी हुई हो या बढ़ा हो इससे कोई नतीजा निकलता नहीं है। वह तो जुडिशियल कार्यवाही है उसका इससे संबंध नहीं है।

*२७---**श्री राजनारायण**---क्या सरकार बतायेगी कि यह कमी क्यों हुई है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह प्रश्न नहीं उठता।

*२८---**श्री विष्णु दयाल वर्मा** (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ २४ पर)

रामपुर जिले मे सरकारी बागों का काटा जाना

*२९---**श्री कृष्ण शरण आर्य** (जिला रामपुर)---क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि ३० जून, १९५२ ई० के पिछले दो वर्षों के बीच रामपुर जिले में कितने सरकारी बागों को किन-किन के द्वारा काटे जाने की स्वीकृति दी गयी और प्रत्येक से सरकार को कितना लाभ हुआ?

श्री जगन प्रसाद रावत---३० जून, १९५२ के पिछले दो वर्षों के बीच में रामपुर जिले में सैंजनी और पट्टी कंजरान नाम के दो सरकारी बागों को डिप्टी डाइरेक्टर हार्टिकल्चर द्वारा काटे जाने की स्वीकृत दी गई थी। इसके अतिरिक्त २६ खास बागीचों के भी जिलाधीश द्वारा काटे जाने की स्वीकृति दी गई। सैंजनी और पट्टी कंजरान बागों के काटे जाने से सरकार को क्रमशः १,३०० रु० और ४,१०० रु० का लाभ हुआ। और प्रत्येक खास बागीचों के काटे जाने से सरकार को जो आय हुई, उसकी एक तालिका की प्रति प्रस्तुत की जाती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ट ८७ पर)

श्री कृष्ण शरण आर्य---क्या यह सही है कि इलाका खास में जितने बगीचे काटे गये हैं उनकी अनुमति बिना नीलाम दी गई थी?

श्री जगन प्रसाद रावत---ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री कृष्ण शरण आर्य---क्या माननीय मंत्री जी जिलाधिकारियों को ऐसे आदेश आइन्दा भेजने की कृपा करेंगे कि जो बगीचा काटा जाय वह नीलाम के बाद काटा जाय?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह बगीचे काटने की जो अनुमति दी जाती है उसके लिये जंगलात के कानून के मातहत कुछ नियम निर्धारित हैं उसी के मातहत बगीचे कटवाये जाते हैं।

*३०—श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या माल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त बागों के काटे जाने की स्वीकृति देने से पूर्व के दो वर्षों में प्रत्येक से सरकार को कितनी-कितनी आय हुई ?

श्री जगन प्रसाद रावत—उपरोक्त बागों के काटे जाने की स्वीकृति देने से पूर्व के दो वर्षों में संजनी और पट्टी कंजरान बागों से क्रमशः १५ और ७० रुपये की आमदनी थी। प्रत्येक खास बगीचे की आय संलग्न तालिक में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८७ पर)

*३१-३३—श्री उम्मेद सिंह (जिला गोंडा)—[६ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*३४-३६—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २४ पर]

बलिया जिले का सुरहा ताल

*३७—श्री राम अनन्त पाण्डेय (जिला बलिया)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के सुरहा ताल के जल निकासी के काम में क्या प्रगति हुई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—सुरहा ताल के बाढ़ का पानी कटेहार नाले द्वारा गंगा नदी में बह जाता है। यह नाला लगभग ९ मील लम्बा है और उस की सफाई न होने से उस में मट्टी भर गई थी जिसकी वजह से सुरहा ताल के पानी के निकलने और गंगा में जाने में अड़चन पड़ गई थी। इस नाले पर गंगा नदी के करीब दो मील की दूरी पर रेल का एक पुल है जिसके नीचे नाले की गहराई काफी नहीं थी।

पानी की ठीक तौर से निकासी करने के लिये नाले की सफाई हो रही है और रेल के पुल के नीचे नाले को ५ फुट गहरा किया जा रहा है पुल के नीचे नाले को गहरा करने का कार्य भारत सरकार के रेलवे विभाग द्वारा किया जा रहा है और लगभग १/३ हिस्सा कार्य हो चुका है। नाले के अन्य भागों की सफाई का कार्य प्रदेशीय सरकार के ड्रेनेज विभाग द्वारा किया जा रहा है। और लगभग १/६ हिस्सा कार्य हो चुका है। यह सफाई रेल के पुल से सुरहा ताल तक के हिस्से में हुई है।

श्री राम अनन्त पाण्डेय—यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मेरा खयाल है इसी वर्ष में पूरा हो जायगा।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या सरकार मेहरबानी करक बतायेगी कि क्या इस सुरहा ताल में खेती भी होती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—बहुत कम।

श्री राम कुमार शास्त्री—क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतायेगी कि इस सुरहा ताल में क्या जड़हन भी बैठाई जाती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

*३८—श्री राम अनन्त पाण्डेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस योजना पर सरकार ने कितना खर्च किया है और कितनी भूमि कृषि योग्य निकल आयी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इस कार्य पर अब तक सिंचाई विभाग ने लगभग ४,००० रु० व्यय किया है और रेलवे विभाग ने लगभग ११,००० रु० व्यय किया है। अभी तक कोई कृषि योग्य भूमि नहीं निकली है।

*३९—श्री रामअनन्त पाण्डेय—इस योजना के अन्तर्गत किस-किस स्थान पर क्या-क्या काम हुआ है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न ३७ के उत्तर में दे दिया गया है।

फैजाबाद में गन्ना विभाग की कुव्यवस्था

*४०—श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—क्या यह सही कि फैजाबाद में गन्ना विभाग की कुव्यवस्था व भ्रष्टाचार की जांच के लिये एक एडीशनल डी०सी० ओ० जाड़े के दिनों में भेजे गये थे ? उन्होंने क्या रिपोर्ट सरकार को दी और उसके अनुसार क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगन प्रसाद रावत—फैजाबाद में गन्ना विभाग में कुव्यवस्था की शिकायत मिलने पर जिला नियोजन अधिकारी ने केन कमिश्नर को सूचना दी। अतः अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर वहां भेजे गये उनको जांच पर कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला। गन्ना उत्पादक शीघ्र ही अपना गन्ना निकालने के लिये घबड़ाये थे उक्त कर्मचारी को सीजन भर वही कार्य देखने के लिए रक्खा गया और जब कार्य समाप्त हो गया वे वापस आ गये। उक्त कर्मचारी ने कोई लिखित रिपोर्ट इस विषय में नहीं दी थी।

श्री मदन गोपाल वैद्य—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि गन्ना विभाग की कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार की जांच के लिये जो अफ़सर भेजे गये थे उन्होंने जांच में कितने दिन लगाये और वे कब वापिस हुये ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसका ठीक ठीक हिसाब मेरे पास नहीं है। वे कुछ दिन बाद ही वहां से वापिस आये।

श्री मदन गोपाल वैद्य—उन्होंने भ्रष्टाचार के संबंध में कोई परिणाम नहीं निकाला लेकिन क्या कुव्यवस्था के संबंध में कोई परिणाम निकाला ?

श्री जगन प्रसानद रावत—कोई परिणाम नहीं निकाला।

*४१-४३—श्री रामअवध सिंह (जिला गोरखपुर)—[१५ सितम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला मुरादाबाद में खेतिहर मजदूरों को बंजर भूमि का दिया जाना

*४४—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में वे बंजर भूमि को खेतिहर मजदूरों को देने का विचार रखते हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०, की धारा ११७ के अन्तर्गत खाते और बाग की भूमि को छोड़ कर सब भूमि गांव-समाज में निहित होगी और धारा ११८ के अनुसार ऐसी भूमि की व्यवस्था गांव सभा करेगी। उपरोक्त अधिनियम की धारा १९५ के अन्तर्गत गांव सभा को खेतिहर मजदूरों को भूमि देने का अधिकार होगा। ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा बंजर भूमि खेतिहर मजदूरों को देने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री महीलाल—क्या माननीय माल मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि मुरादाबाद जिले में यकुम जुलाई से पहले कितनी भूमि खेतिहर मजदूरों को दी जा चुकी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री महीलाल—क्या माननीय माल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस साल मुरादाबाद जिले में कुल कितनी बंजर भूमि किस किस तहसील में खाली पड़ी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—नोटिस चाहिये।

आजमगढ़ जिले में पक्के कुएं

*४५—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रान्त के २६,७६० पक्के बने हुये कुओं में से आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में कितने कितने बने हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इन २६७६० कुओं में से आजमगढ़ की प्रत्येक तहसील में बने हुए कुओं की संख्या इस प्रकार है —

तहसील	कुओं की संख्या
आजमगढ़	२८०
सगरी	१४०
मुहम्मदाबाद	१६०
लालगंज	४३
फूलपुर	१०४
धौसी	१७१
योग	८९८

*४६—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—क्या सरकार यह भी बतलावेगी कि इस वर्ष पूर्वी जिलों में जो १०,५०० पक्के कुएं बने हैं उनमें से आजमगढ़ जिलों का कितना कोटा रहा है और उनमें से कितने बन पाये हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—१०५०० की संख्या सन् १९५१,५२ में बने हुये कुओं की नहीं बल्कि ३१ दिसम्बर, १९५१ की जो कुयें कुल प्रदेश में जेर तामीर थे उनकी है उनमें से २७४ कुएं आजमगढ़ जिले में थे। जनवरी सन्, १९५२ से जून १९५२ तक जो कुवें जिला आजमगढ़ में तैयार हुये हैं उनकी संख्या ३३५ है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—जनवरी, ५२ से जून, ५२ तक ३३५ कुयें बनाये गये और सन् ५१–५२ ई० में २९८ कुएं बनाये गये । तो शेष ३७ कुयें किसके द्वारा कैसे बनाये गये ?

श्री जगन प्रसाद रावत—कुएं बनाने के लिये सरकार की ओर से कोयला और सीमेंट वगैरह दिया जाता है । बाकी काश्तकार अपने आप बनवाता है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सत्य है कि आजमगढ़ जिले में सरकार के आदेश पर बहुत से कुयें लोगों ने बनाये और उसका रुपया अभी तक बरामद नहीं किया गया ?

श्री जगन प्रसाद रावत—रुपया बरामद करने का प्रश्न नहीं उठता। उनको कोयला और सीमेंट वगैरह दिया जाता है और बाकी रुपया वह अपने आप लगाते हैं।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में जो कुएं बनाये गये हैं उनसे सिंचाई किस ढंग से की जाती है, ढेकुल से, रहट से या चरस या और किसी प्रकार से ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह तो किसान की सुविधा पर है वह जिस तरह से सिंचाई करना चाहे करे।

*४७---**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**---क्या यह सच है कि इस वर्ष केवल ११५ कुओं के लिये कोयला दिया गया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी, नहीं। सन् १९५१-५२ में आजमगढ़ जिले में २९८ कुओं के लिये कोयला व ईंटें दी गईं।

तक़ावी दिए जाने की परिस्थितियां तथा योग्यता

*४८---**श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री** (जिला बांदा)---सरकार तक़ावी किन-किन परिस्थितियों में देती है और तक़ावी पाने योग्य व्यक्ति की क्या क्या विशेषतायें होती हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---तक़ावी जिन कार्यों के लिये दी जाती है उनका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है। तक़ावी केवल उन हैसियतदार किसानों या व्यक्तियों को दी जाती है जो उस के अदा करने में समर्थ हों।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८८ पर।)

जिला बहराइच में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*४९---**श्री बसन्त लाल शर्मा** (जिला बहराइच)---क्या यह सही है कि बहराइच जिला भी बाढ़ ग्रस्त जिलों में से एक जिला है ? यदि हां, तो वहां पर बाढ़ आने पर पीड़ितों की सहायता के लिये सरकार की ओर से स्थायी प्रबंध क्या रहता है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां, यह जिला भी बाढ़ ग्रस्त जिलों में से एक जिला है बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने तथा बाढ़ के दिनों में साधारण आवश्यकता की वस्तुओं का वितरण करने की योजना पहले ही से बना ली जाती है। इस कार्य के लिये सरकार प्रति वर्ष वर्षाकाल के पूर्व ही जिलाधीश को रु० ५,००० दे देती है। जरूरत पड़ने पर और अधिक धन भी दिया जाता है।

श्री बसन्त लाल शर्मा---क्या सन् ४८ से आजतक किसी भी वर्ष कथित धन से अधिक धन उनको वहां दिया है और यदि दिया है तो कितना और किन-किन को ?

श्री चरण सिंह---इसके लिये नोटिस चाहिये।

*५०---**श्री बसन्त लाल शर्मा**---क्या कोई सरकारी नावें इसके लिये वहां हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे कहां-कहां रक्खी जाती हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इस जिले में १४ सरकारी नावें हैं जो कि तहसील कैसरगंज में रक्खी जाती हैं। सरकार ने इस वर्ष ११ और नई नावों के लिये भी रुपया स्वीकृत किया है। इन नई नावों से बाकी दो तहसीलों में आवश्यकतानुसार काम लिया जायेगा।

*५१---**श्री बसन्त लाल शर्मा**-क्या सरकार ने उन नावों का वितरण आवश्यकतानुसार सभी तहसीलों में पीड़ितों की तत्काल सहायतार्थ ग्राम सभाओं की देख-रेख में कर रक्खा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह १४ नावें केवल तहसील कैसरगंज में ग्राम सभाओं की देखरेख में रक्खी गई हैं क्योंकि बाढ़ के प्रकोप का इस तहसील को ही सब से अधिक सामना करना पड़ता है। दूसरी तहसीलों में नावें जरूरत पड़ने पर गैर सरकारी लोगों से ले ली जाती हैं और उन्हीं से काम लिया जाता है।

श्री बसन्त लाल शर्मा—अवसर पड़ने पर यह वस्तुयें वहां मौके पर किन कर्मचारियों द्वारा पहुंचाई जाती हैं ?

श्री चरण सिंह—माल मुहकमे के कर्मचारी ही इस बात का बन्दोबस्त करते हैं कि वहां नावें पहुंच जायें।

बांसी राज जिला बस्ती के लेवड़ ताल में खेती

*५२—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में बांसी राज के अन्तर्गत एक बहुत बड़ा ताल है जिसका नाम लेवड ताल है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, डोमरियागंज तहसील में इस नाम का एक बड़ा ताल है ।

*५३—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—क्या यह सरकार को मालूम है कि उक्त ताल में केवल भीषण सूखा के वर्षों को छोड़ कर हमेशा पानी भरा रहता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां।

*५४—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले १० वर्षों में किन-किन वर्षों में उसमें खेती हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—पिछले १० वर्षों में हर साल थोड़ी बहुत होती रही है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—पिछले साल वहां किसका कब्जा था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस वक्त मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय माल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बांसी राज्य में उन लोगों की संख्या कितनी है जो बेदखल कर दिये गये हैं और पहले वे क़ाबिज़ थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसकी कोई सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है ।

श्री राम कुमार शास्त्री—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले रबी की फसल में कितने हजार मन जौ का गल्ला पैदा हुआ था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ठीक आंकड़े मुझे नहीं मालूम हैं।

जिला बहराइच में भंगहा क्षेत्र का किसान आन्दोलन

*५५—**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)—क्या यह सच है कि बहराइच जिले में गत २९-६-५२ को जिला के तीन नेता भंगहा क्षेत्र के किसान आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां। ये गिरफ्तारियां २ जुलाई, १९५२, को हुयीं।

श्री सरदार योगेन्द्र सिंह द्वारा किसानों की बेदखली

*५६—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बहराइच जिले के एक बहुत बड़े ताल्लुकेदार (अब बड़े भूमिधर) श्री सरदार योगेन्द्र सिंह, एम० पी०, तराई के भंगहा क्षेत्र में लगभग ४ हजार एकड़ के ४ फार्म बनाने के सिलसिले में, प्रायः २,००० किसानों को उनके खेतों से बेदखल करके ट्रैक्टरों के जरिये उनके खेतों पर कब्जा कर रहे हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——जी नहीं, सरदार योगेन्द्र सिंह के पास ४ फार्म हैं और उनका रकबा केवल २,१०७ एकड़ हैं। वे इन फार्मों में खेती अपने हलवाहों द्वारा कई वर्षों से करा रहे हैं।

*५७——**श्री झारखंडे राय**——क्या सरकार को मालूम है कि गत २५-६-५२ को प्रायः २५० किसानों का एक जुलूस स्थानीय किसान नेता श्री स्वामी दयाल त्रिपाठी के नेतृत्व में डी० सी० के बंगले तक गया था? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——जी हां, २३ जून, १९५२ को लगभग १०० किसानों का जुलूस जिलाधीश के बंगले पर गया। इन लोगों ने जिलाधीश से यह शिकायत की कि श्री सरदार योगेन्द्र सिंह हलवाहों के अलावा अपना फार्म ३०, ४० आदमियों से जुतवाते थे। ट्रैक्टर आने पर ये आदमी अलग कर दिये गये। जिलाधीश ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस विषय पर जांच करेंगे और अलग किये गये आदमियों को खेत वापस दिलाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री झारखंडे राय——क्या माननीय माल मंत्री यह बतलायेंगे कि यह गिरफ्तारियां किन दशाओं में और किन व्यक्तियों की हुई हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——जो गिरफ्तारियां की गई हैं वे स्वामी दयाल, कामता और समन्द की हैं। ये गिरफ्तारियां धारा १०७ और १५१ जाब्ता फ़ौजदारी के मातहत हुई हैं।

श्री झारखंडे राय——क्या माननीय माल मंत्री यह बतलायेंगे कि सरदार योगेंद्र सिंह और किसानों के बीच में लड़ाई का क्या कारण है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——लड़ाई का कारण खेत हैं जिनके बारे में झगड़ा है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)——क्या इन्क्वायरी के बाद यह साबित हुआ है कि यह केवल काम करने वाले लोग थे? फिर भी सरकार उनको जमीन दिलवाने की चेष्टा करेगी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——केवल काम करने वाले लोग होने के नाते कानून के मातहत माननीय सदस्य जानते हैं कि उनका कोई हक नहीं होगा।

श्री झारखंडे राय——क्या माननीय माल मंत्री बतलायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आश्वासन के बाद क्या कार्यवाही की गई है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अपनी गलती मान ली। सरदार योगेन्द्र सिंह ने इस बात का आश्वासन दिया है कि जितनी भी जमीन किसानों की है वह उनको दी जायेगी ताकि उनका भरण-पोषण हो सके।

श्री झारखंडे राय——क्या सरकार को यह मालूम है कि जिला के कलेक्टर के बावजूद भी और माननीय पंत जी के आदेश के बाद भी वहां कोई जांच करने नहीं गया।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——जिला कलेक्टर ने एस० डी० ओ० को जांच करने वहां भेजा था और वह कार्यवाही कर रहे हैं।

*५८——**श्री रामलखन** (जिला बनारस)——[६ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

*५९——६०——**श्री रामकृष्ण जैसवार** (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)——[देखिये आगे पृष्ठ २४-२५ पर]

*६१—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—[१५ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

*६२—श्री रामचरण लाल गंगवार (जिला बरेली)—[इस प्रश्न का उत्तर ४ सितम्बर, १९५२ को संख्या ४१ के अन्तर्गत दिया गया।]

जिला आगरा में ट्यूबवेल्स का निर्माण

*६३—श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि आगरा जिला में ट्यूबवेल तकावी कितने व्यक्तियों को कब-कब दी गयी और अब तक कितने ट्यूबवेल निर्माण हुये?

श्री जगनप्रसाद रावत—ट्यूववेल के लिये तकावी सन् १९५०-५१ में दो व्यक्तियों को और सन् १९५१-५२ में बलवन्त राजपूत कालेज और अन्य दो व्यक्तियों को दी गई। इस प्रकार कुल पांच ट्यूबवेल्स के लिये तकावी दी गई जिनमें से दो तैयार हो चुके हैं और तीन बाकी हैं।

श्री रमेश वर्मा—क्या माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस क्षेत्र में यह दो ट्यूबवेल बने हैं वह आगरा जिला के ट्रांस जमुना क्षेत्र में हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां।

श्री रमेश वर्मा—क्या इस क्षेत्र में और ट्यूबवेल बनाने की योजना सरकार के सामने है?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां।

*६४-६५—श्री रमेश वर्मा—[६ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि-व्यवस्था के संबंध में राजनीतिक पीड़ितों को नौकरियां

*६६—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि-व्यवस्था के संबंध में जिन कर्मचारियों की आवश्यकता सरकार को हो रही है उसमें वह राजनीतिक पीड़ितों को भी रख रही है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था के संबंध में उन कर्मचारियों के अतिरिक्त जो अन्य विभागों से लिये जा रहे हैं, कुछ लोग बाहर से भी नायब तहसीलदार, कर्ल्क व चपरासी के पदों पर रक्खे जा रहे हैं, इन पदों पर राजनीतिक पीड़ित भी नियुक्त किये जायेंगे परन्तु उनके लिये रिक्त स्थानों का कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं है, उनकी नियुक्ति उन सामान्य आदेशों के अनुसार की जायेगी जो समय-समय पर राजनीतिक पीड़ितों को सरकारी नौकरियों में रखने के बारे में जारी हुये हैं।

श्री गुप्तार सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि-व्यवस्था में जो आज तक कर्मचारी रखे गये हैं उनमें राजनीतिक पीड़ितों की कितनी संख्या है और खासकर रायबरेली जिले में?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाहर के लोग जो रखे जायेंगे उनमें यह सच है कि प्रायर्टी उनको दी जायगी जो इस कार्य का अनुभव रखते हों?

श्री चरण सिंह—जिन लोगों को इस बात का अनुभव है उनके खिलाफ कोई प्रतिबन्ध नहीं है ?

*६७–६९—श्री गुरु प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—[१५ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*७०—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २५ पर]।

*७१–७३—श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २५ पर]

रामपुर जिले में राजस्व से आय

*७४—श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समस्त रामपुर जिले से तथा प्रत्येक तहसील से पृथक्-पृथक् राजस्व की वार्षिक आय कितनी होती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—समस्त रामपुर जिले से तथा प्रत्येक तहसील से राजस्व (land revenue) की वार्षिक आय का लेखा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८९ पर)

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या इसमें वह आय शामिल है, जो इलाके में से हो रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी नहीं।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या यह सही है कि राजस्व की आय रामपुर की २४ लाख से ज्यादा है सालाना ?

श्री चरण सिंह—इससे कम है। २२ लाख के करीब है।

*७५–७७—श्री गुप्तार सिंह—[६ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*७८–७९—श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—[१५ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*८०–८१—श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)—[१५ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

उत्तर प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय संघ की ओर से विशेषज्ञ

*८२—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय संघ (U.N.O.) की ओर से फूड एंड ऐग्रीकल्चर आर्गनाइजेशन के अन्तर्गत कुछ विदेशी विशेषज्ञ उत्तर प्रदेशीय सरकार ने यहां की जनता को ट्रैक्टर बनाना तथा चलाना सिखाने के लिये बुलाये हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और वह कहां-कहां से बुलाये गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, तीन। एक कीनिया (पूर्वी अफरीका) एक इंगलैंड और एक डेनमार्क से।

श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि जबसे ये विशेषज्ञ हमारे उत्तर प्रदेश में आये उन्होंने कितने व्यक्तियों को ट्रैक्टर बनाना, चलाना सिखाया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—संख्या तो बताना कठिन है, लेकिन ट्रैक्टर की स्कीम में उन्होंने काफी सहायता की ।

श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि इन विशेषज्ञों की टेक्निकल क्वालिफिकेशन्स क्या हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—बहुत तफसील में है; अगर आप इजाजत दें तो पढ़ दूं ।

अध्यक्ष—अगर कोई खास उसमें से हों तो उनका जिक्र माननीय उपमंत्री जी कर दें मगर पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जगनप्रसाद रावत—हर एक विशेषज्ञ के मुताल्लिक कि उसने कहां-कहां काम किया, क्या-क्या डिग्रियां हैं, ये सब हमारे पास हैं। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको दिखला दूंगा, बजाय यहां पढ़ने के ।

श्री पुत्तूलाल—माननीय अध्यक्ष, मैंने सिर्फ टेक्निकल क्वालिफिकेशन्स पूछी हैं।

श्री जगनप्रसाद रावत—ये सब टेक्निकल लोग हैं। जितनी उनकी क्वालिफिकेशंस हैं वे सब टेक्निकल ही हैं।

*८३—**श्री पुत्तूलाल**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त विशेषज्ञों के ऊपर सरकार प्रतिमास क्या व्यय करती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इन विशेषज्ञों पर प्रतिमास लगभग ६०० से ८०० रुपया प्रति विशेषज्ञ व्यय होता है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जितना खर्चा यू० एन० ओ० से आये हुये अफसरों पर हो रहा है वह यू० एन० ओ० बर्दाश्त करेगा या प्रांतीय सरकार बर्दाश्त करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह खर्चा जो मैंने आपको बताया यह तो प्रांतीय सरकार बर्दाश्त कर रही है। वैसे तो उनके खर्चे और भी बहुत होते हैं जिनको हम बर्दाश्त नहीं करते हैं।

श्री नेकराम शर्मा—ये आफिसर्स कब से उत्तर प्रदेश में आये हैं ?

श्री चरण सिंह— एक वर्ष के अन्दर ही अन्दर आये हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा —क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो रुपया बतलाया गया है, यह उनका वेतन है या खर्चा है ?

श्री चरण सिंह—इन लोगों का वेतन और जिस देश से हमारे देश में आये वहां तक का उनका आने-जाने का खर्चा यू० एन० ओ० बर्दाश्त करता है। केवल उनके रहने और खाने-पीने का खर्च हमारे प्रदेश की सरकार बर्दाश्त करती है और वह ६०० से ८०० रुपये तक एक आदमी का एक महीने का होता है ।

*८४—**श्री पुत्तूलाल**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त विशेषज्ञों को कहां ठहराया जाता है और वह अपना कार्य कहां-कहां पर करते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—विशेषज्ञों के ठहरने का प्रबंध इस समय होटलों में किया गया है क्योंकि उपयुक्त बंगले प्राप्त नहीं हो रहे हैं। एक विशेषज्ञ की नियुक्ति बरेली में की गई है। वे बरेली कन्टूनमेंट में किराये के मकान में रहते हैं और बरेली व लखनऊ तथा अन्य ग्राम वर्कशापों में काम करते हैं। दूसरे महोदय कार्लटन होटल, लखनऊ, में रहते हैं और इस प्रांत के मिकनाइजड स्टेट फार्म्स पर काम करते हैं। तीसरे महोदय भी कार्लटन होटल, लखनऊ, में रहते हैं और इस प्रदेश के भूमि रक्षण फार्मों पर काम करते हैं। इसके अतिरिक्त और जगहों पर भी आवश्यकतानुसार यह अपनी राय देने जाते हैं।

जमींदारी विनाश के पश्चात् ग्राम सभाओं के दिये जाने वाले आय के मद

*८५—**श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जमींदारी विनाश के पश्चात् सार्वजनिक आय वाले कौन-कौन से और किस-किस हैसियत वाले मद वह ग्राम सभाओं को देने जा रही है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११७ में उल्लिखित मद गांव समाज में निहित हो जावेंगे। जंगल, उतराई के घाट, परती भूमि तथा हाट, बाजार और मेलों से होने वाली आय के अनुसार बटवारे का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है इसके अतिरिक्त कुछ गैरदखीलकार काश्तकारों से लगान और सायर से होने वाली सभी आय, गांव सभाओं को प्राप्त होगी। गांव की खाली जमीनों के बन्दोबस्त से जो आय होगी वह भी गांव सभा को होगी।

श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय—क्या यह सच है कि कुछ घाटों और जंगलों को सरकार जिला बोर्ड को देने की सोच रही है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जो बड़ी आमदनी वाले हाट, बाजार और घाट हैं उनको जिला बोर्डों को देने को सरकार जरूर सोच रही है।

श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय—तो ग्राम सभाओं के उक्त साधन निकल जाने से क्या उनकी आर्थिक दशा खराब नहीं हो जायगी?

श्री चरण सिंह—जहां तक गांव सभाओं की आर्थिक दशा खराब होने का प्रश्न है तो खराब तो नहीं होगी। वह जैसी आज है उससे कुछ सुधर जायगी। यह दूसरी बात है कि सारे हाट बाजार उनको दे दिये जाते तो और ज्यादा सुधर जाती।

*८६—८८—**श्री नेत्रपाल सिंह** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २६ पर।]

*८९—**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)—[१५ अगस्त, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

मड़ियाऊ तहसील में पशु-चिकित्सालय का अभाव

*९०—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)—क्या माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मड़ियाऊ तहसील गोपालपुर परगने में पशु-चिकित्सालय खोलने का इरादा कर रहे हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—मड़ियाऊ में पशु-चिकित्सालय खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मड़ियाऊ तहसील में अब तक कोई पशुओं के लिये दवाखाना खोला गया?

श्री जगनप्रसाद रावत—नहीं, अब तक नहीं खोला गया।

मड़ियाऊ तहसील में ट्यूबवेल्स

*९१—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**—क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सहकारिता के आधार पर जौनपुर जिले के अन्तर्गत मड़ियाऊ तहसील में भी ट्यूबवेल लगाने का सरकार का इरादा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जौनपुर जिले में १० सहकारी ट्यूबवेल बनाने का लक्ष्य है। यह ट्यूबवेल कहां-कहां बनेंगे इसका निश्चय जिला नियोजन कमेटी करेगी।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितना रुपया किसानों से लिया जायगा और कितना सरकार द्वारा इस पर खर्च किया जायगा ?

श्री चरण सिंह—इसमें तिहाई रुपया सरकार देगी और तिहाई रुपया किसान अपने पास से इकट्ठा करेंगे और बाकी तिहाई रुपया गवर्नमेंट क़र्ज़ के तौर पर देगी।

*९२-९४—**श्री वीरेंद्र वर्मा** (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २७ पर।]

❀ ❀ ❀ ❀

सरकार द्वारा तोड़ी गई बंजर भूमि का अलाटमेंट

*४—**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (अनुपस्थित)—सरकार द्वारा तोड़ी गई बंजर भूमि में से क्या सरकार ने किन्हीं व्यक्तियों को ३० एकड़ से भी अधिक भूमि एलाट की है ? यदि हां, तो अधिक से अधिक कितनी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सरकार द्वारा तोड़ी गई बंजर भूमि में से ४२ व्यक्तियों को ३० एकड़ से ज्यादा भूमि एलाट की गई है और वह ५० एकड़ है।

*५—**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन व्यक्तियों को सरकार ने ऐसी भूमि एलाट की है, क्या उन्हें सरकार ने धन की भी कोई सहायता दी है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—२९ व्यक्तियों को १,००० रु० फी व्यक्ति, ९ व्यक्तियों को कुल ७,१०० तथा २ व्यक्तियों को ५० रु० की फी व्यक्ति के हिसाब से आर्थिक सहायता दी है।

*६—**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बंजर भूमि जो सरकार ने विभिन्न व्यक्तियों को कृषि के लिये एलाट की है वह सब तोड़ी जा चुकी है और कृषि की जा रही है ? यदि नहीं, तो शेष भूमि के संबंध में सरकार का क्या इरादा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—बंजर भूमि जो कृषि के लिये एलाट की गई है उसमें से ३६,१५९ एकड़ भूमि तोड़ी जा चुकी है और खेती हो रही है, बाकी तोड़ी जा रही है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज़फ्फरनगर)—क्या सरकार के पास बंजर भूमि अब भी बाकी है जो एलाट की जा सकती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—हां, है।

श्री बलवन्त सिंह—किस नियम के आधार पर वह एलाट की जायगी ?

श्री चरण सिंह—अब जो बंजर भूमि है वह तोड़ने के बाद ही एलाट की जायगी। पहले कुछ ऐसा हुआ कि ज़मीन टूट नहीं पायी थी और उससे पहले ही एलाट कर दी गयी थी। अब तो नियम यह है कि जब तोड़ी जा चुकेगी तब एलाट की जायगी। दूसरी बात यह है कि जो एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट हैं उनको ३०, ३० एकड़, जो राजनीतिक पीड़ित हैं या ऐग्रीकल्चरल डिप्लोमेट हैं उनको १५, १५ एकड़ और जो भूमिहीन लोग हैं उनको साढ़े सात एकड़ दी जायगी।

नोट—तारांकित प्रश्न ४—६ श्री बलवन्त सिंह ने पूछे।

❀ ❀ ❀

तहसील जसराना, जिला मैनपुरी, में मिसिलों का गुम हो जाना

*२८—**श्री विष्णुदयाल वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि तहसील जसराना, जिला मैनपुरी, से लगभग दो वर्ष पूर्व करीब २ हजार मिसिलें गुम हो गयी हैं? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस विषय में क्या कार्यवाही की है?

श्री चरण सिंह—तहसील जसराना, जिला मैनपुरी, से ८४१ मिस्लें गुम हो गई थीं? उसमें से ५०० मिस्लें एक अन्धे कुयें से मिली। इस मामले की जांच सी० आई० डी० कर रही है जो अभी खत्म नहीं हुई है। इस सिलसिले में एक तहसीलदार का तबादला कर दिया गया है ताकि जांच में आसानी हो। तहसील का एक कुर्क अमीन मुअत्तल कर दिया गया है और सप्लाई दफ्तर का एक अहलकार जो कि उस जमाने में पेशकारी पर काम कर रहा था नौकरी से अलग कर दिया गया है?

❀ ❀ ❀

राज्य में गोबध निषेध कानून

*३४—**श्री राधाकृष्ण अग्रवाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस राज्य में गो बध निषेध करने के कानून बनाने में सरकार के सामने क्या अड़चन है?

श्री चरण सिंह—कोई विशेष अड़चन नहीं है, किन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस विषय में डिस्ट्रिक्ट व म्युनिसिपल बोर्ड उप-विधियां (Bye-laws) बना चुकी हैं और जनमत के आग्रह से गोबध प्रायः प्रदेश भर में बन्द हो चुका है। सरकार कोई कानून बनाना आवश्यक नहीं समझती।

दुधारू जानवरों का प्रदेश से निर्यात

*३५—**श्री राधाकृष्ण अग्रवाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि दुधारु जानवरों का इस प्रदेश से निर्यात होता है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे जानवरों का इस प्रदेश से निर्यात बन्द करने की व्यवस्था पर विचार कर रही है?

श्री चरण सिंह—दुधारू जानवर इस प्रदेश में आते भी हैं और यहां से बाहर भी जाते हैं। क्योंकि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आयात या निर्यात पर किसी प्रकार की पाबन्दी लगाना संविधान के विरुद्ध पड़ता है, अतएव ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गोपालन और बनस्पति घी

*३६—**श्री राधाकृष्ण अग्रवाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बनस्पति घी के कारण गो पालन व्यवसाय के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा है?

श्री चरण सिंह—बनस्पति घी के कारण गो-पालन व्यवसाय पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि गाय तथा भैंस के घी की अब भी इतनी मांग है कि पूरी नहीं हो पाती। यों गाय व भैंस के घी में बनस्पति घी की मिलावट रोकने के लिये एक कानून बनाया जा चुका है परन्तु उचित प्रकार का रंग न मिलने के कारण अभी उस पर अमल नहीं हो सका है।

❀ ❀ ❀

मिर्जापुर जिले में हरिजनों की नियुक्तियां

*५९—**श्री रामकृष्ण जैसवार** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले के जिलाधीश के अन्तर्गत कार्यालयों में सन् १९४७ से लेकर अब तक कितने हरिजनों की नियुक्ति हुई है?

श्री चरण सिंह—जिलाधीश मिर्जापुर के अधीन कार्यालयों में सन् १९४७ से अब तक केवल एक हरिजन की नियुक्ति हुई है।

जमींदारी उन्मूलन के सिलसिले में मिर्जापुर में नियुक्तियां

*६०—**श्री रामकृष्ण जैसवार** (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जमींदारी उन्मूलन से काम बढ़ जाने के कारण चपरासी से लेकर उच्च पदों तक कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति होने जा रही है? यदि हां, तो मिर्जापुर जिले में यह नियुक्त कब और किसके द्वारा होगी?

श्री चरण सिंह—जमींदारी उन्मूलन के कारण दो मुख्य कामों के लिये कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई है या अब होगी, एक तो प्रतिकर निर्धारण के संबंध में और दूसरा मालगुजारी की वसूली के लिये। प्रतिकर निर्धारण के लिये कर्मचारियों की नियुक्तियां हो गई हैं। इनमें से नायब तहसीलदारों की नियुक्ति भूमि व्यवस्था कमिश्नर लैंड रिफार्म कमिश्नर ने की है और अन्य कर्मचारियों जैसे क्लर्क, मोहर्रिर, स्टेनोग्राफर और चपरासी की नियुक्तियां जिलाधीशों ने की है। मालगुजारी की वसूली के संबंध में नियुक्तियां सितम्बर में होंगी और वसूली का काम नवम्बर १९५२ से होगा। इनमें से कलेक्शन आफिसर गजटेड और नायब तहसीलदारों का चुनाव एक चुनाव समिति (सेलेक्शन कमेटी) करेगी और अन्य कर्मचारियों, जैसे मोहर्रिर, अहलमद, रीडर और चपरासी आदि की नियुक्तियां जिलाधीश करेंगे। जिला मिर्जापुर में भी नियुक्तियां इसी प्रकार होंगी।

* * * *

जमींदारी उन्मूलन की सरकारी नीति के विरुद्ध भूमिधरों तथा किसानों को परेशान करना

*७०—**श्री देवदत्त मिश्र** (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास ऐसे कितने अफसरों के बारे में शिकायतें आई हैं, जो जमींदारी उन्मूलन की सरकारी नीति के विरुद्ध भूमिधरों तथा किसानों को परेशान कर रहे हैं?

श्री चरण सिंह—सरकार के किसी अफसर के खिलाफ ऐसी शिकायत नहीं आई है।

प्रदेश के पूर्वी भागों में अनावृष्टि तथा सरकारी योजना

*७१—**श्री पद्मनाथ सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के पूर्वीय भाग के कई जिलों में साधारणतः और आजमगढ़ में विशेष रूप से पिछले तीन वर्षों से लगातार अनावृष्टि के कारण अन्न की पैदावार बहुत कम हुई है?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां।

*७२—**श्री पद्मनाथ सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि इस वर्ष भी पूर्व के जिलों में और आजमगढ़ में विशेषरूप से पानी की बहुत ही कमी है और सूखे की हालत है?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस वर्ष भी पूर्वी जिलों में जून से औसत से अधिक वर्षा होने पर भी जुलाई में वर्षा प्रायः औसत से आधी अथवा कहीं चौथाई रही जिस कारण स्थिति चिन्ताजनक हो गई थी तथा सूखे के लक्षण दृष्टिगोचर होते थे पर अगस्त में औसत से अधिक वर्षा होने से स्थिति सुधर गई है।

*७३—**श्री पद्मनाथ सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पानी की कमी से फसलों को तत्काल बरबाद होने से बचाने के लिये सरकार ने कोई तुरन्त काम में आने वाली योजना तैयार की है? यदि की है, तो वह क्या है?

श्री जगनप्रसाद रावत--यों तो राज्य में, जिसमें पूर्वी जिले भी सम्मिलित हैं, नलकूप (tube well) और पक्के कुवें (masonry wells) की योजनायें पहिले से ही चल रही हैं। परन्तु पूर्वी जिलों में उक्त परिस्थितियों के कारण पक्के कुओं की योजना के अन्तर्गत गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़ और बलिया के जिलों में पक्के कुओं की संख्या का लक्ष्य प्रत्येक के लिये १,००० कर दिया गया है और अन्य पूर्वी जिलों में यह लक्ष्य नीचे लिखे अनुसार है --

गोंडा	..	..	२००
बहराइच	..	..	५०
सुल्तानपुर	..	..	४००
प्रतापगढ़	..	..	१००
इलाहाबाद	..	..	२००
बनारस	..	..	५००
जौनपुर	..	..	५५०

उपरोक्त पहिले ६ जिलों में कुओं के निर्माण के लिये शीघ्र से शीघ्र सामान जैसे लोहा, कोयला, सीमेंट, इत्यादि प्राप्त कर नियत स्थान तक पहुंचाने के आयोजन के लिये एक स्पेशल अफसर नियुक्त कर दिया गया है। इन कुओं के निर्माण के लिये जो कम से कम ५० एकड़ और अधिक से अधिक १० एकड़ भूमि की सिंचाई का प्रतिबन्ध भी हटा दिया है तथा ४०० रु० प्रति कुआं की राज सहायता (Subsidy) को ज्यों का त्यों रहने दिया है जब कि उपरोक्त बाद के ७ जिलों में राज सहायता २ सौ रु० प्रति कुआं होगी और शेष राज्य में कोई राज सहायता (Subsidy) पक्के कुओं के निर्माण के लिये नहीं दी जायेगी।

२--इसके अतिरिक्त आजमगढ़ जिले में पानी की कमी की पूर्ति के लिये अन्य योजनायें जिन पर कार्यवाही हो रही है या होने वाली है उनकी भी एक परिशिष्ट संलग्न है। मिर्जापुर जिले के कैमूर रेंज के दक्षिणी इलाके के लिये ५० कुएं बनाने के लिये एक लाख रु० स्वीकृत किया गया है। इन कुओं की बनवाई पर कुल खर्चा सरकार देगी।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ९० पर)

* * * *

जिला अलीगढ़ में टिड्डी का प्रकोप

*८६--**श्री नेत्रपाल सिंह** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९५२, में अलीगढ़ जिले में जो टिड्डी का प्रकोप हुआ है उसका कितने गांवों की फ़सल पर प्रभाव हुआ है ?

श्री चरण सिंह--जुलाई, १९५२, में अलीगढ़ जिले में जो टिड्डी का प्रकोप हुआ है, उससे किसी गांव की फसल को कोई नुक़सान नहीं हुआ।

*८७--**श्री नेत्रपाल सिंह** (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि वहां के किसानों को कोई तकावी या अन्य आर्थिक सहायता नहीं पहुंचायी गयी।

श्री चरण सिंह--यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ।

*८८--**श्री नेत्रपाल सिंह** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने टिड्डी आने के पूर्व उसकी रोक-थाम के लिए क्या व्यवस्था की थी ?

श्री चरण सिंह—टिड्डी आने के पूर्व उसकी रोकथाम के लिये जिले की हर तहसील पर मशीनें और अन्य सामान पहिले से ही पहुंचा दिया गया था और सब तहसीलदारों तथा पंचायत निरीक्षकों को इस सम्बन्ध में सतर्क रहने के आदेश भी भेज दिए गए थे और ताकीद कर दी गई थी कि अगर कहीं पर भी टिड्डी दल आए तो उसकी सूचना कृषि रक्षा विभाग को तुरन्त दी जावे ताकि वह अपनी व्यवस्था द्वारा टिड्डियों को नष्ट करने में सहयोग दें।

* * * *

प्रदेश में तोड़ी गई बंजर भूमि का वितरण

*९२—**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, सन् १९४६ ई०, से अब तक कुल कितनी बंजर भूमि प्रदेश में तोड़ी जा चुकी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—प्रदेश में १ अप्रैल, सन् १९४६ से अब तक लगभग १२,२७,५२२ एकड़ परती भूमि तोड़ी जा चुकी है।

*९३—**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त बंजर भूमि में से कितनी सरकार ने स्वयं तोड़ी है और कितनी पब्लिक ने स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा तोड़ी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उपरोक्त भूमि में से सरकारी ट्रैक्टरों द्वारा तोड़ी ग भूमि का क्षेत्रफल २,०९,०५८ एकड़ है तथा स्वयं पब्लिक द्वारा बिना सरकारी ट्रैक्टरों की सहायता के तोड़ी गई भूमि का क्षेत्रफल १०,१८,४६४ एकड़ है।

*९४—**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (अनुपस्थित)—सरकार द्वारा तोड़ी गयी भूमि का वितरण किन नियमों के आधार पर किया गया और वह भूमि किस श्रेणी के व्यक्तियों को दी गयी ? क्या इस वितरण के समय खेतिहर मजदूरों का भी ध्यान रक्खा गया ? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में सरकार इसका ध्यान रखने का इरादा रखती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उपनिवेश क्षेत्रों में आरंभ में जमीन पांच प्रकार के व्यक्तियों को दी गई थी।

१—कृषि स्नातक, २—कृषि डिप्लोमेट, ३—राजनैतिक पीड़ित, ४—विस्थापित ५—भूतपूर्व सैनिक। इनको आज कल निम्नपरिमाण में भूमि दी जाती है :

कृषि स्नातक	..	३० एकड़
कृषि डिप्लोमेट	..	१२ १/२ ,,
राजनैतिक पीड़ित	..	१२ १/२ ,,
विस्थापित जन	..	१० ,,
भूतपूर्व सैनिक	..	१० ,,

यदि किसी कृषि स्नातक के पास १५ एकड़ तथा अन्य श्रेणी के व्यक्ति के पास ६ १/४ एकड़ से अधिक भूमि पहले ही से है तो उसे जमीन नहीं मिल सकती। प्रत्येक प्रार्थी को ५०० रु० चन्दे के रूप में देना होता है।

उपर्युक्त श्रेणी के व्यक्तियों के अतिरिक्त भूमिहीन श्रमिकों को भी दिसम्बर, १९५०, से नैनीताल तराई तथा काशीपुर उपनिवेशों में भूमि देने का विधान बना दिया है। दिसम्बर, १९५०, से तराई नैनीताल तथा काशीपुर उपनिवेशों में जितनी जमीन तोड़ी जाती है उसका ३/४ भाग भूमिहीन श्रमिकों के लिये सुरक्षित कर दिया जाता है। भूमिहीन श्रमकों के प्रत्येक परिवार को १० एकड़ जमीन मिल सकती है।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री राम रतन प्रसाद (जिला बलिया)—[२६ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में गंडक की बाढ़ से हानि

२—श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि देवरिया जिला में हर साल बड़ी गंडक नदी की बाढ़ व कटाव की वजह से सैकड़ों गांव जल मग्न हो जाते हैं और हजारों एकड़ खेती हर साल बरबाद हो जाती है? क्या सरकार इस नदी के जल नियंत्रण पर कोई योजना कार्यान्वित करने के लिए तैयार है?

श्री चरण सिंह—यह सही है कि देवरिया जिले में बड़ी गंडक नदी की बाढ़ व कटाव के कारण बहुत से गांव जलमग्न हो जाते हैं और खेती को काफी हानि पहुंचती है। बाढ़ को रोकने के लिए सन् १९५० में चितौनी रेलवे स्टेशन के उत्तर-पश्चिम की ओर गंडक नदी के तट पर एक बांध बनाया गया था जिसके लिये गांव वालों ने निःशुल्क श्रम तथा सरकार ने टेक्निकल सहायता तथा परामर्श के अतिरिक्त १०,००० रु० का अनुदान भी दिया था। परन्तु अगस्त, १९५०, में बाढ़ आने के कारण यह बांध टूट गया। सन् १९५१ में सरकार ने इस बांध को फिर से बनाने के लिये १०,००० रु० पुनः स्वीकृत किया।

चितौनी और खड्डा चीनी मिलों ने भी इस कार्य में सहायता देने का वादा किया। परन्तु बांध को फिर से बनाने के पूर्व इंजीनियरों के द्वारा सर्वे कराना उचित समझा गया जिससे पुनः बना हुआ बांध नष्ट न हो जाय। काफी छानबीन के बाद इंजीनियरों की अब यह राय है कि जब तक बांध नदी के किनारे-किनारे कई मीलों तक न बनाया जाय उसका स्थायी रहना असम्भव है। क्योंकि ऐसे बांध का व्यय इससे होने वाले लाभ से कहीं अधिक होगा। अतएव यह योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश में आने वाली बाढ़ों को रोकने का प्रश्न उत्तर प्रदेश बाढ़ समिति की टेक्निकल उपसमिति के विचाराधीन है। उपसमिति की रिपोर्ट आने पर यह मालूम हो सकेगा कि देवरिया व और जिलों में बाढ़ की रोकथाम का प्रबन्ध किस तरह किया जाय।

श्री राजनारायण द्वारा अपने अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन शार्ट टिस (क्वेश्चन) दिया था तो आपने कहा था कि इंक्वायरी की जायगी। मुझे अब तक नहीं मालूम हुआ कि उस शार्ट नोटिस (क्वैश्चन) का मुझे उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मुझे उत्तर न मिले तो जो मुझे दूसरी कार्यवाही करनी हो वह मैं करूं।

अध्यक्ष—वह सरकार के पास भेज दिया गया है। उसके आने पर मैं माननीय सदस्य को अपने कमरे में उत्तर दे दूंगा।

गोरखपुर की खाद्य-समस्या के सम्बन्ध में श्री कुमारप्पा की रिपोर्ट तथा खाद्य-समस्या पर विचारार्थ दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

अध्यक्ष—मेरे पास आज दो काम रोको प्रस्ताव आये हैं। उनमें से एक तो श्री झारखंडे राय का है जिसमें वह सदन का कार्य स्थगन इसलिये करना चाहते हैं कि

गोरखपुर और महाराजगंज की कुमारप्पा जी ने तहकीकात के बाद जो अपनी रिपोर्ट दी है और जो अखबारों में भी शाया हुई है, उसके ऊपर विचार करने के लिये। चूंकि गोरखपुर और पूर्वी जिलों की खाद्य-समस्या के ऊपर एक दिन पूरा इस सदन में विचार हो चुका है और यह सभी प्रश्न उठाये जा चुके हैं तो नियम ७० के ५वें भाग के अनुसार किसी प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर विचार नहीं हो सकेगा जिस पर कि उसी सत्र में विचार हो चुका हो। तो इसके ऊपर पहले एक पूरा दिन दिया जा चुका है और उसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। इस वजह से यह कामरोको प्रस्ताव वैध नहीं है। दूसरे इसकी अर्जेन्सी भी नहीं है। इस दृष्टि से चूंकि इसके ऊपर अभी थोड़े दिन पहले विचार हो चुका है तो यदि रोज कितने भी महत्वपूर्ण या जिम्मेदार आदमी वहां पर जायं और अपनी-अपनी रिपोर्ट्स शाया करें और हर समय उनकी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर सदन का समय लिया जाय, यह बहुत अनुचित होगा। इस वजह से मैं इसको बहुत आवश्यक नहीं समझता। प्रश्न का तो विचार हो ही चुका है।

दूसरा इसी प्रकार का मदन मोहन उपाध्याय जी का कामरोको प्रस्ताव है। उसमें जो विषय उन्होंने बताया है, खाद्य समया के ऊपर जब बहस हुई थी तो उसमें इस विषय पर भी बहस हो चुकी है। इसको भी मैं इसी बुनियाद पर अवैध करार देता हूं।

साप्ताहिक कार्यक्रम की सूचना

अध्यक्ष---अब मैं माननीय नेता सदन या उनकी अनुपस्थिति में वित्त मंत्री, उपनेता जी, से प्रार्थना करूंगा कि इस हफ्ते में जो कार्यक्रम होगा उसके विषय में सदन को सूचना दें।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)---जनाबवाला, इस हफ्ते में एक तो कंट्रोल आफ रेंट एंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, सन् ५२, पर इस हाउस में डिस्कशन होगा। दूसरे यू० पी० पब्लिक गेम्बिलिंग अमेंडिंग बिल का पुरःस्थापन, उस पर विचार और पास किया जाना होगा। फिर मोटर विहिकिल्स टैक्सेशन बिल जो चल रहा है उसको पास किया जायगा। यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी-बिल यह भी इन्हीं दिनों में आने वाला है और यू० पी० भूमि व्यवस्था बिल जो सिलेक्ट कमेटी में गया है उसकी रपोर्ट पर विचार होगा, यू० पी० हैबिचुअल आफेंडर्स बिल पर भी विचार होगा और यू० पी० भू-गृहादि बिल जो सिलेक्ट कमेटी में गया है उसकी रिपोर्ट पर विचार होगा, बहस होगी और इन सब को पास किया जायगा। कुछ बिल तो सिर्फ इंट्रोडयूस (प्रस्तावित) कर दिये जायंगे इसलिये कि इस हफ्ते में केवल तीन दिन काम होगा, आज, कल और परसों। १० तारीख तक इनमें से जो कुछ होना है वह हो जायगा और बाकी आइंदा होगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---मैं यह जानना चाहता हूं कि १० के बाद कब तक हाउस बन्द रहेगा।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---मैं इस वक्त जो अर्ज कर सकता हूं वह यह है कि १५ तारीख तक तो यकीनन बन्द रहेगा। फिर शुरू १६ को हो, १७ को हो या १८ को हो, इसके मुताल्लिक कल अर्ज कर सकूंगा।

कार्यसूची के क्रम में परिवर्तन

अध्यक्ष---माननीय गृह मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय .....

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मैं आपके द्वारा सदन से यह अनुमति चाहता हूं कि आज के एजेण्डे पर जो कार्यक्रम दिया हुआ है और इस कार्यक्रम में जो ६ नवम्बर पर है वह माननीय गृह मंत्री के प्रस्ताव के पहले ले लिया जाय। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अस्थायी कंट्रोल आफ रेंट ऐण्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक ३० सितम्बर, सन् १९५२ ई०, को खत्म होने वाला है और यहां से यह विधेयक पास होने के बाद फिर कौंसिल में जायगा और कौंसिल से पास होने के बाद फिर यह विधेयक इस प्रदेश का अधिनियम बन सकेगा। तो मैं सदन से आपके द्वारा यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह सदन आज के कार्यक्रम में दिये हुये छठे आइटम को पहले ले ले और इसको स्वीकृति दे दे।

(सदन की अनुमति से कार्य-सूची का विषय संख्या ६ पहले लिया गया।)

उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ़ रेंट ऐण्ड एविक्शन (संशोधन) *विधेयक, १९५२

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ रेंट ऐण्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पूर्व कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी श्री आचार्य जुगुल-किशोर जी की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी। उसका काम हमारे प्रान्त की संपूर्ण कंट्रोल व्यवस्था की उचित समीक्षा करना तथा उसके बाद अपनी रिपोर्ट देना था। कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी ने प्रान्त के सभी कंट्रोल से संबंधित विषयों पर अपनी रिपोर्ट दी और आज जो विधेयक इस सदन के विचाराधीन है उसके संबंध में भी कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश सरकार के विचार करने के लिये पेश की थी। कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उसमें एक तो सब से पहले उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया कि इस समय मकानों के रेंट के सम्बन्ध में कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं मालूम पड़ता है और लोगों को इस प्रकार की शिकायत होती है कि उनकी दरख्वास्तों पर न्यायोचित रूप से गौर नहीं किया जाता। तो उन्होंने कुछ सुझाव पेश किये थे कि निश्चित रूप से वहां एक रजिस्टर रखा जाय। जो लोग मकानों के अलाटमेंट के लिये दरख्वास्त दें उनको ठीक प्रकार से मकानों का अलाटमेंट किया जाय।

दूसरे उनकी मुख्य सिफारिश इस सम्बन्ध में थी कि आज कल जो मकान के मालिक हैं वह अपनी आवश्यकता के लिये अगर मकान चाहते हैं तो वह सिविल-कोर्ट में बिना जिलाधीश की अनुमति लिये कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। जिलाधीश के आदेश के खिलाफ मौजूदा विधान में कोई भी इस प्रकार का प्राविजन नहीं है कि वह अपनी रिवीजन या अपील कमिश्नर के यहां या सरकार के यहां कर सके। इसके अतिरिक्त कमेटी ने कुछ बातों की तरफ और भी ध्यान दिलाया था कि जिस प्रकार का आज यह रेंट कंट्रोल ऐक्ट है उसके अनुसार जो मकानों के मालिक हैं वह किरायेदारों की सुविधा की तरफ ध्यान नहीं देते। मकानों की मरम्मत कराने में, उसकी सफेदी कराने में और उसका आवश्यक सुधार की जरूरत की तरफ वे लोग किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते।

इस कानून के अन्दर एक कठिनाई और भी थी और वह यह कि सन् १९४६ के पहले के जितने मकान थे या बाद के उनके किराये के सम्बन्ध में या उनके झगड़े के सम्बन्ध में और उनके निश्चय करने में कोई खास विधान इसमें नहीं था कि

*५ सितम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

जिलाधीश उसको तय कर सकें। इसके अतिरिक्त कभी अगर मौजूदा विधान के मुताबिक किराया अदा न हो सके तो सिविल कोर्ट में नालिश करना होती थी और उसमें टेनेंट को किसी भी प्रकार से एक इकरारनामा उस वक्त तक करने का अधिकार नहीं था तब तक कि वह नोटिस में दिये हुये तमाम किराये को पूरे तरीके से अदा न कर दे। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसकी ओर कमेटी ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह कहा कि मौजूदा समस्या को हल करने के लिये सरकार इस प्रदेश में मकानों को बनाने की तरफ उचित कदम उठाये।

तो इसकी अवधि ३० सितम्बर को खत्म हो रही है। मौजूदा विधेयक के द्वारा इस बात की इजाजत सदन से मांगी जा रही है कि इस ऐक्ट की अवधि को २ साल के लिये और बढा दिया जाय।

मैं सदन का समय इस विधेयक की आवश्यकता को लेकर नष्ट करना नहीं चाहता। यदि समस्त कंट्रोल्स के अन्दर कोई ऐसा ऐक्ट है जिसकी सब से ज्यादा आवश्यकता है और जिसके द्वारा सब से ज्यादा कल्याण इस प्रान्त की जनता का हुआ है और जिसके बारे में सब से कम आलोचना की गई है वह यही एक रेंट कंट्रोल ऐक्ट है और इसके द्वारा जो प्रान्त के लाखों आदमियों का मकानों में रहना सुरक्षित कर दिया गया है और साथ हम लोगों के जीवन के स्तर को किराये के बढ़ने से रोकने में इस बिल के द्वारा बड़ी सहायता दी गई है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मौजूदा परिस्थिति के अन्दर जब कि हमारे प्रांत में मकान चाहने वालों की संख्या अधिक है और वह स्वाभाविक भी है कि सप्लाई (वितरण) और डिमांड (मांग) के बीच में एक संतुलन होना चाहिये। यदि इस ऐक्ट की अवधि को न बढ़ाया जायगा तो मकानों के मालिकों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध किराये-दारों को निकालने से रोकने के लिये और किराये की वृद्धि को रोकने के लिये नहीं रह जायगा। इसलिये इसको स्वीकार करने की बहुत आवश्यकता है कि इसकी अवधि को २ साल के लिये और बढ़ाया जाय।

मैंने अभी कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में उन सभी बातों का समावेष कर दिया गया है। जहां तक हाउस ऐलाटमेंट के निश्चित नियमों का सवाल है धारा १७ के अन्दर ही सरकार को नियम और उपनियम बनाने का अधिकार है। इसलिये इस प्रकार के सभी सुझाव जो कि कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी ने दिये हैं, जैसे एलाटमेंट का रजिस्टर रखना, प्रायरिटी की लिस्ट बनाना और सरकार के विशेषाधिकार अनुसार कुछ व्यक्तियों को सार्वजनिक हित के अन्दर कुछ प्रायरिटी देना, यह सब ऐसी तफसील और विस्तार की बातें हैं जिनका सम्बन्ध मूल ऐक्ट की धारा १७ से है। कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक सरकार इस सम्बन्ध में एपलीकेशन्स की एक सूची तैयार करने के लिये और एक प्रायरिटी लिस्ट बनाने के लिये कुछ नियम और उपनियम बनावेगी।

जो और बातें इसमें रखी गई हैं सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि इससे टीनेन्ट्स का बहुत काफी हित किया गया है। कुछ आवश्यक प्राविजन इस मौजूदा बिल के द्वारा किये गये हैं कि अगर मालिक मकान मरम्मत वग़ैरा नहीं कराता है तो टीनेन्ट को अधिकार होगा कि वह मकान मालिक को एक महीने का नोटिस दे और अगर इसके बावजूद भी वह मरम्मत नहीं कराता है तो किरायेदार को हक़ हासिल होगा कि वह मकान की सफ़ाई, मरम्मत आदि पर साल भर में कम से कम एक महीना का किराया स्वयं खर्च कर सकता है और वह खर्च किराये में मुजरा कर लिया जायगा।

[श्री बनारसी दास]

इसके अतिरिक्त एक आवश्यक संशोधन यह किया गया है कि अक्सर मकान-मालिक किरायेदार को बहुत सी सुविधाओं से वंचित किया करते हैं, ऐसी अवस्था में वह सुविधायें भी वह अदालत के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी इस प्रकार की मरम्मत की आवश्यकता है कि जो एक महीने के किराये से नहीं कराई जा सकती तो उसके लिये कोई टीनेंट सिविल कोर्ट में जा सकता है और वह वहां जाकर इस प्रकार का संरक्षण मांग सकता है उसकी संरक्षा के लिये मालिक मकान आवश्यक मरम्मत करावे। ऐसी हालत में सिविल कोर्ट की ड्यूटी होगी कि अगर मौके पर मकान मालिक नहीं आता है और संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तो किरायेदार से तमाम रिपेयर का एस्टीमेंट मांगेगा वह उचित रुपया सेंक्शन करेगा वह रुपया किरायेदार वसूल कर सकेगा और साथ-साथ वह किराये में भी उसको काट सकेगा।

इसके अलावा अब तक सिविल कोर्ट में किरायेदारों को जब तक पूरा किराया दाखिल न कर दे तब तक किसी प्रकार के आब्जेक्शन का अधिकार नहीं था। लेकिन इस विधेयक में संशोधन के द्वारा इस बात का प्रावीजन किया गया है कि वह उचित सिक्योरिटी, जो भी कोर्ट मांगे, आब्जेक्शन दाखिल करने वाला दे सकता है।

इसके अतिरिक्त मौजूदा अधिनियम को रहने में कुछ ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टीज भी थीं। रिकार्ड रखने के सम्बन्ध में मकान के अन्दर प्रवेश करने के सम्बन्ध में कुछ कानूनी कठिनाइयां थीं उन सबके बारे में भी इसमें समावेश किया गया है। जिलाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि सूर्य छिपने के बाद भी वह ऐसी किसी जांच-पड़ताल के लिये किसी स्थान में दाखिल हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस बारे में भी प्रावीजन किया गया है कि यदि किसी मकान के किराये के सम्बन्ध में झगड़ा है तो किरायेदार मजिस्ट्रेट को कारण बताकर अपना किराया वहां जमा कर सकता है और मकान-मालिक स्वयं अपनी स्वीकृति दे दे या उसके लिये अदालत में जाकर पिटीशन करे। ऐसी हालत में आप देखें कि इस मौजूदा विधेयक में ऐसे संशोधन लाकर उसको टेनेंट के हक़ में ज्यादा से ज्यादा लाभप्रद बनाने की कोशिश की गई है।

इसके साथ ही साथ मकान मालिकों को यदि स्वयं के रहने के लिये आवश्यकता हो और यदि उनके केस में मिसकेरेज आफ जस्टिस हुआ हो तो उनको भी अपील करने का अधिकार दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर के रिवीजन के फैसले के खिलाफ प्रान्तीय सरकार को अपील सुनने का अधिकार होगा और उसको अधिकार होगा कि वह स्वीकृति दे या न दे तथा सरकार का फैसला अंतिम होगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी ने सरकार से जिन बातों की सिफारिशें की थीं उनका समावेश इसमें किया गया है तथा इस विधेयक के अमल में लागू होने में जो दिक्कतें टैनेंट्स को होती थीं वह भी दूर कर दी गई हैं। इसके द्वारा सबलेटिंग को भी रोक दिया गया है। किसी मकान के खाली होने के बारे में जो अब तक सूचना नहीं मिलती थी उसका भी प्रावीजन इसमें किया गया है।

५--६ साल के अनुभव ने जो कमियां सरकार को बताईं, चाहे वे विधेयक संबंधी हों या उसके अमल संबंधी हों, उनको इस विधेयक में दूर करने की कोशिश की गई है। यह ऐसा विधेयक है कि सदन के माननीय सदस्य सर्वसम्मति से इसको स्वीकार करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। ऐसी हालत में मैं इस विधेयक को सदन के समक्ष विचारार्थ उपस्थित करता हूं और आशा करता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदर्णीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य-समस्या के बाद निवास स्थान की समस्या हमारे प्रदेश की ही नहीं बल्कि सारे देश की महत्वपूर्ण उन समस्याओं में से एक है। इस दृष्टिकोण से जब हम इस संशोधन विधेयक को देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि देखने में तो टेनैंट्स यानी किरायेदारों को इसमें सहूसियतें दी गई हैं। सरकार का यह दावा हो सकता है कि हमने जुगल-किशोर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को सच्चे मानों में लागू किया है, लेकिन मैं कहता हूं कि उसके बहुत ही महत्वपूर्ण अंशों को सरकार ने छोड़ दिया है। माननीय उपमंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि एलाटमेंट के बारे में तमाम जनता को दिक्कतें हैं और शिकायतें हैं तथा इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में इन दिक्कतों को दूर करने के लिये जो सिफारिशें की गई हैं उनको स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन अगर ध्यानपूर्वक देखा जाय तो जो धारा ३ रखी गई है वह अलाटमेंट के बारे में नहीं है बल्कि एविक्शन के बारे में है। किन-किन हालतों में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से एविक्शन की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। अगर इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट देखी जाय तो इनक्वायरी कमेटी ने बहुत से शहरों के नाम दिये हैं और यह बतलाया है कि वहां मकान मालिकों ने यह शिकायतें की थीं कि हमने एविक्शन के लिए इजाजत मांगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, लेकिन उन्होंने एक नाजायज तरीके से हमारी अर्जियों को नामंजूर कर दिया। इसलिये एविक्शन के बारे में इनक्वायरी कमेटी ने सिफारिश की कि १५ दिन के समय के अन्दर कमिश्नर को अपील का मौका दिया जाना चाहिए। यह इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में था। तो धारा ३ में जो नया संशोधन सरकार ने किया है उसके अनुसार सरकार एविक्शन की इजाजत जल्दी मिलने में मदद करती है, अलाटमेंट में कोई मदद नहीं करती है, जो कि माननीय सभासचिव का दावा है कि हम अलाटमेंट में मदद कर रहे हैं।

उन्होंने जिक्र किया कि हम नियमों और उपनियमों में प्रायरिटी लिस्ट और एप्लीकेशन रजिस्टर की व्यवस्था करेंगे। लेकिन जब आप मूल अधिनियम में जिक्र नहीं रखेंगे तो किस प्रकार नियमों में ठीक प्रकार व्यवस्था हो सकेगी? जहां तक एलाटमेंट का सवाल है, माननीय सदस्य धारा ७ की उपधारा (२) देखें। इसमें लिखा हुआ है :—

"The District Magistrate may by general or special order require a landlord to let or not to let to any person any accommodation which is or has fallen vacant or is about to fall vacant."

यह ७ (२) जो कि अलाटमेंट से संबंध रखता है इसमें कौन सा संशोधन माननीय सभा सचिव ने किया है? यह बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी। तो किस प्रकार माननीय सभा सचिव दावा करते हैं कि हमने इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को माना है और एलाटमेंट के बारे में हमने जनता को सहूलियतें दी हैं? कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। बल्कि इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के पृष्ठ ८९ के पैराग्राफ ३, में कहा गया है—

"Regarding those persons who had occupied accommodation as sub-tenants prior to 1946, their sub-tenancy should he regularised by making them direct tenants of the house-owners after necessary adjustment of rents between them."

[जो लोग १९४६ के पहिले भू-गृहादि में शिकमी किरायेदार की हैसियत [से अध्यासीन हो गये थे उनके और मकान मालिकों के दर्म्यान किराये के आवश्यक समवस्थापन करने के बाद उनको प्रत्यक्ष (डाइरेक्ट) किरायेदार बना कर उनकी शिकमी किरायेदारी को नियमानुकूल बना देना चाहिये।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

सन् १९४६ से पहले के जो सब टिनैंट्स हैं उनके लिए इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में साफ-साफ कहा गया है कि ऐसा सब टिनेंट्स का एविक्शन न किया जाय। लेकिन जब हम संशोधन विधेयक को देखते हैं तो धारा ७(३) जो सब-लेटिंग के बारे में है, इसमें १९४६ के पहले के सब टिनैंट्स के बारे में कोई प्राविजन नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जब सरकार ने इन्क्वायरी कमेटी की इस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया है, तो इतने अधूरा विधेयक को लाकर सरकार कैसे दावा करती है कि हमने इन्क्वायरी-कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर यह विधेयक बनाया है? अगर सब लेटिंग के बारे में सरकार यह सिफारिश नहीं मानती है तो मैं इस बात का दावा करता हूं कि प्रदेश में जो हजारों शरणार्थी भाई जो कि उस समय और उसके बाद आये या और लोग जो ४६ के पहले सबटिनैंट थे वे सब निकाल दिये जायंगे। उनके लिए इस विधेयक में कोई गुंजायश नहीं है।

इसके साथ ही साथ माननीय सभा सचिव ने यह दावा किया कि रीजनेबिल रेंट फिक्स करने के लिये सिविल कोर्ट का बड़ा लम्बा और मुश्किल प्रोसीडचोर था। उसको आसान करने के लिये इनक्वायरी कमेटी ने सिफारिश की थी। यह बिल्कुल ठीक है कि ऐसी सिफारिश इनक्वायरी कमेटी ने की थी। लेकिन मैं माननीय सभासचिव से पूछना चाहता हूं कि इसमें कौन सी धारा उन्होंने रखी है जिसके अनुसार रीजनेबिल रेंट तय करने के लिये कोई समरी प्रोसीडचोर रखा गया है। उन्होंने जिक्र कर दिया कि हमने विधेयक में संशोधन कर दिया है। वह कौन सी धारा है? जिसका उन्होंने जिक्र किया है वह सिक्योरिटी के बारे में है। अगर कोई मकान मालिक दावा करता है कि मुझे इतना किराया नहीं मिला है तो पहले अधिनियम में यह था कि किरायेदार को सारी रकम जमा करनी पड़ती थी। आपने केवल यह सहायता दी है कि इस नये संशोधन के जरिये हर एक से चाहे तो वह कोर्ट में उचित जमानत ली जायेगी। लेकिन रीजनेबिल रेंट को जल्द से जल्द तय करने की जो सिफारिश की है उसके लिये कौन सा प्राविजन है? इसमें साफ-साफ इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के पेज ९१ में लिखा हुआ है:—

"The procedure laid down in the Act for the fixation of reasonable rent thus becomes very lengthy and costly. The tenants, therefore, in many cases are not able to take advantage of this protection given by law. We recommend that summary remedy should be provided for the fixation and enforcement of rent on living accommodations."

[उचित किराये को निर्धारित करने की जो रीति अधिनियम में विहित है वह इस प्रकार बहुत लम्बी हो जाती है और उसमें बहुत खर्चा पड़ता है। इसलिये बहुत से किरायेदार कानून के द्वारा प्रदत्त इस संरक्षण से लाभ नहीं उठा सकते। हम सिफारिश करते हैं कि आवास योग्य भू-गृहादि के किराये के निर्धारण तथा उसको लागू करने का कोई सरसरी उपाय होना चाहिये।]

तो मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वह कोई ऐसी धारा हमें दिखला दें जिसके जरिये से रीजिनेबिल रेंट फिक्स करने की कोशिश की गई है। मूल अधिनियम की धारा ५ में जो प्रोसीडचोर था उसके बारे में आप इस वक्त सारे संशोधत विधेयक को देख लीजिये; तो धारा ५ पर कोई भी संशोधन नहीं है। हम इस बात को किस प्रकार मानें कि जो यह दावा किया गया है कि हमने जुगलकिशोर कमेटी की सिफारिशें मान ली हैं? इसके साथ ही साथ ऐडवाइजरी कमेटी का सवाल आता है। उन्होंने कहा कि हर जिले में ऐसी कमेटियां होनी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो कबाल टाउन यानी बड़े-बड़े शहर हैं उनमें दो-दो कमेटियां होनी चाहिये। लेकिन आपने

इसको कोई स्थान नहीं दिया है। आपने ऐडवाइजरी कमेटी का कोई भी जिक्र नहीं किया है। आप रूल्स के अनुसार ऐसा भला ही कर दें लेकिन कानूनी उनको ताकत क्या होगी? आपने इसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जिक्र किया है। ऐसे अधिकार धारा ७ (२) में है।

इस प्रकार यदि ऐडवाइजरी कमेटी कोई भी सिफारिश करती है, चाहे वह हाउसिंग के बारे में हो या रेंट के बारे में हो, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिये लाजमी नहीं होगा कि वह उसकी सिफारिश को मान ले। इस संशोधक विधेयक में ऐडवाइजरी कमेटी का कोई स्थान निश्चित नहीं किया गया है।

इसके साथ ही साथ और भी जो सवाल थे उनमें एक बहुत बड़ी शिकायत यह थी कि देहात के किसी ग़रीब किसान ने किसी शहर के मोहल्ले में एक छोटा सा मकान बना लिया। इसके बारे में मुझे खुद काशीपुर का एक मसला याद है कि वहां एक टी० बी० के मरीज ने एक कमरा खरीदा लेकिन एक साहब ने उसे अपनी घुड़साल के लिये अलाट करा दिया। घोड़ा वहां कभी नहीं बांधा जाता था। अब तीन साल हो गए हैं, वह टी० बी० का मरीज मर भी चुका है लेकिन इस ऐक्ट के अनुसार उस घुड़साल को खाली कराने का अधिकार उस मकान मालिक को नहीं है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो मकानमालिक है वह अपनी जरूरत के लिये लिख सकता है। इसमें अगर कोर्ट इसे सही समझता है तो मकान मालिक को वह मकान मिल जायेगा। इस बात की इस ऐक्ट में कोई गुंजायश नहीं है जब कि पुराने मूल अधिनियम में थी।

माननीय मंत्री यह कहते हैं कि हम इतने क्रान्तिकारी कार्य करने जा रहे हैं कि अगर मकान मालिक को जरूरत है तो वह भी हटा दी जाय। लेकिन साथ ही साथ इन्क्वायरी कमेटी में यह कहा गया है कि जो किरायेदार निकाला जाता है और उस मकान पर खुद मकान मालिक आता है तो ऐसे किरायेदार को सब से पहले मकान मिलना चाहिये। परन्तु इसके बारे में आपके ऐक्ट में एक भी शब्द नहीं है। इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि इस विधेयक की जो भाषा है और अंग्रेजी में जैसा लिखा है उससे यह मालूम पड़ता है कि हमारे गुप्ता जी के विभाग में, माननीय स्पीकर महोदय, कितने एक्सपर्ट हैं जो कि सही स्पेलिंग भी ऐक्ट में नहीं लिख सकते। पेज ४, डी में देखिय। उसमें 'आक्यूपेशन' के बजाय 'आक्यूपनेशन' लिखा हुआ है। यह कौन सा डिक्शनरी का शब्द है, मुझे नहीं मालूम! उसके बाद उसमें 'लैंडलार्ड' को लोन्डलोर्ड' लिखा हुआ है, उसके क्या मतलब हुये? और उसके बाद लिखा हुआ है "सयूस कन्ट्रावेन्शन' यह कौन सी भाषा है, मेरी समझ में नहीं आई!! अगर माननीय गुप्ता जी यह कहें कि ये तो शाब्दिक अशुद्धियां हैं, तो मैं नहीं समझता कि इतनी अशुद्धियां कैसे हो जाती हैं कि "सयूस कन्ट्रावेन्शन" लिख दिया जाय। मैं यह मान सकता हूं कि ऐसी मिस्टेक हो सकती हैं, मगर इस तरह की बीसों ग़ल्तियां हैं। इससे मालूम होता है कि नई भाषा का निर्माण हमारे माननीय मंत्री जी ने किया है। यह तो कुछ मोटी-मोटी ग़ल्तियां हैं जो कि मैंने आपको बतलाई और जिनको मैं आपके द्वारा सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

मैं कहता हूं कि आज सरकार का यह दावा है कि हमने कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, यह बिल्कुल ग़लत है और निराधार है। मैं संशोधन द्वारा इसके बारे में प्रस्ताव करूंगा।

माननीय मंत्री जी यह दावा कर रहे हैं कि पिछले ३० सितम्बर को यह विधेयक खत्म हो रहा है। इसलिये मैं जो कुछ इसमें गल्तियां रह गई हैं आपके द्वारा अपने

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

संशोधनों से उस तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। इसमें है कि एक महीने का किराया मकान के रिपेयर के लिये लगेगा और सरकार टेनेंट को सहूलियत इस विधेयक से अवश्य दे रही है। सरकार ने इसमें यह भी रखा है कि जितने ऐसे क्रान्तिकारी मकान मालिक हैं उनको इस तरह से मजबूर कर दिया जाय कि वे एक महीने का किराया मकान के मरम्मत में लगायें। मैं उनके सामने और दूसरे प्रान्तों की मिसाल रखता हूं। बम्बई प्रान्त में दो महीने का किराया इसके लिये अलाऊ किया जाता है। तो यह रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है और इस बात की मांग की गई है कि सरकार दो महीने का किराया मकान मालिक से मकान के रिपेयर के लिये रखे। क्योंकि आज बम्बई में दो महीने का किराया है और जब कि हमारी सरकार ने एक ही महीने का किराया ऐसे क्रान्तिकारी मकान मालिकों के लिये रखा है। और प्रान्तों में इससे ज्यादा सहूलियतें किरायेदारों की दी जाती हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस सरकार ने एक क्लाज किरायेदारों की सुविधा के लिये इसमें रखा है। माननीय सभा सचिव ने यहां हमारा ध्यान उपधारा ७ (ई) की तरफ आकर्षित नहीं किया। जिन सहूलियतों को उन्होंने बतलाया है वह क्या इससे सब साबित हो जाती हैं? उन्होंने कहा था—

"No order for carrying out of repairs under sub-section (5) shall be made if the Munsif is satisfied that the repairs involved were due to the fault of the tenant."

कोई भी मकानदार इस धारा से फायदा उठा कर कह सकता है कि मेरे मकान की दीवार गिर गई है और बहुत से लोग यह कहेंगे कि उनके उसमें सीमेंट नहीं है, उनके मकान में ईंटें सब निकल गई हैं, और कुछ लोग कहेंगे कि उनके मकान में ह्वाइट वाशिंग खत्म हो गया, तो उसके लिये हमारे पास क्या इलाज है? तो इस उपधारा से वह अपने मकान के लिये जितना इसका उपयोग करना चाहे, कर सकता है। इसमें जो सहूलियतें देने की कोशिश की गई है, उनकी तरफ हमें अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिये। इस तरह से इसमें किरायेदार को बहुत सी दिक्कतें भी हो सकती हैं। अगर मैं इसके लिये कुछ और बातें कहूं तो वे असंगत तो नहीं है। यहां पर, जहां पर रीज़नेबिल रेंट का सवाल है, इस विधेयक में कोई प्रावीजन नहीं है कि किस प्रकार वह रखा जाय, किस प्रकार म्यूनिसिपल बोर्ड या सिविल-कोर्ट मुकर्रर करेंगे। इसका कोई जिक्र इस विधेयक में नहीं है। कहां पर अलाटमेंट स्केल्स होंगे, कहां पर ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट, उसकी सिफारिश को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्वीकार करेंगे या रेंट कंट्रोल ऐण्ड एविक्शन आफिसर मानेंगे, इसका जिक्र नहीं है। जो सबटेनेंट्स हैं, जो मकानों में सन् ४६ के पहले या इस ऐक्ट के बनने से पहले के थे, जो निकाल दिये जायंगे उनकी राहत के लिये कोई भी गुंजायश नहीं है।

मैं पूछना चाहता हूं कि जो इतना लम्बा चौड़ा दावा किया गया कि हमने रिपोर्ट स्वीकार कर ली है कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी की, यह कहां तक सही है। आपने उसको तोड़ मरोड़ कर, उसको डिस्टार्टेड करके स्वीकार किया है, विकृत रूप में स्वीकार किया है। हमारी सरकार साबित करे कि जो बातें मैंने कही हैं वह ग़लत हैं। अगर मेरी ग़लती है तो मैं मानने को तैयार हूं। जनवरी, ५१, के पहले के ऐक्ट में लिखा हुआ है कि जनवरी, ५१, के बाद जितने मकान बनेंगे, उस दिन जो बन रहे थे फर्स्ट जनवरी को या आगे जो बनेंगे उससे मकानों की समस्या हल हो जायगी। सरकार यह कहती थी।

यह भी कहा गया था कि मकान मालिक नये मकानों में रहने लगेंगे, लेकिन उद्देश्य और कारणों में इस विधेयक के यह स्वीकार किया गया है कि इतने मकान नहीं बन पाये हैं

और अब भी जितनी न्यू कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्ज हैं क्या उनमें रेंट कंट्रोल ऐण्ड एविक्शन ऐक्ट बिल्कुल नहीं लागू होगा? उसके लिये सरकार का क्या प्रोग्राम है? जो कुछ भी मकानात बने हैं, सौ, दो सौ, चार सौ उनमें कौन सा ऐक्ट लागू होगा? क्या वही पुराना दकियानूसीपना, वही लालेस ला लागू होगा जो डिफेंस आफ इंडिया ऐक्ट के समय लागू था कि जो चाहे वह सौदा कर लें और जब चाहें निकाल दें किरायेदार को? इसके लिये इस विधेयक में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, न भाषण में उन्होंने बतलाया है। सन् १९५२ से लेकर सन् ५४ तक जितने मकान बनेंगे, उनमें जितने किरायेदार रहेंगे उनके लिये कोई ऐक्ट नहीं होगा। यह सरकार की नीति है। जनवरी, ५१ के पहले वाले मकानों के मालिकों और किरायेदारों के लिये दूसरी नीति और जो जनवरी, ५१, के बाद जो अब तक किरायेदार रहेंगे उनके लिये दूसरी। कहा यह जाता है कि वह तो बिल्कुल नये मकान बन रहे हैं और उनके लिये सहूलियत है। कितनी बड़ी विषमता है, कितना बड़ा कांट्रेडिक्शन है!

मैं तो यह चाहता हूं कि सरकार इसमें जनवरी, ५१ वाली क्लाज़ हटा देती ताकि वह सब किरायेदार पर चाहे वह पहले रहते हों जनवरी, ५१ के या बाद के हों और वह सब मकानदार जो पहले के हों या बाद के उनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो पाता, कोई क्लास नहीं हो पाता। लेकिन सरकार ने दो क्लास बना दिये हैं और तीसरा क्लास ऐसा बनने वाला है कि जो सन् ४६ से पहले रहते थे और सन् ४६ के बाद। इस प्रकार की नीति से जुगल किशोर इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट का मंशा पूरा होने वाला नहीं है। अगर वह कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना चाहते हैं तो हमारी पार्टी की ओर से जो संशोधन आयेंगे उनको सही मानों में स्वीकार करेंगे।

श्री भूपाल सिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त जी की एक बात से तो मैं जरूर इत्तफ़ाक करता हूं और वह यह कि जो उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक्स पकड़ पायीं मैं चाहता हूं कि सरकार जरूर इस बात की ओर ध्यान देगी कि इनकी तरफ से जो प्रकाशन निकलें उनमें सही-सही स्पेलिंग दी जायं। बाक़ी जो बातें उन्होंने कहीं, मैं समझता हूं कि कुछ क़ानूनी और प्रशासकीय मामलों में वे भेद नहीं कर सके। जितनी बातें उन्होंने कहीं कि इस वर्तमान संशोधन में ये ये ख़ामियां हैं और अगर वे उन पर जरा गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो वे ऐसी बातें हैं कि यदि उनमें कोई कमी भी वे महसूस करते हैं तो सरकार ने अभी विश्वास दिलाया कि वह उस सम्बन्ध में भी उपर्युक्त नियम बनाने जा रही है। उन नियमों से वे बातें भी दूर हो जायंगी। जैसे उन्होंने कुछ ऐलाटमेंट की बात कही। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सा ऐसा संशोधन लाया जा सकता है जिससे कि हम किसी कर्मचारी को, अगर वह ठीक तरीक़े से काम नहीं करता है, ठीक तरीक़े से काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। यह तो एक प्रशासकीय मामला है और सरकार इस बात का विश्वास दिलाती है कि ऐसे मौकों पर अब एलाटमेंट सही तरीक़े से किये जायंगे जिससे जो शिकायत पिछली मर्तबा रही है वह अब न रहे। वह कोई कानून की शिकायत नहीं है बल्कि कभी-कभी ऐसा हुआ कि एक आदमी की अर्जी पहले आयी मगर उसको बाद में मकान मिला और एक आदमी की अर्जी बाद में आयी उसको पहले मकान मिला।

साथ ही उन्होंने एक बात पर बहुत जोर दिया और यह भी मान लिया कि उसको तो जरूर ही खाद्य मंत्री मान लेंगे। वह उन्होंने सन् १९५१ के बाद के मकानों की बात कही। यह उनका और हमारा भी अनुभव है कि जब यह रेंट कंट्रोल ऐक्ट सरकार ने लागू किया तो वे लोग जो पैसे वाले थे और जो मकान बनवा सकते थे उन्होंने मकान बनवाना बन्द कर दिया और मकान न बनने से जो सारे प्रदेश को

[श्री भूपाल सिंह खाती]

तकलीफ हुई वह उनसे और हमसे छिपी नहीं है। यह तो ज़रा नीति निपुणता की बात है। इसलिये नारायणदत्त जी को इतनी बेसब्री नहीं करनी चाहिये। मकान तो बन जायं। उन पर भी कानून लग सकता है। जब जमींदारी उन्मूलन हो सकता है तो इन छोटी छोटी बातों के लिये तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही पौधा उग रहा हो, ऊपर से अगर हम उसके ऊपर आग झोंकने की कोशिश करें तो वह पौधा उग नहीं सकता। हमारे प्रान्त में मकान बनेंगे ही नहीं अगर पहले से ही उन पर कोई क़ानून लागू कर दिया जावेगा। मैं समझता हूं कि अभी ऐसे सामाजिक स्तर पर तो हम नहीं पहुंचे हैं या हमारे समाजवादी भाई ही इस बात का दावा करते हों कि हम धन और सम्पत्ति को बराबर से बांट रहे हैं। जैसी हमारे समाज की हालत है उसमें कुछ लोगों के पास पैसा है और अधिक लोग ग़रीब हैं और मकान वे ही लोग बना सकते हैं जिनके पास पैसा है। तो जब तक उनको हम ख़ास तरीक़े पर मकान बनाने के लिये तैयार नहीं करेंगे, हमारे जो ९० प्रतिशत लोग बिना मकान के शहरों में रहते हैं उनकी समस्या हल नहीं होगी। भले ही थोड़े समय के लिये उनको ज्यादा किराया भी देना पड़े, यह तो उतनी बड़ी तकलीफ नहीं है जितनी कि बिना मकान के रहने में होगी। बाद को अगर इस बात की ज़रूरत समझी जायगी और यह देखा जायगा कि वे कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे जन-साधारण को तक़लीफ है तो जो कानून आज संशोधन के रूप में आया है उसमें फिर एक संशोधन इस सदन में आ सकता है और वे प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं जिससे जन-साधारण को सुविधा मिले।

मैं तो यह समझता हूं कि जैसा मैंने शुरू ही में अर्ज किया, अध्यक्ष महोदय, नारायण दत्त जी के विरोध में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे वर्तमान संशोधन में कोई लचरपन पाया जाता हो। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर भविष्य में कोई ऐसी बात होगी तो वह दूसरे संशोधन के द्वारा ठीक की जा सकती है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर नियमपूर्वक काम किया जायगा तो वे तकलीफें जिनका नारायणदत्त जी ने जिक्र किया, नहीं रहेंगी। इतना ही मुझे इस संशोधन के पक्ष में अर्ज करना है।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक के ऊपर माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने बहुत कुछ कहा लेकिन मैं यह आशा नहीं करता था कि वे जिस पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं उस पार्टी से सम्बन्ध रखते हुये ऐसी विचारधारा सदन के सामने प्रकट करेंगे जैसी कि उन्होंने की।

उन्होंने दो तीन बातें यह बतलायीं कि इस विधेयक के अन्दर न तो रिज़नेबिल रेंट की परिभाषा है, न ऐलाटमेंट के रेस्ट्रिक्शन को हटाया गया है और न सेक्शन सेविन को संशोधित किया गया है। मेरे खयाल में या तो उनका ग़लत खयाल है या उन्होंने इसको अच्छी तरह पढ़ा नहीं है। इस संशोधन विधेयक के अन्दर, जैसा कि माननीय बनारसी दास जी ने बतलाया सेक्शन ७ का भी संशोधन किया गया है। सबलेटिंग (sub-letting) के लिये जो उन्होंने कहा कि इसको बन्द कर दिया गया है, उसको बन्द नहीं किया गया बल्कि उसको एक अच्छे ढंग से रख दिया गया है। पहले यह था कि मालिक मकान की अनुमति या स्वीकृति होने पर कोई टेनेंट सबलेटिंग कर सकता था लेकिन उसमें मुकदमेबाजी ऐसी होती थी कि झूठी शहादतें पेश की जाती थीं और यह कहा जाता था कि हमने उनको इजाज़त ले ली है जब कि इजाज़त नहीं ली जाती थी। अब इस संशोधन विधेयक में यह रखा गया है कि मालिक मकान की जो अनुमति ली जायगी वह तहरीरी होगी, लिखित होगी। पहले यह भी था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर इजाज़त देता था तो सब लेटिंग मान लिया जाता था परन्तु उसमें

कभी कभी ऐसी आपत्तियां उठती थीं कि मालिक मकान नहीं चाहता था उस आदमी को जिस को किसी टेनेंट ने सबलेटिंग कर दिया हो और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भी इजाजत दे दी हो। इस विधेयक के अन्दर हमारे माननीय मंत्री ने इस नुक्स को दूर कर दिया है और यह रख दिया है कि अगर डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट या मालिक मकान सबलेटिंग की इजाजत दे देते हैं तो वह सबलेटिंग माना जायगा। ऐसी सूरत में बहुत सी मुकदमे-बाजी खत्म हो जायगी। तो यह नहीं कहा जा सकता कि सबलेटिंग को इसमें बिल्कुल बन्द कर दिया है। सबलेटिंग को बन्द नहीं किया गया है बल्कि उसको और ज्यादा सहूलियत दे दी गयी है।

जहां तक एलाटमेंट का ताल्लुक है, एलाटमेंट के मुताल्लिक जितनी दिक्कतें होती थीं वह दिक्कतें सेक्शन ७ के अमेंडमेंट से दूर कर दी गयी हैं।

रीजनेबिल रेंट की जो परिभाषा माननीय नारायणदत्त जी चाहते हैं वह मैं उनको माननीय अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि डेफिनीशन के सेक्शन २ में दी हुई है। इसके अलावा रीजनेबिल रेंट की परिभाषा इस विधेयक के अन्दर जरूरी नहीं मालूम होता कि रीजनेबिल रेंट के मुताल्लिक बहुत से मुकदमे ऐसे चले जिन से करीब २ जनता भी, किरायेदार भी, मालिक मकान भी और अफसरान भी सब इस नतीजे पर आ गये हैं कि रीजनेबिल रेंट क्या होता है और किस-किस बात का लिहाज रखते हुये उसको तय करना चाहिये। मैं इस पर ज्यादा न बोल करके यह बतला देना चाहता हूं कि यह विधेयक ऐसा है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। माननीय मंत्री जी ने सिर्फ इसको दो साल की अवधि के लिये रखा है, यानी सन् १९५४ तक के लिये रखा है, लेकिन जो स्थिति इस वक्त देखने में आती है, जैसी दिक्कतें अकोमोडेशन या मकान की कमी की वजह से हो रही हैं, जो दिक्कतें मालिक मकान और किरायेदारों के सामने आती हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुये मैं तो यह कहता हूं कि उनको इसकी अवधि और ज्यादा बढ़ानी चाहिये थी। कम से कम तीन वर्ष की अवधि रखना चाहिये थी। अगर दो वर्ष की अवधि ही रखी गयी है, वह भी ठीक है। मैं यह जानता हूं कि अभी स्थिति ऐसी है कि जो इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं है क्योंकि अकोमोडेशन की काफी जरूरत है। ऐसी सूरत में हमको यह विधेयक फिर इस सदन के सामने लाना पड़ेगा। जहां तक मैं अन्दाज लगाता हूं मकानों की हालत को देखते हुये मैं इस नतीजे पर आता हूं कि यह ऐक्ट हमको उस वक्त तक लागू रखना पड़ेगा जब तक कि एक न एक दिन ऐसा हो जाय कि या तो मालिक मकान की जहनियत ऐसी हो जाय कि वह अपने टेनेंट को यह समझे कि वह रीजनेबिल ढंग से रह रहा है और उसको सब सहूलियतें देनी चाहिये, या वह नौबत आ जाय कि जिस तरह से जमींदारों से टेनेंट या काश्तकार तंग आगये थे और एक दिन ऐसा आया कि जमींदारी का खात्मा हो गया, उसी तरह से वह दिन आ जाय कि मकानों के लैंड लार्ड्स से टेनेंट्स या किरायेदार तंग आ जायं और कुछ मुआविजा देकर के वे मकानों के मालिक बन जायं।

इस वक्त मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, मेरा यह विचार है कि जो अधिनियम अभी हमारे सामने पेश किया गया है इसमें कम से कम आलोचना और अधिक से अधिक कल्याण हम लोगों का निहित है। यह मकानों की समस्या दो भागों में बांटी जा सकती है। एक तो वे मकान हैं जो पुराने लोगों के पास हैं और जिनमें एक अर्से से लोग टेनेन्ट की तरह रह रहे हैं। दूसरे वे मकान हैं जो नये बन रहे हैं या जिनका नया बनना आवश्यक है। इस अधिनियम के जरिये विशेषतया इस बात पर ध्यान रक्खा गया है कि जो लोग पहले से मकानात के अन्दर रह रहे हैं, किराया अदा कर रहे हैं, उनको इसमें

[श्री बलवन्त सिंह]

सहूलियतें दी जायें। दिक्कतें जो पिछले अधिनियम में प्रतीत हुईं उनमें से एक यह भी थी कि मकान-मालिक मकान का किराया बढ़ाने के ग़रज़ से तरह-तरह की कार्यवाहियां किया करते थे, और कभी कभी बिजली काट देते थे, कभी कभी किसी मकान की छत और दीवारें तक गिर जाने दी जाती थीं और कोशिश इस बात की की जाती थी कि मकान गिर जाय जिससे वह नये सिरे से थोड़ा बहुत हिस्सा बनवा दें और अधिक किराये पर किसी दूसरे टेनेन्ट को दे दें। इस ऐक्ट के अन्दर खासतौर से इन दिक्कतों को दूर किया गया और इस बात की कोशिश की गई है कि मकान मालिकों की वे हरकतें जिनके ज़रिये से वे अपने किरायेदारों को दिक किया करते थे दूर कर दी जायं।

इसमें इस बात की कोशिश की गई है कि अगर कोई मकान मालिक अपने मकान की मरम्मत नहीं करता या बिजली और नल (पाइप) काट देता है तो वह अब ऐसा न कर सकेगा। अभी मेरे लायक़ दोस्त नारायण दत्त जी ने यह बताया कि इसमें एक ही महीने का किराया रिपेयर्स में दिया जायगा, मगर मैं समझता हूं कि ७ (ई) जो नया सेक्शन इसमें रक्खा गया है इसमें दो हिस्से हैं। सब् सेक्शन ३ में पीरियाडिकल रिपेयर्स को रक्खा गया है। फिर सब-सेक्शन चार में ऐसी रिपेयर्स रक्खी गयी हैं जो बड़ी हैं वह अदालत में एक दरख्वास्त दे कर कराई जा सकती हैं। जो दिक्कतें मेरे मित्र ने बतलाईं उन्ही का इसमें खासतौर से खयाल रक्खा गया है।

एक बात उन्होंने यह भी कही कि ऐक्ट के अन्दर मकान मालिक को कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं दी गई कि वे अपने किरायेदारों से मकान वापस ले सकें। मैं इस बात को भली प्रकार जानता हूं कि अगर जरा सी भी मकान मालिकों को तिल भर भी जगह इसमें मिल जाती और मकान मालिकान को इसमें मकान खाली कराने की छूट दे दी जाती तो मैं समझता हूं कि कोई पहला किरायेदार अपनी जगह पर सही सलामत नहीं रह सकता था। सभी जानते हैं कि मकान मालिक को कोई जरूरत रही हो या न रही हो जिस वक्त कानून के अन्दर ऐसी बात आ जायगी तो फौरन् इस बात का प्रयत्न किया जायगा और तरह-तरह की जरूरतें निकाली जायंगी और किरायेदारों से मकान खाली करवाने की कोशिश की जायगी। कौन नहीं जानता कि तरह तरह की कोशिशें अब भी की जाती हैं कि पुराने किरायेदारों को बेदखल किया जाय? कुछ अर्से तक मकान मालिक वह मकान अपने पास रखते हैं और उसके बाद रात-दिन हम देखते हैं कि किराया बढ़ा कर, दुगुना और चौगुना करके, वह उसे दूसरे किरायेदारों को दे देते हैं।

इसलिये मैं यह समझता हूं कि इसके अन्दर जो बातें रक्खी गई हैं वे बहुत सोच समझ कर रक्खी गई है और इसलिये रक्खी गई हैं कि मकान मालिक को कोई ऐसी सुविधा न दी जाय और जो थोड़ी बहुत दी भी गयी हैं मैं समझता हूं कि उनका दुरुपयोग ही होगा, सदुपयोग नही।

एक बात यह कही गयी कि साहब पहले के किरायेदारों का तो खासतौर से इसमें खयाल रखा गया है मगर जो सन् ५१ के बाद के मकानात हैं या बन रहे हैं उनका क्या होगा। इसका जवाब तो मेरे मित्र ने अभी दिया था। दो तरह की बातें होती हैं। एक क़ानून की होती है और एक बात ऐसी होती है कि भविष्य की बात सोची जाती है। इन मकानों के विषय में जो आगे बनने वाले हैं और सन् १९५१ तक बने हैं उनके लिये खासतौर से इस बात का खयाल रखा गया है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में मकान बनावें। जबतक लोगों को कोई सहूलियतें नहीं होंगी और पुराने मकानों की तरह से नये मकानों पर भी प्रतिबंध हुआ, तो लोग मकान बनाने के लिये तैयार नहीं होंगे क्योंकि हमारे प्रदेश के अन्दर यह बदक़िस्मती है कि लोग देश की सहूलियत की तरफ ध्यान नहीं देते। बल्कि अपने नफ़ा नाजायज की तरफ ध्यान रखते हैं। इस बात का खासतौर से खयाल रक्खा गया है कि लोग नये मकान बनवावें और उनके ऊपर किसी तरह का प्रतिबन्ध न लगे। लोग तभी मकान बना सकते हैं जब उनको पूरी तरह से उनके मकानों का नफा हासिल हो सके। मैं समझता हूं कि एक समय ऐसा आयेगा जब कि जमींदारी आबालिशन के कानून से जिस प्रकार की किसानों को पूरी तरह से सहूलियतें दी गईं उसी तरह

से वह दिन ईश्वर करे हमारे सामने आवे जब कि वह मकानों का मसला भी उसी तरह से हल हो और लोगों को उसी तरह से सहूलियत हो जाय।

एक बात श्री तिवारी जी ने खासतौर से यह कही कि इसमें मिस्प्रिन्ट है। यह तो छोटी सी बात है। कौन नहीं जानता कि किताबें जब छपती हैं उसमें भी मिस्प्रिन्ट हो जाया करता है। अगर आप उसको गौर से पढ़ते तो वह मिस्प्रिन्ट होने वाला शब्द नजर आता और वह उस शब्द को समझ जाते कि वहां पर क्या होना चाहिये था। मैं समझता हूं कि जो विधेयक हमारे सामने रखा गया है यह विधेयक ऐसा है कि जितने विधेयक अब हमारे सामने आये हैं चाहे वह जमींदारी उन्मूलन ही का क्यों न हो यह किसी से कम महत्व का विधेयक नहीं रहता है क्योंकि यह भी बहुत ज्यादा कल्याणकारी विधेयक नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम लोग इसके ऊपर कम समय लें और इसको शीघ्रता के साथ पास होने दें।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय जो बिल हाउस के सामने उपस्थित है उसके ऊपर जो भाषण हुये उनको मैंने काफी ध्यान से सुना और विशेष कर अपने मित्र तिवारी जी का भाषण बहुत ध्यान से सुना।

मेरी तो यह राय रही है कि तिवारी जी एक योग्य व्यक्ति हैं और वह काफ़ी पढ़ने लिखने के बाद ही यहां पर आलोचना करते हैं। लेकिन आज उन्होंने जो भाषण दिया उससे मुझे ऐसा आभास हुआ कि चूंकि वह अपोजीशन में हैं इसलिये उनका यह फ़र्ज़ हो जाता है कि वह अपोज़ीशन करें। इसलिये चाहे कोई आरगुमेंट उनके पास हो या न हो चूंकि वह अपोज़ीशन में हैं इसलिये वह अपोज़ करते हैं। क्योंकि उसमें उनकी आइडेन्टिटी मेन्टेन होती है इसलिये उन्होंने इस बिल का अपोज़ीशन किया।

जो खास बातें उन्होंने कहीं उनमें एक यह थी कि आचार्य जी ने कंट्रोल कमेटी के ऊपर जो रिपोर्ट दी है उसमें जितनी सिफारिशें हैं उन सब को इम्पलीमेंट नहीं किया गया। दूसरे उनका कहना यह है कि इसके अन्दर उन मकानों के मालिकों को जो उन मकानों को वापस चाहें और उनमें रहना चाहें उनके लिये कोई सहूलियत नहीं दी गयी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून के पास होने के बाद जो टेनेंट एजेक्ट हो जायंगे उनके लिये कोई रेमेडी उसके अन्दर नहीं रखी गयी है। उसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि माननीय गुप्ता जी का जो विभाग है उसमें न्यायोचित काम नहीं होता है और उसकी इंगिलिश भाषा की भी बहुत टीक-टिप्पणी उन्होंने की। मैं माननीय तिवारी जी के भाषण के उस हिस्से से इत्तफाक करता हूं जिसमें उन्होंने यह कहा कि जहां तक मकानों की समस्या है वह हमारे देश में खाने के बाद दूसरी समस्या है। यह उनका कहना ठीक था। जहां तक उन्होंने यह कहा कि कमेटी की रिपोर्ट को फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया उसके लिये मैं यह कहूंगा कि कभी भी यह दावा नहीं किया गया था कि उस कमेटी की सारी सिफारिशों को इसके अन्दर इन्कारपोरेट किया गया है। कहा तो यह था कि जो मुख्य-मुख्य और महत्वपूर्ण सिफारिशें कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी ने की हैं उसके पीछे जो भावना थी उस को लेकर जो अब तक के कानून थे उनमें तरमीम की गयी है। कोई भी गवर्नमेंट इस बात का दावा नहीं कर सकती है कि उसका कोई भी लेजिस्लेशन परफ़ैक्ट और आइडियल है और उसमें कोई खामी नहीं है। कोई भी लेजिस्लेशन हो उसके अन्दर हम स्क्रूटिनी के बाद खामियां निकाल सकते हैं।

एक तो उनका कहना यह था कि एलाटमेंट का तरीक़ा मुनासिब नहीं है और फ़ेवरेटिज्म और नेपोटिज्म उसमें चलता है और इस तरह का कोई हिसाब रखा जाना चाहिये कि एप्लीकेशन्स का कोई नम्बर वगैरा हुआ करे। माननीय मंत्री जी की तरफ से जो भाषण दिया गया है उसमें बतलाया गया कि उसी स्प्रिट के अन्दर अब नियम बनेंगे और रेन्ट कंट्रोल आफ़िसेज में ऐसे रजिस्टर रहेंगे जिनमें अर्जियां तरतीब से दर्ज कर के रखी जायंगी और कोशिश की जायगी कि प्रायरिटी लिस्ट के अनुसार ऐलाटमेंट किये जायं।

[श्री नवल किशोर]

दूसरी बात यह है कि ऐडवाजरी कमेटी का कहीं जिक्र नहीं है, उसके बारे में भी यही होगा कि जो नियम बनेंगे उनमें उसका भी प्राविजन होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि यह जो साल में एक महीने का किराया मरम्मत के लिये दिया जा रहा है ऐसा हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है। उसके लिये उन्होंने बम्बई की मिसाल दी। जब कभी भी कहीं गवर्नमेंट कोई बात बम्बई में करती है तो माननीय तिवारी जी असन्तुष्ट होते हैं और कहते हैं कि सरकार तो नक़ल किया करती है, लेकिन आज जब कि बम्बई में उन्होंने २ महीने के किराये का क़ानून मरम्मत के लिये देखा तो स्वयं उन्होंने ही बम्बई की मिसाल पेश कर दी, लेकिन वह भूल गये कि बम्बई का जो किरायों का स्टैंडर्ड है वह यू० पी० के किरायों से तिगुना और चौगुना है।

इसके बाद उन्होंने जनवरी सन् ५१ के मकानों के बारे में भी कहा कि वह भी इस क़ानून के अन्दर ले लेने चाहिये। सभी को मालूम है कि यह मकान गवर्नमेंट के आश्वासन पर बने हैं। तो अब जब कि अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है और गवर्नमेंट अपना आश्वासन तोड़ दे कहां तक मुनासिब होगा।

यह भी वह कहते हैं कि मकान ज्यादा तादाद में नहीं बने हैं। जब वह इस बात को महसूस करते हैं कि वह अब भी बहुत कम बने हैं तो अगर उनको भी कानून में ले लिया जाय तो और जो कुछ बनने वाले हैं वह भी बनना बन्द हो जायंगे। दो ही तरीक़े मकान बनने के हैं एक तो यह कि गवर्नमेंट अपने मकान बनवावे और दूसरे यह कि आप नये मकान बनाने के लिये लोगों को सुविधायें और प्रोत्साहन दें। जब तक आप प्राइवेट लोगों को इस तरह का इम्पीट्स नहीं देंगे तब तक मैं नहीं समझता कि मकान किस तरह से बन सकते हैं। उनकी इस तरह की रिकमेंडेशन पर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है।

इससे पहले श्री गेंदा सिंह जी ने भी कहा था कि जो जेड० ए० एफ़० का रुपया है उसको डेवलपमेंट के काम में ख़र्च कर दिया जाय। तो इस किस्म के आर्गुमेंट्स उधर से आया ही करते हैं इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है।

इसके उपरान्त उन्होंने कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की बात कही और सारे विभाग की इंग्लिश पर आलोचना कर डाली। मैं समझता हूं कि ऐसा करना मुनासिब नहीं था।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि कंट्रोल की स्थिति को देखते हुये कि हमको मकानों की अभी काफ़ी आवश्यकता है मैं समझता हूं कि यह जो विधेयक हमारे सामने है इसमें काफी इस बात की कोशिश की गयी है कि लैंडलार्ड के खिलाफ टेनेंट की रक्षा की जाय। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन इस विधेयक को स्वीकार करेगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त जी के भाषण के सुनने के बाद मैंने बहुत से भाषण इस सदन में सुने, मुझे दुख हुआ कि हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने यह नहीं पढ़ा कि यह बिल यहां क्यों लाया गया। मैं यह सोचता था कि इस बिल को भी यदि सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाता तो अच्छा होता। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे इस हुकूमत से सख्त शिकायत है कि जब सेलेक्ट कमेटी की पहिले बात हुई थी और मैंने शिवनारायण जी के उसमें रखने का प्रस्ताव किया था, लेकिन उनको नहीं रखा गया। फिर सेलेक्ट कमेटी से क्या फायदा? मुझे उम्मीद है कि आज ही गवर्नमेंट की तरफ से माननीय शिवनारायण जी ने जो कुछ कहा उस पर प्रकाश डाला जायगा।

मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि इन दो तीन सालों में जो सब से बड़ा संघर्ष टेनेंट्स और लैंड-लार्ड्स में मंसूरी में हुआ उससे सरकार ने कोई फायदा नहीं उठाया। मंसूरी ही प्रान्त में ऐसा टाउन है, जहां पर टैनेंट्स और लैंड लार्ड्स में बड़ा भारी झगड़ा हुआ है,

सत्याग्रह भी हुआ, कुछ लोग जेल भी गये और काफी दिनों तक उसकी चहल पहल इस प्रान्त में रही । वहां के मकान मालिकों नें वहां के टेनेंट्स से जब कि रिफ्यूजीज़ बाहर से आये तो मनमाना किराया चार्ज कर लिया और उसको ऐग्रीड रेंट के नाम से ले लिया । वह ऐग्रीड रेंट ऐसेसमेंट रेंट पर, २५ प्रतिशत जोड़ कर जो आता है उससे कहीं ज्यादा था। पुराने कंट्रोल ऐक्ट की दफ़ा ५ में आप ने यह लिखा हुआ है ।

" Except as hereinafter provided in this section, the rent payable for any accommodation to which this Act applies shall be such as may be agreed upon between the landlord and the tenant. "

इस प्राविज़न को लेकर उन्होंने आपस में फैसला कर लिया और चूंकि उनको मकानों की ज़रूरत थी इसलिये किरायेदारों ने ऐग्रीमेंट कर लिया, जो किराया ठहराया गया वह बहुत ही ऊंचा था । उसको ही हटाने के लिये बहुत बड़ा सत्याग्रह हुआ था। इसका फायदा गवर्नमेंट ने नहीं उठाया ।

सबलेटिंग के बारे में भी चर्चा की गयी । सबलेटिंग का जो प्राविज़न किया गया है वह बिलकुल ग़लत है । अगर कोई मकान मालिक किसी को कोई मकान दे देता है तो वह एक तरह से असली मकान मालिक बन जाता है । बड़े-बड़े मकान बड़े-बड़े लोग किराये पर ले लेते हैं और उसको हिस्सों में बांट देते हैं और जो असली किरायेदार होता है वह उनसे किराया वसूल कर लेता है । तो मैं हुकूमत से चाहूंगा कि और सब जानते हैं इस बात को, लेकिन इस पर भी हमारी सरकार ने कोई ऐसा संशोधन लाने की कोशिश नहीं की। मैं सरकार से कहूंगा कि जिस समय सब टेनेंट के नाम पर किसी दूसरे को मकान में रखा जाय और सब टेनेंट कहे कि हमें टेनेंट के रूप में माना जाय तो मिडिलमैन अगर हटा दिया जाय और किराया सीधा लैंड-लार्ड को दे दिया जाय तो इसमें बहुत सहूलियत होगी और ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं होने पायेगी। लेकिन इस बारे में भी कोई प्राविज़न नहीं रखा गया है । कोई माननीय सदस्य कहते थे कि नारायणदत्त जी ने कह दिया सब लेटिंग के बारे में.....नारायणदत्त जी ने इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट का ज़िक्र किया । हम लोग सब टेनेंसी के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हम यह चाहते हैं कि जो सब टेनेट हैं उसको असली टेनेट माना जाय ।

मुझे बड़ा दुख हुआ जब माननीय भूपाल सिंह खाती ने कहा कि हम तो प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि ५१ में जो मकान बने हैं उन पर इस ऐक्ट का प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मकान बनेंगे कैसे ? ५१ में उन्हें मकान बनाने की सहूलियत दी गयी। मगर उन्होंने फिर भी मकान नहीं बनाये । सीमेंट, लोहा, टिन सब चीजें ले लीं, लेकिन फिर भी मकान नहीं बनवायें। यहां पर लिखा हुआ है —

" There is still an acute shortage of accommodation in all the large towns of the State. In order to encourage new constructions, houses constructed after January 1, 1951, were kept out of the purview of the Act. This step has, however, not so far materially eased the position. "

[राज्य भर में अब भी निवासस्थान की बहुत कमी है । नये निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये १ जनवरी, १९५२ के उपरान्त निर्मित मकानों को उस अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर रक्खा गया था । परन्तु ऐसा करने से भी अभी तक परिस्थिति में कोई आसानी पैदा नहीं हुई ।]

तो सवाल यह है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि पोज़ीशन ईज नहीं हुई है । मैंने कोई नया मकान ऐसा नहीं देखा जो खाली पड़ा हो। मैं यह जनता हूं कि आज मजदूरी ज्यादा है, चीजों की क़ीमतें ज्यादा हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुये अगर मकानों के किराये, अगर कुछ और बढ़ाये जायं तो यह मानने की बात हो सकती है । लेकिन अगर उन पर कोई कंट्रोल नहीं रखा जायगा तो सरकार जो सहुलियत देती है लोहा, सीमेंट वगैरह की उसकी जरूरत नहीं है । कितने सिनेमा ब्लैकमार्केट से सामान लेकर बनाये गये। तो मैं समझता हूं कि सरकार को उन्हें लेना चाहिये और उनका वाजिब रेंट रख कर उनको भी किराये पर उठा देना चाहिये ताकि हमारे प्रान्त के अन्दर जो आज मकानों की समस्या है उसको हल कर सकें ।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

मैं और भी कुछ बातें कहना चाहता था। लेकिन मैं समझता हूं कि जो संशोधन अलग-अलग खंडों पर आयेंगे उन पर हम विचार कर लेंगे। लेकिन एक बात का मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने टेनेंस के लिये अब यह कर दिया है और उनको मरम्मत वगैरह की सुविधाएं दे दी हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई सालाना किराये पर रहने वाला हो तो छः महीने का किराया पहले जमा कर दे। मैं समझता हूं कि इससे हमारे किरायेदारों की मुसीबत आयेगी। मैं पहाड़ से आया हूं। वहां पर सालाना किराये पर मकान दिये जाते हैं। तो एकदम इतना बड़ा किराया देना बड़ा मुश्किल हो जायगा। मान लीजिये कि कोई सरकारी अफसर सालाना किराये पर कोई मकान लेता है तो उसके लिये छः महीने का किराया एक दम जमा करना बड़ा कठिन होगा। तो मैं समझता हूं कि छः महीने की बात जो है बहुत ज्यादा है। वह भी कम होना चाहिये। और एक महीने का किराये वाले जो सवाल हैं जब कोई ऐसा टेनेंट रहता हो मैं जरूर चाहता हूं कि मकान मालिक को अगर मकान की आवश्यकता अपने काम के लिये हो जैसा कि नारायणदत्त जी ने कहा कि काशीपुर में जरूरत थी, और दूसरे आदमी को दे दिया तो ऐसी बातें हुआ ही करती हैं। लेकिन मैं सरकार से सहमत हूं कि मकान मालिक को भी सरकार की तरफ से सहूलियत मिलनी चाहिये और अगर किरायेदार किराया नहीं देता है तो उसको निकाल देने का हक होना चाहिये। लेकिन बहुत से लोग ज्यादा किराया वसूल करने के लिये एक को बाहर निकाल कर दूसरे को रखने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत समय ले लिया। अब हमारे और माननीय सदस्य, शिवनारायण जी गवर्नमेंट की ओपीनियन जाहिर करेंगे। इसलिये अब मैं बैठता हूं।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आज जो सदन के सामने रेंट कंट्रोल वाला बिल है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे मित्र नारायणदत्त तिवारी जी ने उस वक्त उस तरफ से हमारी गवर्नमेंट के ऊपर इतनी छींटाकशी की और कहा कि इस तरह की गल्ती की और उस तरह की गलती की। मुझे खेद है कि तिवारी जी को सदन की भाषा का ज्ञान नहीं है। इस सदन की भाषा हिन्दी है न कि अंग्रेजी। हमने अंग्रेजी हुकूमत को यहां से हटा दिया है। आज हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है और इस सदन की भाषा भी हिन्दी है। तिवारी जी ने जो लम्बी-चौड़ी बात की और इस तरह से सरकार को क्रिटिसाइज किया तो इस से मैं यही समझता हूं कि उन्हें इस बिल का ज्ञान नहीं है। जिस को अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है उस को बिल का ज्ञान हो भी कैसे सकता है। इसके बाद हमारे एक लायक दोस्त उपाध्याय जी ने भी कहा.....

श्री मदन मोहन उपाध्याय—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। यह कहना कि भाषा का ज्ञान नहीं है, उचित नहीं है।

श्री शिवनारायण—जब मैं अपनी जगह पर बैठा ही नहीं तो आप कैसे बीच में बोल सकते हैं।

इसके बाद यह बिल जो हमारे सामने है इसमें है कि जो लोग किरायेदार हैं और मालिक मकान हैं उन दोनों के बीच की बात है और हमें दोनों को मदद करना है। हमारी सरकार एकअंगीय नहीं है बल्कि वह उभयवर्गीय है और वह दोनों पक्षों को देखती है। वह रहने वाले को भी देखती है और मालिक मकान को भी। इसको मद्देनजर रखकर हमने इस बिल को ठीक कराया है। हमारी सरकार ने इस बिल में जो संशोधन उपस्थित

किया है वह इसलिये किया है कि लोगों को सुख भी मिले चाहे किरायेदार हो या मालिक मकान हो। हम यह नहीं चाहते कि एक को नुकसान हो और दूसरे को फायदा हो। हमने इस चीज पर मद्देनजर रक्खा है कि कहीं ऐसा न हो कि किसी को फायदा हो रहा हो और किसी को नुक्सान हो रहा हो। हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम एक लिमिटेड किराया रखेंगे। हमारे मित्र तिवारी जी ने तो एकांगीय बात की है, लेकिन आपको दोनों पक्षों को देखना चाहिये। आये दिन सरकार का क्रिटिसिज्म होता है। हमारे भाई लोग जो उधर बैठे हैं एक ही तरफ देखते हैं। जब आप क्रिटिसिज्म करें तो मुनासिब और उचित यही होगा जब कि आप काम को भी देखें और कमी को भी देखें। अब आपको दोनों को देखना है। सिर्फ यह कहना कि सरकार ने कुछ नहीं किया ठीक नहीं है। हमारे दोस्त उपाध्याय जी ने पहले भी मेरा नाम लिया था तो मैंने उनकी बातों का स्वागत किया लेकिन इस वक्त मुझे उन्हें जवाब नहीं देना चाहिये। मैंने उनकी स्पीच में यह देखा कि उपाध्याय जी सोशलिस्ट हैं और लाल टोपी भी सिर पर रखते हैं लेकिन बात वह ऐसी करते हैं जैसे कोई मंसूरी का जमींदार हो। यह पता नहीं चला कि आज वह सोशलिस्ट हैं या लैन्डलार्ड हैं।

अब मैं सरकार का ध्यान सेक्शन ४ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिस में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई किरायेदार मरम्मत करना चाहता है तो वह अपने किराये में से एक महीने का किराया मरम्मत कराने में खर्च कर सकता है। लेकिन इसके लिये उसे कोर्ट में जाना पड़ेगा। जब तक मुंसिफ के कोर्ट से यह तय न हो जाय तब तक नहीं कर सकता इसके लिये कोई टाइम लिमिटेशन जरूर होना चाहिये। मुंसिफ से यहां से एक महीने या १५ दिन के अन्दर अवश्य हुक्म मिल जाय कि वह मरम्मत करा ले। मैं यह चाहूंगा कि सरकार इस तरफ विशेष ध्यान रखेगी कि किरायेदार को सुविधा मिलती रहे। यह नहीं हो कि जब तक फैसला हो तब तक वह परेशान हो जाय। यह बात मैंने इसलिये कही क्योंकि एक-एक मिसल के फैसले होने में काफी देर हो जाती है।

उपाध्याय जी ने एक छोटी सी जगह मसूरी की भी बात कही, लेकिन पूरे राज्य के लिये नहीं बताया। इसी तरह से तिवारी जी ने भी कोई बात नहीं बतायी और कह दिया कि इस को सलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। वह तो हर बिल के लिये कह देते हैं इसे सलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये।

मैं कहता हूं कि इनका कहना यही रहता है कि हर चीज को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। यह छोटा सा बिल सिर्फ दो साल के लिये है और गवर्नमेंट चाहती है कि इसे दो साल तक बढ़ा दिया जाय, तो इस में आप को क्या आपत्ति है। क्योंकि इस समय हम एक एक्सपेरीमेंटल पीरियड में चल रहे हैं। हमने सन् ४७ में स्वराज्य हासिल किया है और हमारे बहुत से काम अभी पूरे होने हैं। तो इस बिल में सिर्फ हमने दो साल की मियाद बढ़ाने की मांग की है उस पर भी इतनी आपत्तियां हो रही हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता।

आप जानते हैं कि बहुत से हाई स्कूल ऐसे हैं जिनमें कि आज इस तरह की कठिनाइयां आ रही हैं और इस तरह से हमारे नौजवान विद्यार्थियों को इससे बहुत नुक्सान पहुंच रहा है। मगर हमारे यहां लाल टोपी वाले तो हर चीज में क्रिटिसिज्म करते हैं, चाहे वह विरोध की चीज हो या न हो। तो इस तरह से हर छोटी सी चीज में अगर आप विरोध करेंगे तो हमें आपका सहयोग किस तरह से प्राप्त होगा। हमारे सामने गवर्नमेंट यह जो बिल लाई है, वह छोटों के लिये है, हम बड़ों को उसमें नहीं खींच रहे हैं। हर गरीब को जिनको कि मकान किराये पर मिलता है, उनकी सुविधा के लिये यह बिल लाया गया है। वैसे हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल रेट पर सीमेंट व लोहा हर एक को देती है, मगर जो ब्लैक-मार्केट में जाकर खरीद लें तो उनके लिये क्या किया जा सकता है और वह एक बोरे के बजाय ब्लैक से दस बोरे खरीदकर ले आते हैं तो इसके लिये गवर्नमेंट डिमोरेलाइज नहीं कही जा सकती। आप जो भी बातें कहते हैं उनको जाकर पब्लिक में कहिये। "गो टू दि मासेज"

[श्री शिवनारायण]

जनता के बीच में जाओ। हमारे जो सोशलिस्ट भाई यहां बैठे हुये हैं, वे रोज चैलेंज देते रहते हैं। मैं उनको चैलेंज देता हूं। आप जहां से चाहें मैदान से या हिल साईड से मैं वहां से लड़ने के लिये तैयार हूं। तो इस तरह के क्रिटिसाइज से तो काम चलता नहीं है। चाहे यहां जो भी बिल हो वे उसको क्रिटिसाइज करते हैं। यह एक छोटा सा बिल है उसको अब तक पास हो जाना चाहिये था, मगर साढ़े तीन बजने जा रहे हैं और इस वक्त तक दूसरा बिल पेश हो जाता।

एक सदस्य—अभी तो ढाई बजे हैं।

श्री शिवनारायण—ढाई सही। इस बिल को तो आध घंटे में पास हो जाना चाहिये था, मगर हमारे श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने तो इस पर बहुत कुछ कहा। उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म किया, मगर उन्होंने अपनी एक बात को बार-बार रिपीट किया। गवर्नमेंट का यह बिल तो सिर्फ टेम्पोरेरी है, मुस्तकिल नहीं है और दो वर्ष के लिये यह रखा गया है, तो फिर इसमें आप लोगों को क्यों इतनी आपत्ति हो रही है।

आप जानते हैं कि आज हमारे जो आफिसर हैं वे बहुत परेशान हैं और आज हमारे इस बिल से हम किरायेदार और मकान मालिक दोनों से हमदर्दी रखते हैं और हम यह भी नहीं चाहते कि इससे किसी एक को फंसा दिया जाय। हमारे जो भाई लोग उधर बैठे हुये हैं रोज शिकायत करते हैं कि हरिजनों के मामलों में कुछ नहीं किया जाता। शायद वे ज्यादा हरिजन प्राबलम के बारे में नहीं जानते हैं और मैं कह सकता हूं कि हरिजन प्राबलम के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। आज हम यहां ८३ हैं।

इस हाउस के अन्दर ८२ कांग्रेस के साथ हैं। अपोजीशन के साथ में एक भी नहीं। लाल टोपी वाले एक भी नहीं लाये, वरना हम वेलकम करते।

एक सदस्य—एक इधर भी हैं।

श्री शिवनारायण—माफ कीजिये ठाकुर साहब, वह इंडपेंडेंट (स्वतंत्र) हैं कल वह हमारे साथ भी आ सकते हैं। मैं उनको खींच सकता हूं आप नहीं खींच सकते हैं। मैं तो मैदान में लड़ा था। मेरे सामने बटखरा रख दिया गया....

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—मैं, श्रीमान् यह जानना चाहता हूं कि आप विधेयक पर बोल रहे हैं या और किसी प्रकार का भाषण दे रहे हैं?

श्री शिवनारायण—बस मैं खत्म करता हूं। सरकार ने जो बिल इस सदन के सामने रखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वह पास कर दिया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो उत्तर-प्रदेश कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन विधेयक मंत्री जी ने उपस्थित किया है, जब यह उपस्थित हो रहा था तो मैं समझता था जैसा कि मुझे आश्वासन भी मिला था कि यह तो इस तरीके से संशोधित विधेयक है कि विरोधी पक्ष को तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी और जो एक कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट को करीब करीब इसमें शामिल कर लिया गया है। मगर जब मैंने सरकारी पक्ष के बहुत से व्यक्तियों के भाषण सुने, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी और मंत्री जी की ओर से माननीय बनारसी दास जी ने जिन्होंने इस बिल को पेश किया है उनकी तकरीर सुनी तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ; और यह बात स्पष्ट हो गयी कि इस बिल में सरकार को जो क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिये था वह कदम उठाया नहीं गया है।

हमारे सूबे में जमींदारी तो खत्म हो गयी, जिस तरह से जमींदारी खत्म होनी चाहिये थी यद्यपि उस तरीके से तो नहीं हुई मगर नाम में जमींदारी तो खत्म है। पुरानी परम्परा तो टूटी है और उसके बहुत से छोटे-मोटे फायदे भी हैं।

मैं समझता था कि अब जब शहर के मकानों की समस्या हल करने की बात आयेगी तो मंत्री जी सोच समझकर इस विधेयक को पेश करेंगे और सही मानों में शहर के अन्दर रहने वालों के मकानों की समस्या हल होगी, मगर उसका समावेश यहां नहीं है। अगर शहरों को देखा जाय तो माननीय मंत्री जी तो जानते हैं और तमाम सम्मानित सदस्य भी जानते होंगे कि ऐसे एक-एक मकान मालिक हैं जिनके पास १०–१०, २०–२० ४०,४०––मकान पड़े हुये हैं और उनमें जायज और नाजायज तरीके से बहुत लोग रहते भी हैं, लेकिन बहुत से गरीब सड़कों पर रात भर काम करने के बाद रिक्शा खींचने के बाद सोते भी हैं। मुझे तो अब यह कहने की हिम्मत नहीं होती, जबकि हमारे एक सरकारी पक्ष की ओर से बोलने वाले सज्जन ने यहां तक कह दिया कि रिक्शा चलाना तो स्वास्थ्य के लिये अहितकर नहीं है। जब ऐसी बात है तब यह कहने में हिचक होती है, क्योंकि सरकार की दृष्टि में रिक्शा चलाना तो स्वास्थ्य की दृष्टि में अहितकर नहीं है यदि मंत्री, उपमंत्री, सभासचिव लोग जाकर बड़े शहरों में देखें तो उन्हें ज्ञात होगा कि रिक्शा चलाने के बाद कितने गरीब दयनीय परिस्थिति में पटरियों पर सो जाया करते हैं। उनके रहने के लिये कोई मकान की गुंजाइश नहीं है।

यह विधेयक जो हमारे माननीय अन्न मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं इसमें इन कमियों को दूर करने के लिये क्या कोशिश की गयी है? इस दृष्टि से विचार करना चाहिये। यदि सरकार की ओर से यह बिल आया है, ठीक है क्योंकि उनको बहुत जल्दी रहती है, ३० सितम्बर ऐक्ट के खात्मे की तिथि है, अगर इसकी मियाद एक वर्ष, दो वर्ष, ३ वर्ष न बढ़ा देंगे तो पुराना जो एक अधूरा सा कानून बना हुआ है वह भी समाप्त हो जायगा। यह तर्क सरकार की ओर से दिया जा रहा है। मगर जब सरकारी पक्ष की ओर से बहुत से सदस्य इसका समर्थन करते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है और बाध्य होकर इस नतीजे पर हम पहुंचते हैं कि उन्हें किसी विषय पर मनन करके सही नतीजे पर पहुंचने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। वे केवल सरकार की हां में हां मिलाने के लिये तैयार रहते ह। जैसे बजट पर भाषण हुआ करता है और हमको मौका होता है कि यह बतायें कि बजट में यें ये त्रुटियां हैं, यदि सरकारी पक्ष के वक्ता सरकारी त्रुटियों को बताते हुये सरकार का गुणगान करते तो मुझे संतोष होता है कि ये लोग सरकारी पक्ष में हैं, इसलिये पार्टी अनुशासन से डरते-डरते सत्य से दूर हैं शायद कुछ और मौका देना चाहते हैं। सरकार जिस प्रतिक्रियावाद को अपने अन्दर रखती है उससे भी ज्यादा प्रतिक्रियावाद की सुरक्षा करने के लिये जब अन्य सदस्यों के भाषण हुये तो मुझे महान् रोष हुआ और महान् आश्चर्य।

एक वक्ता महोदय ने तो यहां तक कहा कि यह दो ही साल के लिये बढ़ाया गया है। यह तो इतना सुन्दर विधेयक है कि इसको एक साल के लिये और बढ़ा देना चाहिये। हमारे बहुत से सरकारी पक्ष के माननीय वक्ताओं ने तो मैं नहीं समझता कि इस बिल को या माननीय नारायणदत्त जी के भाषण को कहां तक सुना और समझा है। सरकारी पक्ष के वक्ताओं में तो एक आदत सी पड़ती चली जा रही है और माफ कीजियेगा आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे कुछ माननीय मंत्री गणों की भी यह कुछ आदत सी पड़ गयी है कि वे इतनी बात को अपने भाषण में जरूर कह देंगे कि ऐसा मालूम होता है कि विरोधी पक्ष जिस तरीके से इस बिल में बातें रखी गयी हैं उनको समझता ही नहीं। मैं तो उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के जिस उद्देश्य को यहां रखा गया है तो क्या माननीय मंत्री जी नहीं जानते हैं कि तीस-तीस, चालिस-चालिस और पचास-पचास वर्षों से कितने टेनेन्ट्स चले आ रहे हैं? मकानों में उनके हक की क्या हिफाजत है? क्या उस मकान के बनाने में जितना

[श्री राज नारायण]

रुपया लगाया गया था उस रुपये की पूर्ति उस टेनेन्ट के किराये से नहीं हो गयी है? अगर टेनेन्ट के किराये से उस मकान की लागत की पूर्ति हो गयी है तो आज उन किरायेदारों को क्यों नहीं हक दे दिया जाता? उन किरायेदारों को हक़ देने के लिये सरकार की ओर से कोई ऐसा विधेयक प्रस्तुत होना चाहिये था कि जो किरायेदार दस वर्ष, बीस वर्ष या पन्द्रह वर्ष से किसी मकान में रह रहे हैं उनको अब आगे कोई किराया नहीं देना होगा क्योंकि अब तक उन्होंने इतना किराया दे दिया है जिससे मकान की लागत की पूर्ति हो चुकी है। यदि ऐसा होता तो मैं समझता कि हां, माननीय खाद्य और स्वास्थ्य मंत्री जी ने सही माने में दिक्कत को समझा है और उस दिक्कत को दूर करने के लिये विधेयक प्रस्तुत किया है। परन्तु यह वही सन् १९४७ की एक रट लगाये हुये हैं कि दो वर्ष के लिये इसको बढ़ा दिया जाय और फिर दो वर्ष के लिये बढ़ा दिया जाय। मालूम होता है कि इस "दो" से हमारे मंत्री गणों को बड़ा प्रेम हो गया है कि हर अधिनियम की दो वर्ष की वृद्धि कराने के लिये वह बिल प्रस्तुत करते हैं।

शहरों में बहुत सी जमीन पड़ी हुई है। ऐसी जमीनों पर मालिकों से मकान बनवाने की क्यों सरकार सोचती है? आज मैं जानना चाहूंगा कि अपने खाद्य तथा स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हमारे प्रांत में कितने अरब की पूंजी ब्लैकमार्केट में लगी हुई है, और पूंजीपतियों से बार-बार दुहाई देते-देते, उनकी गुडविल की अपील करते-करते कितनी पूंजी आज रोजगार में पूंजीपति लगा रहे हैं? हां, इतनी बात माननीय मंत्री जी ने मुक्त कंठ से कही है जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों में दिया हुआ है कि "१ जनवरी, १९५१ के बाद बने हुये घरों को उक्त ऐक्ट के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था किन्तु इससे स्थिति में कोई वास्तविक सुधार नहीं हुआ।" सही बात है, वास्तविक सुधार नहीं होगा। जिस तरह से स्थिति में वास्तविक सुधार हो सकता है वह कदम तो सरकार उठाना नहीं चाहती है, तो सुधार कैसे होगा। दो-दो वर्ष के लिये अवधि बढ़ा देने से वास्तविक सुधार नहीं हो सकता। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्रता के साथ माननीय स्वास्थ्य तथा खाद्य मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि इस तरह से कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने की कृपा न किया करें। इस सदन के अन्दर अपने दृष्टिकोण को सचमुच में क्रांतिकारी बनायें। यह तो हम समझ सकते हैं अगर वे कहें कि सरकार का दृष्टिकोण मिश्रित पूंजीवादी है। तब तो हम समझ सकते हैं कि सरकार किस गतिविधि से चलेगी। मगर जब सरकार अपने को जनतांत्रिक कहती है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो यहां तक कह दिया कि वह डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में विश्वास करते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है, एक ओर डिमोक्रेटिक सोशलिज्म में विश्वास करना और दूसरी ओर जितनी पावर है उसको सेंट्रलाइज भी करते चले जाना कहां का न्याय है? क्या यह शब्दों के साथ बलात्कार नहीं है?

मैं चाहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग करके शब्दों के अर्थ को अनर्थ में न ले जाया करें। यहां मैं माननीय खाद्य और स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उद्देश्य और कारणों में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है कि सन् १९५१ के बाद बने हुये मकानों से वास्तविक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। तो अभी तक तो कोई सुधार नहीं हुआ। आगे की क्या गारंटी मंत्री जी ने की है कि वास्तविक सुधार होगा? केवल दो वर्ष के लिए इसकी लाइफ बढ़ा देने से, इसके जीवन को बढ़ा देने से वास्तविक सुधार श्रीमन् हर्गिज नहीं हो सकता है। वास्तविक सुधार अगर करना है तो सरकार को चाहिये कि देखे कि किस शहर में कितनी जमीन ऐसी है जिस में खेती नहीं हो रही है और जो परती पड़ी हुई हैं और उसमें मकान बनाये जा सकते हैं। उसमें कितने आदमी रह सकते हैं। कितने आदमी गरीब हैं जो रहने के लिये मकान नहीं पाते और जो सड़कों

की पटरियों पर रात में सो जाते हैं। उनके लिये कोई कोआपरेटिव बेसिस की स्कीम चलायी जावे और उनको वह जमीन दी जावे। जिस मालिक की वह जमीन हो उससे वह जमीन छीनी जावे और एक आम घोषणा कर दी जावे कि जो रहने के लिये उस जमीन पर मकान बनाना चाहते हैं उनको सरकार वह जमीन देने के लिये तैयार है। अगर इस तरह की कोई बात हो तब तो हम समझ सकते हैं कि हां सरकार सचमुच इस तरीके से तहेदिल से चाहती है कि शहरों में मकानों की समस्या सुधरे। मगर आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये निहायत अदब के साथ फिर माननीय मंत्री जी से और सदन के सम्मानित सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि यह जो डिवीजन हो रहा है सन् ५१ का सन् ४६ का और पहले का यह खत्म होना चाहिये।

जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार की प्रोहिबिशन की स्कीम है, नशेबंदी की स्कीम है, शराब बन्दी की स्कीम है कि जौनपुर में बंदी और बनारस में खुलती। जौनपुर के कितने पीने वाले हैं सब बनारस चले आते हैं और अच्छी तरह से पीते हैं और फिर अपने मोटरों में अच्छी से अच्छी शराब ज्यादा से ज्यादा कीमत देकर मोटर में भरकर जौनपुर चले आते हैं। कानपुर और लखनऊ का भी इसी प्रकार उदाहरण हो सकता है। तो इस तरीके से यह जो अधिकार सरकार दे रही है कि सन् १९५१ के बाद के बने हुये मकानों पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, उसका दुरुपयोग होगा, निश्चित रूप से होगा और हो रहा है। जब सरकार जानती है कि लोग रुपया लगा करके नये मकान नहीं बना रहे हैं और ऐसे मकान नहीं बना रहे हैं जिनसे मकानों की समस्या हल हो तो फिर सरकार इस बिल के द्वारा क्यों यह अधिकार देना चाहती है। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर इस अधिकार को देकर किस उद्देश्य की पूर्ति मंत्री जी कर रहे हैं।

सरकारी बेंच की ओर से कहा गया है, कि कुछ हमारे माननीय वक्ता महोदयों ने कहा कि इसकी लाइफ एक वर्ष के लिये और बढ़ा दी जानी चाहिये, और अगर अभी से उनके रेंट पर प्रतिबन्ध हो जायगा तो वे नये मकान नहीं बनायेंगे। उद्देश्य में सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि नये मकान नहीं बन पाये हैं बावजूद कि उनको यह सहूलियत दी गयी है। तो यह एक कांट्रेडिक्शन (परस्पर विरोध) है। ट्रेजरी बेंच के उन सदस्यों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जरा वे अपने मस्तिष्क में इस बात को स्थान दें और सोचें कि सरकार जब अपने आंकड़ों से इस बात को साबित करती है कि मालिकों को यह सहूलियत देने के बावजूद भी ज्यादा मकान बनाने में वृद्धि नहीं हुई, तो फिर तो सहूलियत सरकार उनको क्यों देना चाहती है। इसकी सफाई होनी चाहिये।

मैं समझता हूं कि जैसा कि आगे बात स्पष्ट होगी कि सरकार की एक आदत सी पड़ी हुई है, सरकार देखती है कि देश के अन्दर उत्तर प्रदेश सूबा राजनीति में प्रमुख स्थान हमेशा से रखता है। जब सरकार देखती है कि यहां की आबहवा क्रांतिकारी है, यहां की जनता के दिमाग में क्रांति की परिस्थिति पैदा हुई है तो उसको मीट (सामना) करने के लिये सरकार एक प्लान तैयार कराती है। उस प्लान के जरिये उस क्रांतिकारी मनोवृत्ति का सामना करने के लिये विधेयक के अन्दर कुछ न कुछ सहूलियतों को स्थान दिया जाता है। फिर जब विरोध होता है, आंतरिक विरोध, यह कांग्रेस पार्टी जिस की सरकार है उसके आंतरिक विरोध की ओर मैं आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदस्यों की दृष्टि को ले जाना चाहता हूं कि जब आंतरिक विरोध होने लगता है तब प्रतिक्रियावादी जो तबका है उसका पलड़ा भारी हो जाता है और वह जो सहूलियतें दी गई थीं उनको भी वापस लेता है। आगे चल कर जमींदारी अनुपूरक विधेयक के सम्बन्ध में यह पर्दाफाश हो जायगा और सब बातें साफ-साफ मालूम हो जायंगी। जब अपने अन्दर बैठकर कांग्रेस पार्टी में विरोध होने लगता है कि यदि ऐसा किया गया तो जो हमारी सम्पत्ति है, जो हमने कमाया है वह चौपट हो जायगी, तो फिर सरकार नीचे हटती है और फिर पीछे हटती है और पीछे हटकर वह पहुंच जाती है जहां आज से सात वर्ष पहले थी ?

[श्री राजनारायण]

हमारे माननीय मित्र श्री बनारसी दास जी ने जो इस विधेयक के प्रमुख वक्ता थे उन्होंने जब इसको रक्खा तो रखते समय उन्होंने यह कहा था कि जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी उसकी सिफारिशों को हमने शामिल किया है लेकिन दूसरे सरकारी वक्ता जब खड़े हुये तो उन्होंने कहा कि उनके कहने के यह मानी नहीं थे कि उन्होंने सब की सब सिफारिशें समावेश कर ली हैं। उन्होंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा लेने की। ठीक है। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशें हैं। अब उन सिफारिशों को सरकार कहां तक मानती है इस वक्त इसके ऊपर गौर करना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस कमेटी के रिकमेंडेशंस थे कि सही मानी में जो मकान में रहता है उसके हुकूक की हिफाजत हो, मगर सरकार उसको तो समावेश नहीं कर पायी जो ऊपरी फालतू बातें थीं जिनके जरिये मकान में रहने वालों की मौखिक सहायता होती है, केवल उनको ही लिया गया है। लेकिन कहा जा सकता है कि कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी जो बनी थी, उसकी बढ़िया-बढ़िया सिफारिशों को सरकार ने इस विधेयक में समावेश किया है। इसमें आचार्य जुगुल किशोर जैसी विभूतियां थीं। मैं चाहता हूं कि उसकी कुछ धाराओं को पढ़ दूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं यह चाहूंगा कि हम जितने माननीय सदस्य बैठे हैं वे जरा उन धाराओं को सुनें।

मैंने पहिले ही निवेदन किया था, और कहा था कि अब वह समय आ गया था कि सरकार ऐलान करती एक तारीख देकर कि १० बरस से जो टेनेन्ट मकान में रहता आ रहा है या जो सब टेनेन्ट है उनका कब्जा रहेगा, वह हटाया नहीं जायगा, उनका किराया नहीं बढ़ेगा। एक हिसाब की बात है कि एक मकान के बनाने में जितना रुपया लगा उसकी पूर्ति किराये से हो गई या नहीं। अगर हो गई तो उसके पश्चात् जो रहने वाला उस मकान का था उस मकान पर उसका कब्जा होता। टेनेन्ट और सबटेनेन्ट की बात यहां आई। आदर्णीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये अपील करना चाहता हूं तमाम माननीय सदस्यों से कि कानून के शब्द जाल में जो चलने की आदत हमको अंग्रेजों ने डलवाई है, उस बौद्धिक परतंत्रता की गुलामी से हम अलग जाने के लिये कभी तैयार होंगे या नहीं। यही एक बुनियादी सवाल है चाहे वह रेंट कंट्रोल का हो, चाहे जमीन के बटवारे का हो या नेशनेलाइजेशन का हो। जो कोई भी सवाल होगा, जो कोई विधेयक सरकार की ओर से प्रस्तुत होगा उसमें यही बुनियादी सवाल आता है कि एक परम्परागत जो आदत पड़ी हुई है, जिस बौद्धिक परतंत्रता की बेड़ी में हम जकड़े हुये हैं हम उससे छूट रहे हैं या नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी सरकार बजाय छुटने के और अधिक जकड़ती जा रही है। जिस तरह से चतुर्वर्ण की व्यवस्था खेती में खड़ी कर दी है उसी तरह से इसमें (शहर के मकान) भी टेनेन्ट और सब टेनेन्ट की व्यवस्था कर दी है। मेरा तात्पर्य यह है कि जो बेचारा गृहहीन है, जिसके पास मकान नहीं है, जो फंडामेंटल नेसेसिटीज आफ लाइफ हैं, (जीवन की मौलिक आवश्यकता) उनमें रहने का भी एक प्रश्न आता है, उस रहने के प्रश्न का हल कैसे होगा। सबटेनेन्ट के बारे में कमेटी की सिफारिश में यह लिखा हुआ है कि:—

"With regard to cases of sub-leases by tenants prior to the coming in force of this Act, it is recommended that the sub-tenants should be given the status of direct tenants of the house owners with necessary adjustment of rents between them and other tenants."

[इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व किरायेदारों द्वारा किये गये शिकमी पट्टों के विषय में यह सिफारिश की जाती है कि शिकमी किरायेदारों को मकान मालिकों के प्रत्यक्ष (डाइरेक्ट) किरायेदार का दर्जा दे दिया जाय और उनके तथा अन्य किरायेदारों के दर्मियान किराये के आवश्यक समवस्थापन कर दिये जायं।]

अब जरा माननीय मंत्री जी देखें कि उनकी किस धारा में, ये जो रिकमेंडेशंस में सब टेनेन्ट के लिये कहा गया है, वह बातें आती हैं। अब तक जो सब टेनेन्ट हैं उसको टेनेंट का राइट मिलना चाहिये, यह अधिकार दिया गया है सब टेनेन्ट को। मैं समझता हूं कि विधेयक में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। इसके ऊपर का तो हिस्सा ले लिया गया है और नीचे का हिस्सा छोड़ दिया गया है।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसकी ओर यद्यपि हमारे मित्र नारायणदत्त जी प्रकाश डाल चुके हैं।

सबसे ज्यादा इम्पोटेन्ट सिफारिश इस कमेटी की यह थी जो सरकार की खिदमत में उसने पेश की थी। उसमें यह था कि:

"An Advisory Committee should be formed in every town to advise authorities in matters of allotment of accommodation. For the KABAL towns there may be two such advisory bodies for different Catagories of accommodation.

[भू गृहादि के बांटने के विषय में अधिकारियों को परामर्श देने के लिये प्रत्येक नगर में एक परामर्शदात्री समिति बनायी जाय। कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा और लखनऊ में से प्रत्येक में ऐसे दो निकाय, विभिन्न प्रकार के भूगृहादि के लिये, हो सकते हैं।]

मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि क्या यह सिफारिश बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी? क्या इस सिफारिश को इस रिपोर्ट में स्थान प्राप्त है? मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ट्रेजरी बैंचजे वाले इन चीजों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। मैं जानता हूं और मेरी जानकारी ऐसी है कि बहुत से माननीय सदस्यों के लिये यह मकान की समस्या बहुत गहन बनी हुई है। हम समझते हैं कि किसी एक जगह के लिये चाहे बनारस का सवाल हो, चाहे लखनऊ का सवाल हो और चाहे कानपुर का सवाल हो इस तरह के केसेज (मामले) विद्यमान हैं कि जिलाधीश जो उस मकान के अन्दर रहने वाला है उसको उस मकान से किसी के इशारे पर खाली कराते हैं, कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि उस मकान के मालिक का रिश्तेदार रहने के लिये आता है तब उसको मकान खाली करा कर दिया जाता है। यह धांधली कैसे रोकी जाय। इस विधेयक में यह कहा गया है कि इस तरह से उसको एक महीने का मौका दिया जायगा कि अगर डी० एम० ने गलत आर्डर दिया है तो उसके लिये कमिश्नर के यहां अपील हो सकती है। लेकिन मैं देखता हूं कि इससे काम चलने वाला नहीं है।

अगर सरकार डैमोक्रेसी को मानने वाली है तो सरकार को इसके लिये अच्छा कार्य चलाने के लिये इन सब बातों को सोचना है। मगर सरकार क्यों एडवाइजरी कमेटी की बात माने? अगर एडवाइजरी कमेटी बनती तो मुझे कुछ इत्मीनान होता और मैं यह समझता कि जो यह धांधली हो रही है और हैवानियत बढ़ती जा रही है और अधिकारी लोग मकान मालिक के इशारे पर मकान खाली करा देते हैं, वह रुकती, लेकिन वह कहां रुक सकती है। मुझे बनारस के जगत गंज मुहल्ले का एक किस्सा याद आता है। वहां पर एक साहब थे टेनेंट, वह वहां पर रहते थे और क्वीन्स कालेज में काम करते थे। उस अध्यापक महोदय का सामान बाहर निकलवा दिया गया और सड़क पर फेंक दिया गया। जब मैं यहां से मई में गया सेशन के बाद तो मुझे यह किस्सा मालूम हुआ तो मैंने पुलिस स्टेशन के इन्चार्ज से अपील की और कलेक्टर महोदय से भी निवेदन किया और रेंट कंट्रोलर साहब से भी कहा, लेकिन कहीं पर भी कोई समाधान नहीं हुआ। वह अध्यापक महोदय तीन महीने तक रोते बिलबिलाते फिरे। इसके पीछे एक रहस्य था और एक गाथा थी। गाथा यह थी कि एक प्रभावशाली कांग्रेसी नेता का इसमें इशारा था कि उनको उस मकान से हटाया जाय और उस मकान मालिक के जो कोई संबंधी उनको वह दिया जाय। तीन महीन बाद वह मकान उनको दिया गया। इस तरह से सरकार इशारे पर चलती है। लोग काफी परेशान होते हैं। मैं तो इस तरह की बातें सुनते-सुनते हैरान हो गया हूं। यह हैवानियत बढ़ती जाती है। आखिर यह सरकार क्या चाहती है?

[श्री राजनारायण]

रेंट कंट्रोल के मामले में देखा कि अगर डी० एम० और कमिश्नर में कोई झगड़ा है, मतभेद है तो वह सरकार के पास भेजे तो फिर वह कर्त्तव्य भी मालूम हो जाय। हमारे एक बहुत बड़े विद्वान (श्री रामदास गौड़) बनारस के रहने वाले कहा करते थे एक कांग्रेसी नेता के बारे में कि उन कांग्रेसी की स्पीच सुन कर क्या करोगे जो कि टाउन हाल में आये हुये हैं। वह कहते थे कि मैं बतलाता हूं कि वह क्या कहेंगे। आज यह तो सरकार की हालत है। चाहे आप पुलिस को ले लीजिये या किसी भी डिपार्टमेंट को ले लीजिये सब जगह यही हालत है। मालूम होता है कि किसी ऐडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है।

बारह मंत्री हैं और उपमंत्री भी हैं। सारे सूबे को १२ जोन में बांट दीजिये और दो तीन जिले प्रत्येक को दे दीजिये बस वह सब को मकान दे देंगे और सब काम कर लेंगे और यह श्रीमान् लोग सब प्रबंध यहां पर सूबे भर का कर लेंगे। मैं आपके जरिये से माननीय खाद्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अन्न मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमान् मंत्री जी इस बिल के अन्दर देखें कि धारायें किस प्रकार की हैं। यदि मंत्री जी चाहते ही हैं तो उसकी लाइफ एक साल के लिये बढ़ा दें ताकि जो उनका पहले का किया कराया है वह उसी रूप में चलता रहे और यह रिकमंडेशन जो कमेटी की आई हैं उनको भी ले लें और आगे जो और भी रिकमंडेशन आ सकें कि गृह समस्या का समाधान कैसे होगा उनको भी ले लें और फिर एक बहुत बढ़िया सुन्दर विधेयक प्रस्तुत करें तो उनका भी समय नष्ट नहीं होगा, और हमारा भी समय नष्ट नहीं होगा और सही रूप में हमारे जो अन्नदाता हैं, जिनकी कमाई हम खाकर इतराते हैं, उनके साथ भी न्याय होगा।

हमारे मित्र शिव नारायण जी हैं। वह हमारे मित्र हैं मगर मैं उनको केवल एक संकेत करना चाहता हूं। उन्होंने इतनी बातें कहीं तो उनकी बातों पर मैं कभी जाना नहीं चाहता हूं और मैं इच्छा भी नहीं करता हूं कि उनकी बातों का जवाब दूं। लेकिन दूसरों के लिये मैं कहना चाहता हूं all that glitters, is not gold हर एक चीज जो चमकती है वह सोना नहीं होती है, मेरे मित्र हम हरिजन और जितने हमारे सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं सब हरिजन हैं यानी 'हरि' के जन हैं। मगर हमारे यहां ठाकुर मंत्री कोई नहीं है, न कोई कायस्थ है और न कोई ब्राह्मण मंत्री हैं। मुझे तो अफसोस होता है कि मंत्री महोदय की तरफ से यह बातें अक्सर कही जाती हैं कि मैं ठाकुर मंत्री हूं। हो सकता है कोई कोई ठाकुर हो, कोई ब्राह्मन हो। लेकिन आज तो सवाल यह है कि हरिजनों का हित किस काम को करने से होगा। मंत्री महोदय, शिव नारायण जी की बातों को नहीं समझ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों के हित का एक ही सवाल आपके जरिये रखना चाहता हूं। जहां तक सरकार के डिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड का सवाल है उससे हरिजनों का हित होगा या जितनी शहर में फालतू जमीन पड़ी हुई है उसको सरकार ले ले और कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये जो लोग मकानों के लिये परेशान हैं, मकानों की कमी है उनको मकान बनाने के लिये दे दे। उससे उनका हित होगा या इस विधेयक से लोगों का हित होगा। यदि कोई हरिजन चाहता है कि इसी तरह से हरिजनों का हित होगा तो वह निश्चय ही बुद्धि विभ्रम, जन्य भ्रांति में भ्रमण कर रहा है।

इसलिये आदणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेकर मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इस बिल के जीवन को एक साल के लिये और बढ़ा दें तो वह काफी होगा और मंत्री महोदय की भी अवश्य यही इच्छा होगी क्योंकि आखिरकार जो समय का थपेड़ा चलता है वह हमको भी लगता है और उनको भी लगता होगा।

यह हो सकता है कि वह कुछ आंकड़े जुटा कर के और शब्द जाल को फैला करके हमारे तर्क का प्रत्युत्तर करें लेकिन जो वस्तु स्थिति है उसको मैं आपके जरिये रखना चाहता हूं। हमारे मंत्री जी के लिये वस्तु स्थिति के अध्ययन के लिये एक साल का समय काफी है, यह इतना समय मिल जायगा कि कमेटी की जो वैल्यूऐबिल रिकमंडेशन्स (अमूल्य सुझाव) हैं उनको भी समावेश करने का मौका मिल जायगा और जिन बातों पर यह इन्क्वायरी कमेटी नहीं पहुंच पाई है और जो नयी बातें आयेंगी उनका भी समावेश हो सकेगा।

जमींदारी अबालिशन के बाद (जमींदारी उन्मूलन) जमींदारों को आज टीस होती है और कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ जमींदारी पर लगा दिया और जिन्होंने जमींदारी बेंच कर शहरों में सैकड़ों मकान बनवा लिया उनका कुछ नहीं हुआ। वह भी समाज के शोषक हैं उनके भी शोषण के जरिये बन्द होने चाहिये। इस तरह से जमींदारों की द्वेष की भावना खत्म होगी। क्यों नहीं सरकार कह देती है कि जिनके पास १०–५ मकान हैं वह एक मकान ले लें बाकी मकान लोगों को रहने के लिये छोड़ दें। आखिर उनकी आमदनी को सार्वजनिक हित में क्यों नहीं लगाया जाय। कहा जाता है कि सोशलिस्ट पार्टी रचनात्मक सुझाव नहीं देती है सरकार की आमदनी कैसे बढ़ेगी। एक तो सुझाव देने का अवसर नहीं मिलता है क्योंकि सरकार ऐसी परम्परा अख्तियार कर रही है कि आज ही बिल लाये, आज ही विचार हो और आज ही पारित करने का प्रस्ताव रखें। ये सब बातें ऐसी हैं जो विरोधी दल को एक दायरे में बांध देती हैं। अगर हमें अच्छी तरह से समय मिले तो हम तमाम सूबे के आंकड़ों को, तमाम दुनिया के आंकड़ों को लाकर उनको बतायें कि उनको क्या करना चाहिये और क्यों? यही काम विरोधी पक्ष का है कि वह सरकार की आंखों को खोले, सरकार की दृष्टि जो प्रतिक्रियावादी है उस दृष्टि को सुन्दर बनाये और अगर सरकार सिर के बल खड़ी होती है तो उसको पैर के बल से खड़ा करे। यह काम विरोधी पक्ष का है और विरोधी पक्ष अपने इस कार्य को करने के लिये तैयार है लेकिन सरकार चाहती है कि वह इस कार्य को करने न पाये। यह बिल आया, कहा गया कि इस पर विचार किया जाय, इसको पारित किया जाय, ३० तारीख अन्तिम तिथि है और यह कि वह कौंसिल में भी जानेवाला है।

पचासों तरह की बातें हमारे सामने रखी जाती हैं जिनको सुनते सुनते हम लोग परेशान हो गये हैं। अब मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे टैकनीकलिटीज को छोड़ कर इस बिल को सिर्फ १ साल के लिये बढ़ा दें इस एक साल के अन्दर इतने सुझाव आ जायंगे और सरकार को एक अच्छा मौका मिल जायगा और जिनका वह फायदा करना चाहती है उनका अच्छी तरह से फायदा कर सकेगी। अगर सरकार इस तरह से काम करेगी तब तो समस्या का ठीक हल हो सकेगा नहीं तो कोई चीज उससे हल होने वाली नहीं है।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फ़र्रुख़ाबाद)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल पर जो हमारे सामने जेरेबहस है उस पर जो तक़रीरें हुईं उन तक़रीरों में से सब से अहम तक़रीर जो इस बिल पर हुई वह मेरे दोस्त नेता विरोधी दल की हुई और वह मैंने अभी बड़े ग़ौर से सुनी। मुझे उनके साथ बड़ी हमदर्दी है। जब कोई बिल भी इस ऐवान में पेश होता है उसके बारे में उन्हें बड़ी मायूसी होती है और उसी बुनियाद पर वे हुकूमत की तवज्जह इसी तरफ दिलाते हैं कि या तो यह बिल वापिस ले लिया जाय और दूसरा बिल तैयार करके इस ऐवान में पेश किया जाय। फिर तरमीम फरमाते हैं कि इस बिल की मियाद कम कर दी जाय। मैं समझता हूं कि इसी तरीक़े की तक़रीरें, कोई भी बिल इस हाउस के अन्दर आये, होती हैं और विरोधी दल की तरफ से सुनने में आती हैं। अगर मुझे इजाज़त दी जाय तो मैं यह अर्ज़ करने की कोशिश करूंगा कि जो तक़रीर उन्होंने इस हाउस के अन्दर फरमाई वह बड़ी सुन्दर तक़रीर थी और मैं उस तक़रीर के लिये बड़ी हमदर्दी रखता हूं। लेकिन ज्यादा मुनासिब होता कि यह तक़रीर इस हाउस के अन्दर न होकर अगर सदन के बाहर की जाती तो सोशलिस्ट पार्टी के प्रचार में उससे ज्यादा मदद मिलती।

[श्री सुल्तान आलम खां]

(इस समय ३ बजकर २ मिनट पर उपाध्यक्ष उठ कर चले गये और अधिष्ठाता, श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी, ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया।)

उन्होंने अपनी तक़रीर में ज्यादातर इसी बात पर जोर दिया कि सोशलिस्ट "डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस" रखने के लिये जहां कि जमींदारी बिल में उनकी बाज बातें नहीं मानी गईं इस हाउस कंट्रोल ऐक्ट के सिलसिले में वे बातें मान ली जायं। उन्होंने अपनी तक़रीर में यह भी फरमाया कि जो मकानों के मालिकान हैं उनसे यह कहा जाय कि चूंकि उन्होंने मकानों से बहुत कमा लिया है इसलिये बजाय इसके कि उनको किरायेदार कोई किराया दे उनको उस मकान पर कब्जा दे दिया जाय जो किरायेदार कि अरसे से उन मकानों में रहते आये हैं। उनका कहना है कि इसी तरह से मकानों की जो समस्या इस सूबे में है वह हल हो सकती है। लेकिन मैं उनकी खिदमत में यह अर्ज करूंगा कि यह समस्या इस तरीके से कभी भी हल नहीं हो सकती। उन्हें यह भी मालूम होगा कि हमारे बजट में प्लानिंग कमीशन ने इस पांच साल के खर्च के लिये डेवलपमेंट के सिलसिले में ९२ करोड़ रुपये की रक़म बतलायी है और हमारी गवर्नमेंट से और हमारे सूबे से यह तवक्को की जाती है कि यह ९२ करोड़ रुपये की रक़म इस सूबे में हासिल की जाय और इस सूबे की उन्नति पर इसकी प्लानिंग और डेवलपमेंट पर सर्फ किया जाय। जिस वक्त हुकूमत की जानिब से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिये कुछ बिल इस भवन के सामने आये थे तो मुझे याद है कि उन बिलों की बड़ी सख्त मुखालिफत की गयी थी और यही कहा गया था कि लोगों पर जो टैक्स लगा रहे हैं उन का इंसीडेंस इतना बड़ा हो गया है कि अब किसी तरीक़े पर किसी और शोबे जिन्दगी में टैक्स लगाने की जरूरत नहीं।

अब सोचने की बात यह है कि अगर टैक्स न लगाया जाय और टैक्स के जरिये से इस सूबे की उन्नति और डेवलपमेंट न किया जाय तो क्या दूसरा जरिया हो सकता है जिस केजरिये से इस सूबे का डेवलपमेंट हो सकता है? अगर हम यह सोचें कि आसमान से दौलत बरसने लगेगी, उससे हमारी जेब भर जायगी और उससे सूबे का डेवलपमेंट हो सकेगा तो मैं समझता हूं कि कोई भी अक्लमंद आदमी इसको एक मिनट के लिये भी मानने के लिये तैयार नहीं हो सकता। यह सब चीजें सोचनी पड़ेंगी और तय करनी पड़ेंगी। अगर बगैर टैक्स लगाये या कम से कम टैक्स लगाये सूबे की उन्नति हो सकती है तो वह एक ही रास्ता है कि रुपया प्राइवेट लोगों की जेब से आये और वह उन्नति के कामों में लगाया जाय और उससे इस सूबे की तरक्की हो। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात के मुताल्लिक़ कोई दो राएं नहीं हो सकतीं कि इस सूबे में जो कि प्राइवेट सरमाया है, उसके रखने वालों ने यह बिलकुल तहइया कर लिया है कि वह सामने नहीं लायेंगे और नहीं ला रहे हैं।

शायद यही वजह थी कि हुकूमत ने इस बात की कोशिश की कि ऐसे सर्कमस्टैंसेज पैदा करे, कि लोगों के दिलों में इतमीनान पैदा हो और जो रुपया हमारे सूबे में बेकार पड़ा हुआ है जिससे कोई नफा उठाया नहीं जा सकता वह निकल कर आये। उससे मुल्क की तरक्की हो। काश्तकार की तरक्की हो। मजदूर की तरक्की हो, इस सूबे की तरक्की हो। मैं समझता हूं कि शायद यही वजह थी कि जिसकी बिना पर गवर्नमेंट ने इससे पीछे जो ऐक्ट पास किया है उसमें यह चीज रखी थी कि यकुम जनवरी, ५१ के बाद जो मकान सूबे में बनेंगे उनके ऊपर कंट्रोल ऐक्ट का निफाज नहीं होगा। लेकिन जैसा कि खुद बिल में एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स से जाहिर है कि बावजूद रियायत देने के भी प्राइवेट इन्टरप्राइज नहीं उठा और लोगों ने रुपया नहीं निकाला और मकानों के बनाने में नहीं लगाया जिससे इस समस्या को हल करने की मदद मिलती। जानबवाला, इसका नतीजा क्या है? यह बड़ी सोचने की बात है। इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है।

यह मैं मानता हूं कि किसी हुकूमत का यह सब से बड़ा फ़र्ज है कि वह लोगों को गल्ले और कपड़े के बाद अगर किसी चीज के लिये फिक्र और उसको मुहइया करना है तो वह मकानों का ही सवाल है। मैं यह भी जानता हूं और बजट इस बात को बतलाता है कि हुकूमत की

महदूद आमदनी में और इस हुकूमत के सामने जो इस सूबे की उन्नति के बड़े बड़े खर्चे हैं, खास तौर पर ग़ल्ले की स्कीम को चलाने के लिये जो बड़े बड़े खर्चे हैं, उनके बावजूद हुकूमत इस तरफ क़दम उठा रही है । लेकिन जाहिर है कि इतनी बड़ी समस्या को हल करने के लिये सिर्फ गवर्नमेंट की दौलत या बजट काफी नहीं हो सकता । इसमें तो हमें उन सब जरियों को इस्तेमाल करना होगा जिनके मातहत हमें रुपया मिल सके । इंटरप्राइज को उठा कर इस बात की कोशिश की जानी चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा रुपया उन्नति के कामों में लगे और उससे सूबे की तरक्की हो । जाहिर है कि अगर ऐसा रुपया हम को मिल जाता है और उसके जरिये से हम रुपये को लगाते हैं और हम नहरें बनवा सकते हैं, हाइड्रो ऐलेक्ट्रिक बढ़ा सकते हैं, ट्यूबवेल बढ़ा सकते हैं तो इसी के जरिये से तरक्की हो सकती है , इसी के जरिये से उन लोगों को जो जराअत पेशा हैं , मजदूर पेशा हैं, उनकी आमदनी बढ़ सकती है और इस सूबे के अन्दर खुशहाली आ सकती है । यह बड़ी चीज है । इन तमाम वाक्यात से अलग हो कर अगर अपनी जगह पर बिल पर हम एतराज करना शुरू कर दें तो यह आसान है । लेकिन हम एक पूरे रुप में एक प्लान के मातहत अगर किसी तरीक़े पर नजर डालने की कोशिश करें तो तमाम बातों को सोचना पड़ेगा और गौर करना पड़ेगा कि उसके लिये कोई क़दम उठाया जा सकता है ।

जनाबवाला, हमने कुछ बातें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की भी सुनीं । इसके अलावा यह भी कहा कि इस सूबे में जल्दी से जल्दी ऐसा कानून क्यों नहीं बनता जिसके जरिये से यह काम बड़ी आसानी और जल्दी से हो सके । मैं यह बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं और इसकी जुर्रत भी करता हूं कि कानून बनाने के तरीक़े ऐसे ही हुआ करते हैं । इसी तरह से काम हो सकता है और आहिस्ता आहिस्ता क़दम भी बढ़ा सकते हैं । इसके अलावा एक दूसरा भी तरीक़ा जरूर हो सकता है जिससे जल्दी काम हो जाय वह तरीक़ा रिवोलूशनरी तरीक़ा है लेकिन कांग्रेसी हुकूमत उस तरीक़े से नहीं कर सकती वह इसलिये कि वह जिस उसूल और क़ानून पर चल रही है वह नान-वायलेन्स का है ।

वह चाहते हैं कि हम क्लासलेस सोसायटी बनायें और इसके लिये वह काम भी कर रहे हैं । अगर हम क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो हमें एक खास तरीक़े से काम करना पड़ेगा । हमें यह भी करना पड़ेगा कि जो लोग ज्यादा दुःखी हैं उनको ऊपर उठायें और जो लोग अन्याय करते हैं उन को नीचे लायें । इन बातों की हमारी सरकार पूरी-पूरी कोशिश कर रही है । लेकिन इस उसूल में एक बात को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता । वह यह है कि हम लोग रिवोलूशन में काम नहीं कर रहे हैं बल्कि इवोलूशन में काम कर रहे हैं ।

जनाबवाला, अभी यह जिक्र किया गया कि कन्ट्रोल इन्क्वायरी कमेटी ने इस के मुताल्लिक जितनी सिफारिशात की हैं उन सब को सरकार ने नहीं माना है । मैं खुद इस बात को मानता हूं क्यों कि मैं भी इस कमेटी में था । मैं जानता हूं कि इस वक्त दौरे में जो शहादतें मालूम की हैं उनको गवर्नमेंट के सामने पेश किया है । मैं गवर्नमेंट से चाहूंगा कि कन्ट्रोल इन्क्वारी कमेटी ने जो बातें इस में पेश की हैं गवर्नमेंट किसी मौक़े पर उन पर जरूर गौर करे और जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उन्हे मानें । लेकिन यह चीज अपनी जगह पर है । इसके बाबत हम नहीं कह सकते हैं कि जो बिल हमारे सामने आया है उस में कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी ने जो सिफारिश की उसके खिलाफ चीजें आयी हैं या कोई चीज ऐसी है जो उसकी सिफारिश में से नहीं है । बहरहाल जो बिल है उस में कंट्रोल इन्क्वारी कमेटी की सिफारिशें भी हैं । उसके साथ ही साथ यह भी है कि इस बिल की मियाद दो साल तक और बढ़ा दी गयी है । यह भी हो सकता है कि इसकी मियाद दो साल की हो, चार साल की हो या वह परमानेन्ट भी हो सकता है । लेकिन सरकार ने जैसा मैंने कहा कि एक सही रास्ता अख्तियार किया । उन्होंने एक ऐसा क़दम उठाया जिसके मातहत लोगों को मौक़ा मिला कि इसमें जो सिफारिश की गयी हैं उन को इमबोडी करें । यह हो सकता है कि दो साल के बाद वाक्यात बदल जाय । यह कोई नहीं कह सकता कि जो हालत आज है वही आज से छः महीने बाद भी होगी । इसलिये हमें इस बात का मौक़ा मिलेगा कि इसके अन्दर जो नये प्राविजन आये

[श्री सुल्तान आलम खाँ]

हैं और इस पुराने ऐक्ट में जो बदले गये हैं उनको ट्राई करने का मौका मिलेगा । हमको इस बात का मौक़ा मिलेगा कि हम इसको रिव्यू कर सकें, इस पर गौर कर सकें । इस नये प्राविजन को लागू करने के बाद हम देखेंगे कि कौन सी दुश्वारियां आईं और कौन सा काम था जो इसमें रह गया । इस तरह से बाद में हम इस बिल पर विचार करने के लिये तैयार होंगे । हम इस बात पर गौर करने के लिये तैयार होंगे कि इसमें यह इजाफ़ा किया जाय और यह इसमें और कमी की जाय ।

जनाबवाला, मैं खासतौर से इस चीज़ के मुताल्लिक़ दो एक बातें और अर्ज़ कर देना चाहता हूं । वह यह है कि १ जनवरी, सन् ५१ के बाद जो मकानात कंट्रोल ऐक्ट से बाहर किये गये हैं मैं जाती तौर पर यह महसूस करता हूं कि यह एक सही क़दम है । अगर्चे कि इसका एतराज किया है । इसका इतना असर नहीं हुआ जितना कि होना चाहिये था । इससे एक बुनियादी बात पैदा होती है । उस पर हम लोगों को जो केवल इधर ही नहीं बैठते बल्कि जो उधर भी बैठते हैं उन्हें भी देखना है । हमें इस बात को सोचना है कि एक जनवरी, सन् ५१ के बाद आखिर क्या वजह है कि ज्यादा मकान नहीं बने हैं । हमें तो यह कोशिश करनी चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इन्टरप्राइजर को मौका दिया जाय । आखिर इसकी वजह है क्या कि सन् ५१ के बाद मकान ज्यादा नहीं बने । इसकी वजह यह हो सकती है कि लोग इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे यहां कानून तो जल्द से जल्द बदलते हैं और लोग इस वजह से समझते हैं कि गवर्नमेंट ने आज ऐसा किया है । मगर गवर्नमेंट की पालिसी के मातहत जिस वक्त लोग यह महसूस करेंगे कि जो कुछ गवर्नमेंट ने किया था उसको पूरा किया है, तो क्या उस वक्त भी उनके लिये ऐसी बात कही जा सकती है । अगर इसको बार २ जाकर कहा जायगा कि इसका यकीन करें और अगर इस तरह से वे यकीन नहीं करते तो जब गवर्नमेंट उस काम को पूरा कर देगी तो वे यकीन करने लगेंगे । आज वह चीज जिससे कि मुल्क को कोई फ़ायदा व नफा नहीं है उसको निकाल दिया जाय और जो मकानों की समस्या है उसको किसी तरह से भी दूर किया जाय ।

मैं इसके पेश्तर की अपनी जगह पर बैठ यह कह देना मुनासिब समझता हूं कि यह बिल जो लाया गया है यह कोई अलहदा बिल नहीं है बल्कि यह विधान का एक जुज़ है । हमें तो किसी तरह से भी इस सूबे को उन्नति के रास्ते पर ले जाना है और इसी के लिये यह पेश किया गया है । मुझे यकीन है कि इस नुक्ते नज़र को सामने रख कर हम इस तरह से सोचने की कोशिश करेंगे और बावजूद इसके कि हम अलग २ पार्टियों में इसके विरुद्ध हो जायें हम सब पार्टियां एक हो कर इसको तसलीम करें क्यों कि इससे अपने सूबे और मुल्क की उन्नति का ताल्लुक़ है और जितनी भी नेशन बिल्डिंग एक्टीविटीज हैं उसमें हम सब को कोआपरेशन से आगे बढ़ाना है ताकि इस सूबे की तरक्की हो और यह मुल्क आगे बढ़े ।

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—सभापति महोदय, इस विधेयक पर कई साथियों ने भाषण दिये हैं और विरोधियों की तरफ से तीन साथियों ने इस विधेयक में आलोचना की है । कई बातों के उत्तर तो मेरे साथियों ने जो कि इधर बैठे हुये हैं, दे दिये इसलिये मुझे उन सारी बातों के उत्तर देने में समय नहीं व्यतीत करना है । कुछ थोड़ी बातें ऐसी रह गई हैं जिनका जिक्र मुझे करना है और जिनके संबंध में मैं अपने विचार इस सदन के सामने व्यक्त करूंगा ।

मुझे दुःख है कि मेरे साथी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने समयाभाव के कारण भी इस बिल के संबंध में बहुत सी आपत्तियां कीं और शायद उन्होंने इस विधेयक का अध्ययन अच्छी तरह से नहीं किया । यही वजह है कि उन्होंने और उनके नेता ने इस विधेयक की बहुत सी धाराओं और उपधाराओं के संबंध में और इस विधेयक के संबंध में कुछ ऐसे विचार व्यक्त किये जिनका संबंध इस विधेयक से नहीं है और हो भी नहीं सकता । क्योंकि यह विधेयक

जो इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है वह तो उन्हीं धाराओं के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है जिनके अन्तर्गत हमें, जो हमारे देश का विधान है, इजाज़त मिली हुई है। उन धाराओं के विरुद्ध जा कर या उनके ऊपर जा कर यह सदन कोई कार्य नहीं कर सकता है ।

जहां तक रेंट कन्ट्रोल की व्यवस्था का संबंध है इस सदन को क़ानून बनाने का हक़ है लेकिन इस सदन को किसी भी व्यक्ति की प्राईवेट प्रापर्टी (व्यक्तिगत सम्पत्ति) पर हमला करने का हक़ नहीं है और जब तक हम इस विधान के अन्तर्गत काम करते हैं जिसे देश ने स्वीकार किया है, और जो देश का विधान आज बनाया गया है, हमें यह हक़ नहीं है कि हम अपने जाती ख़्यालात से इस सदन में किसी भी चीज़ को कानून के रूप में परिणित करने की चेष्टा करें, क्योंकि यदि हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं और डेमाक्रेटिक सिद्धान्तों पर काम करते हैं, तो जो कुछ हमारे विधान ने मंजूर नहीं किया है उसको हम नहीं कर सकते हैं।

आज माननीय विरोधी दल के नेता ने मकानों के एक तरह से राष्ट्रीयकरण की बात कही । तो आज, अभी मकानों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता है, जब तक कि वह विधान जिसकी मातहती में हम और वे यहां बैठकर कार्य करते हैं हमारे देश में लागू है । हां, मैं एक बात अवश्य इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि जब हमारे देश का विधान बन रहा था, तब हमारे ये सदस्य जो आज इस सदन में बैठ कर हवा की बात करना चाहते हैं उस समय उस सदन में बैठने को उद्यत नहीं हुये जहां देश का क़ानून बन रहा था, देश का विधान बन रहा था, और जहां उन्हें अपने ख़्यालात का व्यक्त करने का और उस विधान में रखने का पूरा मौक़ा था । वे स्वयं तो हमारे भाई और ये साथी हवा में बाहर मंडला रहे थे और देश की राजनीति से अपने को एक तरह से दूर रख रहे थे और आज वे इस सदन में वह चीजें रखते हैं जिनको पूरा करने का सदन को हक़ नहीं है । तो मैं उनसे नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि जब उन्होंने अपनी नीति बदली है और जब उन्होंने अपने उस पुराने रवैये को बदला है और यहां आकर वे बैठे हैं तो उनका यह भी कर्त्तव्य है कि वह विधान जो कि हमारे देश में लगा हुआ है और जिसके अन्तर्गत सारे देश की सरकारें कार्य करती हैं और विधान सभायें कार्य करती हैं, उनको किसी भी विधान सभा के कानून के अन्दर रह कर कार्य करना पड़ेगा, उस विधान के अनुसार कार्य करना पड़ेगा।

आज जो हमने विधेयक उपस्थित किया, वह तो एक सीमित कार्य के लिये यहां उपस्थित किया है । हमने तो किराये को एक सीमा तक पहुंचाने के लिये यह कानून उपस्थित किया है और हमने इस देश की ग़रीब और एक मध्यम श्रेणी की जनता को मदद पहुंचाने के लिये यह कानून उपस्थित किया है जिससे कि जो मकान के किराये हैं वे अधिक न बढ़ सकें । हमने इस कानून को बना कर इस प्रदेश की मध्यम श्रेणी की जनता और ग़रीब जनता के लिविंग इंडेक्स के बढ़ने में कितनी रुकावट डाली है, क्या कोई आज इस बात को भूल सकता है ? क्या आज यह तथ्य नहीं है कि मकान का किराया एक मनुष्य के रोज़मर्रा के जीवन में कितना कीमत को बढ़ाने में और खर्चे में कितना स्थान रखता है और जब हमने सन् ४२ में जो किराया इस प्रदेश में फैला हुआ था उसको एक तरह से फ्रीज़ कर लिया और उन्हीं को मान कर हमने प्रदेश में किराये को कायम रखा, या उसमें २५ फीसदी किराया बढ़ाया । तो उससे क्या इस प्रदेश की ग़रीब और मध्यम श्रेणी की जनता को फायदा नहीं हुआ । हम आज उसी ग़रीब और मध्यम श्रेणी की जनता को फायदा पहुंचाने के लिये इस विधेयक को इस सदन के विचारार्थ उपस्थित कर रहे हैं और इस सदन से चाहते हैं कि जो सुभीता हमने इस विधेयक को कानून में परिणत करके इन ५-६ वर्षों में लोगों को पहुंचाया है, वह सुभीता कम है ? यह इस विधेयक का एक सीमित मंशा है ।

उसके विपरीत यह लम्बी बातें करना कि यह सरकार इन मकानों के ऊपर कब्ज़ा क्यों नहीं करती है और जिस व्यक्ति ने १५ साल या २० साल तक किराया देकर उस मकान में जो रहा है उसे नहीं दिला देती है । मैं नम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात इस विधेयक की नीति के परे है । यदि हम उस विधेयक के ऊपर बातें करना चाहते हैं और कानून

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

बनाना चाहते हैं तो उसके लिये हमें अपने विधान में परिवर्तन करना पड़ेगा और उस विधान में परिवर्तन करना पड़ेगा । तब इस तरह का क़ानून हम इस सदन में उपस्थित कर सकेंगे । इसलिये मेरा नम्रता से निवेदन है कि हम महज़ एक विधेयक की आलोचना करने के लिये ऐसी हवा में न बह जावें, जिस हवा में बह कर हम विधेयक के सिलसिले में कोई कांस्ट्रक्टिव ढंग की कोई ऐसी बात न रख सकें जो कि हम क़ानून के अन्तर्गत पूरा कर सकते हैं ।

अभी माननीय नारायणदत्त जी ने इस विधेयक के संबंध में अलावा बहुत सी बातों के जिनका उत्तर हमारे बहुत से साथियों ने दे दिया है यह कहा कि जो कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी आचार्य जुगुल किशोर जी की अध्यक्षता में बिठायी गयी थी उसने जो सिफारिशें की थीं उन सारी सिफारिशों को हमने मंजूर नहीं किया है । हां, यह सही है कि उन सारी सिफारिशों को हम मंजूर नहीं कर सके हैं । लेकिन कुछ ऐसी सिफारिशें अवश्य हैं जिन्हें हमने कानून के रूप में उपस्थित कर के मंजूर किया है और कुछ ऐसी सिफारिशें हैं जिन्हें हम अपने आदेशों के द्वारा मंजूर कर रहे हैं । आखिर हमने इस विधेयक के अन्दर वे बातें रखी हैं जिन्हें हम कानून के रूप में परिणत करना चाहते थे । बहुत से हमारे कायदे बनते हैं जो कि हमारे एक्जीक्यूटिव आर्डर्स होते हैं और जिनके अन्तर्गत इस विधेयक का कार्य जब वह एक अधिनियम बन जाता है चलता है । पर अभी तो हमने उस कमेटी की सिफारिशें जो एक्जीक्यूटिव ढंग से स्वीकार कर ली हैं उनके संबंध में हमने आदेश जारी नहीं किये हैं । जब यह विधेयक अधिनियम बन जायगा तो उस कमेटी की उन सिफारिशों का वह हिस्सा जिन्हें हम एक्जीक्यूटिव आर्डर्स से मंजूर कर सकते हैं और जिसके संबंध में हम आदेश दे सकते हैं वे आदेश तो हम देंगे । अगर हम वे आदेश न दें तब आप अवश्य सदन में खड़े हो कर कह सकते हैं कि हमने उस कमेटी की अमुक अमुक सिफारिशों को मंजूर नहीं किया । इसलिये आज यह आलोचना कर देना कि हमने उस कमेटी की अमुक अमुक सिफारिशों को मंजूर नहीं किया है यह बहुत बेमौका है ।

दूसरी बात ऐडवाइजरी कमेटी के संबंध में कही गयी कि ऐडवाइजरी कमेटी ने जो सिफारिशें की थीं उन्हें हमने कानून में जगह क्यों नहीं दी । मैं सदन की सूचना के लिये कह देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में नगरों में रेंट कंट्रोल की जो कार्यवाही है उसकी देखभाल के लिये आज डेढ़, दो वर्ष से ऐडवाइजरी कमेटीज़ बनी हुई हैं और वे अपना कार्य भी करती हैं । परन्तु उनका कार्य ऐडवाइजरी ढंग का है । वे ऐडमिनिस्ट्रेटिव (प्रशासनात्मक) कमेटीज़ नहीं हैं । और यदि हम उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ बना दें तो फिर जिलाधीश आदि को अधिकार देने से हमारा क्या मतलब ? हमने ऐडवाइजरी कमेटीज़ को अपने प्रदेश में पहले से ही बना रखा है और आज भी वे जिलाधीशों को सलाह देती हैं और रेंट कंट्रोल आफिसर्स को सलाह देती हैं और वे व्यक्ति उनकी सलाहों पर कार्य करते हैं । लेकिन उनको हमने कोई स्टेटुटरी अधिकार नहीं दिये हैं और न कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार दिये हैं और ऐसे अधिकारों का देना हम गैरमुनासिब भी समझते हैं । सदस्यगण भी उनको ऐसे अधिकार देना पसन्द नहीं करेंगे । यदि हम उन्हें ऐडमिनिस्ट्रेटिव और स्टेटुटरी रूप में दे दें तो बहुत सी दिक्कतें हमारे सामने आ जायंगी । इसलिये यह कहना कि ऐडवाइजरी कमेटीज़ की सिफारिशों को हमने मंजूर नहीं किया है यह बहुत गलतफहमी है । हमारे यहां ऐडवाइजरी कमेटीज़ हैं और जगह जगह पर जहां इस विधेयक की धाराओं को हम लागू करेंगे वहां हम ऐसी कमेटीज़ को बनायेंगे । यह हमारा कार्य दो वर्ष से चल रहा है और आगे भी चलेगा और इस प्रकार की एडवाइजरी कमेटीज़ से हम पूरी पूरी सहायता लेंगे ।

एक एतराज यह भी उपस्थित किया गया कि हमने सबटेनेंट्स (शिकमी किरायेदारों) को कोई अधिकार नहीं दिया है । तो हम यह कहना चाहते हैं कि हमने उस सिफारिश को उस रूप में मंजूर नहीं किया जिस रूप में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था । हम उसको नहीं कर सकते थे और हम उसको मुनासिब भी नहीं समझते । आपने यह महसूस किया होगा

कि जो विधेयक हमने आज उपस्थित किया है उसमें तो सबलेटिंग को और जो अनअथोराइज्ड आक्यूपेशन्स (अनाधिकृत अध्यासन) हैं उनको कड़ा करने के लिये हमने इस विधेयक में एक परिवर्तन किया है और हमारी मंशा इस कानून से तो यह है कि जो मकान खाली हों उनकी सूचना तो हमको मिले। यदि हम सबलेटिंग पिछले वर्षों के लिये मंजूर कर लेते तो आगे भी हम उसी तरह से इजाजत देते। लेकिन हमने तो इस नये विधेयक में सबलेटिंग के ऊपर कुछ रोक सी लगायी है। पहले जिलाधीशों की आज्ञा से सबलेटिंग हो सकती थी लेकिन अब हमने फैसला किया कि बिना लैंडलार्ड (मकान मालिक) की मंजूरी के सबलेटिंग नहीं हो सकती। एक रोक अनअथोराइज्ड आक्यूपेशन और सबलेटिंग के ऊपर हमने लगायी है। और इस कारण से हम यह मुनासिब नहीं समझते। सब टेनेंट को वैसे अधिकार रहता है कि अगर कोई मकान खाली होता है और सबटेनेंट चाहता है तो वह जिलाधीश के पास जा सकता है अर्जी दे सकता है और जिलाधीश अगर मुनासिब समझता है तो वह उस सबटेनेंट को वह मकान एलाट कर देता है। आज सबटेनेंट के लिये इस प्रकार से अधिकार क्यों मांगे जाते हैं? टेनेंट के अन्तर्गत जो अधिकार दिये हुये हैं उनको सबटेनेंट प्राप्त कर सकता है जिस दिन मेनटेनेंसी (प्रधान किरायेदार का रूप) खत्म हो गयी उस दिन सबटेनेंट के भी अधिकार खत्म हो जाते हैं यदि हम पिछले सबटेनेंट को अधिकार दे दें तो जो नये सबटेनेंट हैं उनको भी अधिकार देने पड़ेंगे और इस प्रकार कानून की जो मंशा है वह समाप्त हो जायगी। इस कारण हमने उसको मंजूर नहीं किया है।

फिर माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने यह कहा था कि हमने रिपेयर्स (मरम्मत) के लिये कानून में जो परिवर्तन किया है वह जो और प्रदेशों में कानून प्रचलित हैं उनसे एक पिछड़ा हुआ कानून है क्योंकि और प्रदेशों में दो महीने तक का किराया रिपेयर्स के संबंध में उन कानूनों में रखा गया है। मैं माननीय नारायणदत्त जी को बता देना चाहता हूं कि हमारा कानून अधिक लिबरल (उदार) है उन कानूनों को देखते हुये। एक महीने का जो किराया है उसको हमने ऐनुअल रिपेयर्स के लिये मंजूरी दी है और फिर हमने यह भी मंजूरी दी है कि यदि कोई व्यक्ति यह चाहता है कि अलावा ऐनुअल रिपेयर्स के उसके मकान में ऐसे रिपेयर्स की आवश्यकता है जिसे मालिक मकान नहीं पूरा करता है तो वह मुंसिफ की अदालत में जाकर अरजी दे सकता है और वहां अपने रिपेयर्स के बारे में वह मुंसिफ के सामने दरख्वास्त देकर अधिक खर्चा रिपेयर्स के सिलसिले में प्राप्त कर सकता है। उसके लिये जो हमने दफा ७ में डी० और ई० और दफायें जोड़ी हैं उनसे मंशा साफ जाहिर हो जाती है कि हमारी मंशा मकान में रहनेवाले किरायेदार के किस तरह की सुविधा देने की है। तो यह कहना कि हमारा कानून लिबरल नहीं है और बम्बई का कानून लिबरल है, मैं बहुत अदब से कहूंगा कि यह बात तथ्य से परे है।

सन् ४६ के बाद जितने मकान बने हैं, यदि उनका किराया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट निर्धारित करता था, तो हमने सन् ४६ के पहले के जो मकान हैं और जिनका किराया निर्धारित नहीं हो सका है, उनका किराया निर्धारित करने की पावर्स जिलाधीश को दी हैं। इससे टेनेंट्स का अधिकार बढ़ाया गया है, कम नहीं किया गया है। यह कैसे कहा जाता है कि इस कानून में हमने टेनेंट्स के अधिकारों को कम किया है। यह बात मैं समझ नहीं पाया। विरोधी दल की तरफ से दो बातें कही गयीं, एक तो यह कहा गया कि यह कानून जिलाधीशों को जिस तरह से मकान के मालिक चाहते हैं इस तरह से एलाटमेंट का अधिकार देता है और दूसरे यह कहा गया कि यह कानून यह जो टेनेंट्स हैं उनको कोई अधिकार नहीं देता है, यह उन्हें तकलीफ देता है। इन दो बातों का सामंजस्य मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं समझ सका कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो चाहते हैं कि टेनेंट्स के अधिकार सुरक्षित हों और कितने लैंडलार्ड के अधिकार सुरक्षित करने की चेष्टा करते हैं। हमने जहां तक इस विधेयक में कोशिश की है वहां तक दोनों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की कोशिश की है। आज भी हमारी यह चेष्टा है कि हमारे सामने जब सुझाव आयें तो हम उन सुझावों को जांचें और यदि वे सही हों तो हम

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

उन्हें मंजूर करें। तीन चार वर्षों में हम सदैव इसी भावना से प्रेरित रहे हैं और वह भावना आज भी जब हम इस अधिनियम को इस सदन के सामने उपस्थित कर रहे हैं हमारे सामने बराबर है। जैसे कि हमने सन् ५१ में इस पुराने ऐक्ट में यह तब्दीली की कि नये मकान जनवरी, सन् ५१ से जो बनेंगे उनके ऊपर यह कानून नहीं लगाया जायगा, वह कार्यवाही भी हमने इसी सदन के मंशा को पूरा करने के लिये अंजाम दी थी और हमने उन सुझावों को उस समय मंजूर किया था जो सदन के सामने उपस्थित किये गये थे।

१९५१ में जब हमने नये मकानों से इस कानून को हटाया जो उसकी मंशा यह थी कि हमारे प्रदेश में अधिक से अधिक मकान बनाये जा सकें। मकानों की समस्या तो काफी कठिन समस्या थी और आज भी है। जितने व्यक्ति आज देहातों से आ कर शहरों में बस गये हैं उनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और उनके रहन सहन के लिये हमें जितने मकानों की आवश्यकता है उतने मकान हमारे प्रदेश में बन नहीं पा रहे हैं। उसके बहुत से कारण हैं। मेटीरियल्स का न मिलना, सामग्री का अभाव, ये तमाम कारण ऐसे हैं। तो जब व्यवस्था ऐसी है कि जितनी संख्या में हमें मकानों की आवश्यकता है उतने मकान नहीं बन पा रहे हैं यदि इस अधिनियम से हम इस प्रदेश की पीड़ित और दुखी जनता को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं तो क्या यह शिकायत की जा सकती है, क्या यह लांछन लगाया जा सकता है कि हम न तो टेनेंट्स की परवाह करते हैं और न लैंडलार्ड्स की परवाह करते हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हमारी बराबर इस ओर यह चेष्टा रही है कि हमारे प्रदेश में अधिक से अधिक मकान बन जायं और जब हमने ५१ में नये मकानों को छूट दे दी तो उससे मकानों का बनना बढ़ा।

मैं आपके सामने चन्द आंकड़े पेश करना चाहता हूं जो इस बात को बताते हैं कि हमारे प्रदेश में जब हमने ५१ में इस कानून में तब्दीली की थी और नये मकान इस रेंट कंट्रोल के तहत से हटा दिये तो यद्यपि जो संख्या मकानों की पहुंचनी चाहिये थी उस हद तक तो नहीं बढ़ी लेकिन आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि मकानों के बनने में वृद्धि अवश्य हुई। ५० में नये मकान, जब कि हमारे प्रदेश में यह कानून था और इसके अन्तर्गत मकानों का रेंट फिक्स हुआ करता था करीब ४,२४६ बनाये गये थे लेकिन ५१ में जब हमने इस कानून को हटा दिया तब करीब ६,३१८ मकान हमारे प्रदेश में नये बने। नये मकानों से मेरा मतलब प्राइवेट मकानों से है और अब तक ३० जून तक जो फीगर्स हमारे सामने आये हैं उनसे पता चलता है कि ३,३७३ मकान बन चुके हैं। ये आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि हमारे यहां मकानों के बनने में वृद्धि हुई। लेकिन जितने मकानों की आवश्यकता है यदि उस अनुपात में हम इन आंकड़ों को देखें तो हमें यह पता चलता है कि अभी हमें बहुत कार्य करना है तब हम अपने इस कार्य को पूरा कर सकेंगे। जो आंकड़े अभी मेरे सामने आये हैं जो कि हमारे प्रदेश ११ शहरों की आबादी की बुनियाद पर है, उनसे जो अनुमान लगाया जाता है वह यह है कि २ लाख ५ हजार ५२७ मकानों की आवश्यकता है जब कि नये कांस्ट्रक्शंस २३,२१५ हुये हैं। आप यह देखेंगे कि १ लाख ८२ हजार ३१२ मकानों की अब भी हमें आवश्यकता है। तो ये मकान जब कि हमारे पास सामग्री और साधन सीमित हैं कैसे बनाये जा सकते हैं, यह प्रश्न हमारे सामने है और जब तक यह प्रश्न हल नहीं होता तब तक उन लोगों के लिये जो कि छोटे मकानों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जो सन् ४२ के रेट पर अपना किराया देते हैं हम अधिक से अधिक उनके लिये यही तो कर सकते हैं कि हम उनके किराये को बढ़ने न दें ताकि उनका जो इंडेक्स आफ लिविंग है वह बढ़ने न पाये। उनका जो रोजमर्रा का खर्चा बढ़ गया है और वे अपना रोजमर्रा की आवश्यकतायें पूरी नहीं कर पा रहे हैं उनके खरचे में अधिक वृद्धि न होने दें, तो हमने इस कानून को इसी सीमित कार्य के लिये इस सदन के सामने उपस्थित किया है और इस कारण से हम इसके अन्दर उन लम्बे लम्बे सुधारों का समावेश नहीं कर सकते जिनका जिक्र अभी माननीय नेता विरोधी दल ने इस सदन में किया है।

हमारा उद्देश्य क्या है ? हमारा उद्देश्य यही है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को मदद पहुंचायें कि उनका जो रोजमर्रा का खर्चा है उसमें और अधिक वृद्धि न होने पाये।

उनका यह कहना कि इस विधेयक से और उस कानून से जिसमें संशोधन करके हम उस विधेयक को सदन के सामने उपस्थित कर रहे हैं कोई फायदा नहीं हुआ तो मैं उनसे कहूंगा कि वह उन शहरों के अन्दर जायं जहां पर लोग सन् १९४२ ई० के किराये पर २५ फीसदी ज्यादा देकर रहते हैं। क्या मकान मालिक उनको इस तरह से रहने देते ? अगर उनका उत्तर यह है कि कदापि नहीं रहने देते तो क्या हमने इस प्रकार के कानून को बनाकर इस प्रदेश की जनता को सुख नहीं दिया है और क्या आइन्दा भी इस प्रदेश की जनता को सुख नहीं देंगे ? यह विधेयक उसी जनता की सेवा करने के लिये उसी जनता को सुखी करने के लिये हमने इस सदन में उपस्थित किया है। इससे अधिक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि मकानों के ऊपर कब्जा करने की बात बताई जाती है और उनके राष्ट्रीयकरण करने की बात कही जाती है तो उसके लिये जैसा मैंने आरम्भ में कहा वह इस सदन के अधिकार की बात नहीं है। वह इस सदन के अधिकार में तभी हो सकता है जब कि संविधान को तब्दील किया जाय। उस शिड्यूल के अधिकार के मातहत हमने यह कानून बनाया है। उसी तहत में हम काम कर सकते हैं और उसी तहत में हम कानून बना सकते हैं।

फिर हमारे वे साथी जो डिमोक्रेसी में विश्वास करने लगे हैं और जो इस देश के अन्दर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का प्रसार देखना चाहते हैं उनके लिये अन्य सुझाव रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब हम एक कानून के तहत में काम कर रहे हैं तो हम उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। माननीय सदस्यों को मैं इस बात का आवश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जब कभी इस कानून के बरतने में दिक्कतें पैदा होंगी और जब भी कोई सुझाव हमारे सामने आयेगा हमने उन सुझावों पर विचार किया हैं और आगे भी विचार करेंगे। और संशोधन भी इसके अन्दर करने की कोशिश करेंगे। पिछली बार भी हमने दिक्कतों को अनुभव में देकर इसके अन्दर परिवर्तन किये हैं और आगे भी हम परिवर्तन और संशोधन करने पर विचार करेंगे अगर कोई दिक्कत अनुभव में आयेगी तो उस पर विचार करेंगे।

मैं आज तो यह निवेदन करूंगा कि जो विधेयक यहां उपस्थित किया गया है उसमें उन सब बातों का समावेश किया गया है जो आवश्यक हैं। और यदि बाद में कोई ऐसी चीज आयेगी तो सदन के सदस्यों के सामने रखकर हम संशोधन ला सकते हैं और दूसरे विधेयक के द्वारा संशोधन कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपने उन सब साथियों को धन्यबाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस विधेयक का स्वागत किया है और साथ ही मैं उन साथियों को भी धन्यबाद देता हूं जिन्होंने इसकी आलोचना की है यद्यपि उनकी अलोचनाना विधेयक के अन्तर्गत नहीं थी वह परे की बात थी जो इस सदन के पावर (शक्ति) की बात नहीं है लेकिन मैं उन सब से फिर प्राथना करता हूं कि यह विधेयक जिस रूप में रखा गया है उस रूप में सदन के सदस्यगण इसको स्वीकार करें।

अधिष्ठाता----प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ रेण्ट ऐण्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५२, पर बिचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता---अब हम खंडों पर विचार करेंगे।

खंड २ तथा २-क

मूल अधिनियम की धारा १ का संशोधन

२---यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेण्ट ऐण्ड एविक्शन ऐक्ट, (१९४७, जिसको यहां आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (४) में अंक "1952" के स्थान पर अंक "1954" रखा जायगा।

[अधिष्ठाता]

२–क–मूल अधिनियम की धारा २ के खंड (a) के बाद निम्नलिखित खंड (aa) बढ़ा दिया जायगा।

"(a a) Commissioner includes an Additional Commissioner."

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)––माननीय सभापति महोदय, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड २ की पंक्ति ४ में अंक "१९५४" के स्थान पर अंक "१९५३" रख दिया जाय।

इस को पेश करने के बाद मैं इस पर कोई बहस करना नहीं चाहता हूं और मैं ऐसा समझता हूं कि इस पर इतना बहस मुबाहिसा हो चुका है कि फिर उस पर ज्यादा रोशनी डालने की जरूरत नहीं है। मैं यह भी चाहता हूं कि बिल जल्दी से जल्दी पास हो जाय। केवल एक बात मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अन्न मंत्री जी परेशानी महसूस कर रहे हैं और जिस परेशनी में वह है उसी परेशानी में, मैं भी उन का कुछ हिस्सा बटाना चाहता हूं।

उन्होंने जो यह उलाहना दिया कि हमारी अमद मौजूदगी की वजह से ऐसा विधान बना कि जिस में रोज रोज दिक्कत होती है। इस बात को हम मानते हैं कि हम होते तो ऐसा विधान नहीं बनता और हमें और माननीय अन्न मंत्री दोनों को मिल कर कोशिश करनी चाहिये कि यह विधान बदलें ताकि इस तरह की दिक्कतें हमारे सामने रोज रोज न आवें और इसीलिये मैं दो साल के बजाय केवल एक साल चाहता हूं क्योंकि हम एक साल ही में इस को बदलवाना चाहते हैं और अगर बदल गया तो एक साल बाद उचित रूप में कानून आ जायगा और जो विधान की दिक्कत आज हो रही है वह दिक्कत हमें आगे नहीं रहेंगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी––आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये यहां पर प्रस्तुत हुआ हूं। यह संशोधन देखने में तो छोटा है कि सन् ५४ के बजाय सन् ५३ कर दिया जाय और केवल एक साल की अवधि के लिये ही इस को बढ़ाया जाय। इस संशोधन को लाने की आवश्यकता तो नहीं थी लेकिन फिर भी माननीय अन्न मंत्री का भाषण सुनने के बाद और उन के स्वयं महसूस करने के बाद कि बिल में कमियां रह गई हैं और यह आश्वासन दिलाने के बाद कि जो कमियां रह गई हैं उन को सुधार लिया जायगा और संशोधन कर लिये जायेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त––मैं ने ऐसा नहीं कहा।

श्री नारायण दत्त तिवारी––इस में जो कमियां और खामियां रह गई हैं उनको ठीक करने के लिये केवल एक साल का ही समय बढ़ावें और फिर उस पर विचार करें और यदि संशोधनों की आवश्यकता हो तो संशोधन लावें।

जहां तक उन्होंने यह कहा कि मैंने जितनी बातें पिछली आलोचना में कहीं थीं वह सब विधान से संबंध रखतीं थीं और वह सब सदन की योग्यता के बाहर थीं। मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसी कौन सी बात कही जो सदन की योग्यता के बाहर थी। मेरी आलोचना कंट्रोल इन्कवायरी कमेटी की रिपोर्ट तक ही सीमित थी और मैं ने ७ या ८ मिसालें उसी रिपोर्ट के अनुसार दी थीं जो आवश्यक थीं और वह ऐक्ट में आ जानी चाहिये थीं लेकिन माननीय मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ इतना कह कर रह गये कि उन का भारतीय विधान से संबंध था और वह सब मकानों के राष्ट्रीकरण से संबंध रखती हैं, इसलिये वह स्वीकार नहीं की जा सकतीं हैं। मेरी ओर से मकानों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न नहीं उठाया गया था। जो सीमित उद्देश्य माननीय मंत्री जी के विधेयक में थे उन्हीं तक मैं सीमित था।

[माननीय मंत्री जी ने उद्देश्य और कारणों में कहा है कि "उक्त कमेटी ने त्रुटियों को दूर करने एवं गृहसंबंधी निवासस्थान के नियंत्रणों को और कड़ा करने के लिये सिफारिशें की हैं। सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया है।" तो सरकार ने यह जब

पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, १०० फीसदी स्वीकार कर लिया तो फिर ऐक्ट में उसको क्यों नहीं पूरे तौर से लागू किया गया। उन्होंने कहा कि जब यह अधिनियम पास हो जायगा तो उस पर इस प्रकार के एक्जीक्यूटिव आर्डर्स जारी कर दिये जायेंगे। अब आप ७ (बी) को ले लीजिये। वह ऐक्जीक्यूटिव आर्डर के जरिये से कैसे हो सकता है ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--श्रीमन्, मैं एक विधान का प्रश्न उपस्थिति करना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य क्या खाद्य मंत्री जी की बहस का जवाब दे रहे हैं या गेंदा सिंह जी के अमेंडमेंट पर बोल रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं श्री गेंदा सिंह जी के संशोधन की ताईद कर रहा हूं और इस बिल की कमियां बता रहा हूं जो एक साल के बाद आप पूरा कर सकते हैं लेकिन माननीय हुकुम सिंह जी को सब्र ही नहीं होता। अब यह जो धारा है ७(बी) यानी

"Civil Courts should also be vested with powers to enter into the question of fixation rents of before issuing the ejection notice under section 7-B of the Act"

इसमें ऐक्जीक्यूटिव आर्डर के द्वारा अमेंडमेंट कैसे हो जायगा वह तो लेजिस्लेटिव आर्डर होगा वह तो सदन को स्वीकार करना होगा इसीलिये हम कह रहे हैं कि इसकी म्याद एक साल की बढ़ा दी जाय ताकि अगले साल उसको आप तरमीम कर लेंगे।

एक बात यह भी कही गई कि तमाम एडवाईजरी कमेटियां बनी हुई हैं लेकिन हम लोगों को मालूम ही नहीं कि एडवाइजरी कमेटीज का क्या फंक्शन है और उनका काम क्या है ? मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान लखनऊ रीजनल इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि--

"लखनऊ के अतिरिक्त कहीं भी कोई सलाहकार समिति होना दिखाई नहीं देती और जहां है भी तो उनका कार्य सुचारु रूप से नहीं हो रहा है। जो समितियां हमारे सम्मुख उपस्थित हुई हैं उनसे यह विदित होता है। यह देखा गया है कि आमतौर से जो अलाटमेंट्स किये जाते हैं वे सब डी० एस० ओ० द्वारा ही होते हैं।"

श्री बनारसी दास--मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य संशोधन के क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। संशोधन यह है कि यह इस बिल की अवधि केवल १ साल के लिये बढ़ा दी जाय।

अधिष्ठाता--माननीय सदस्य इसका ध्यान रखें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं संशोधन के बिलकुल अन्दर बोल रहा हूं अगर आप को बहुत जल्दी है तो मैं बैठ जाऊं लेकिन यह बात नहीं है कि मैं संशोधन से बाहर जा रहा हूं।

तो आपने यह कहा था कि ऐडवाइजरी कमेटियां सब जिलों में काम कर रही हैं। लेकिन कमेटी इसके विरुद्ध कहती है कि सब अलाटमेंट डी० एस० ओ० या डी० एम० ही करते हैं।

जहांतक रीजनेबिल रेंट का सवाल है इंक्वायरी कमेटी के अनुसार सेक्शन ५ में आप से ऐसा संशोधन करना चाहिये था जिसके अनुसार रीजनेबिल रेंट जल्दी से जल्दी तय हो सके। यह सिफारिश कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में है लेकिन माननीय मंत्री जी के इस बिल

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

में उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। यदि वह अभी इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है तो अगले वर्ष इसको अच्छी तरह से सोच विचार कर स्वीकार कर लें और इसके लिये एक अमेंडमेंट ले आयें

इसलिये सीधे-सीधे अल्फाज में मैं केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि इस बिल की मियाद एक वर्ष के लिये ही बढ़ाई जाय। मुझे आशा है माननीय मंत्री जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---चेयरमैन महोदय, जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने रखा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि जहां तक रेंट कंट्रोल की नीति का संबंध है सदन इसे स्वीकार करता है और ऐसी बात है तो दो साल का समय जो हमने इस विधेयक में निर्धारित किया है वह कोई लम्बा समय नहीं है क्योंकि दो साल में हमारे प्रदेश में मकानों की स्थिति बिगड़ने की नहीं है और न अधिक संख्या में मकान बन जाने वाले हैं और फिर बार बार हाउस को उसी विषय पर विचार करने के लिये आमंत्रित करना जनता के पैसे का भी दुरुपयोग करना है। आखिर जब सदन को बुलाते हैं और जब सदस्यगण उसी विषय पर जिसकी नीति को सदन स्वीकार कर लेता है बहस करते हैं तो उसमें कुछ खर्चा होता है। उसी बात पर विचार करने के लिये जब कि दो तीन साल तक हमें उसी नीति पर चलना है तो यह बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। हमें जनता के पैसे को बचाना है। हमें ग़रीब किसान के पैसे की तरफ भी नजर रखना है। बार बार उसी बात पर विचार करना, मैं समझता हूं कि इस सदन का समय बेकार बरबाद करना है और बेकार में रुपया खर्च करने की बात है।

मैंने पहले ही कह दिया है कि यदि इसमें कुछ त्रुटियां देखने को मिलेंगी और सदस्यगण हमारी नजर में लायेंगे और संशोधनों की आवश्यकता होगी तो हम सदन में जरूर रखेंगे और जो कानून प्रचलित होगा उसमें परिवर्तन करेंगे। इसलिये इस संशोधन का जिसे माननीय गेंदा सिंह जी ने रखा है, मैं विरोध करता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---सभापति महोदय, मैं इस छोटे से संशोधन का समर्थन करने के लिये इसलिये खड़ा हुआ हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे प्रान्त के लोगों के धन का अपव्यय होगा अगर इसको एक साल के लिये रखा जाय और फिर एक साल के बाद दुबारा बहस करें। मैंने माननीय मंत्री जी के सामने मंसूरी की बात रखी थी कि एग्रीड रेंट का जो सवाल था वह बहुत एनहान्स्ड लिया गया था। इसका जवाब भी मुझे नहीं मिला और भी कुछ बातें थीं लेकिन आज शायद माननीय मंत्री जी को जवाब देने का मौका नहीं मिला तो शायद वह घर जाकर सोचें और एक साल बाद फिर मौका आ जाय। दो साल तक मैं कैसे रुका रहूंगा।

इसलिये मैं चाहता हूं कि श्री गेंदा सिंह जी ने संशोधन यहां पर रखा है कि इसको एक साल के लिये रखा जाय न कि दो साल के लिये, मैं उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे और अगर नहीं करते हैं तो कम से कम हमें बतलावें और जिन बातों को हम उठाते हैं उनका जवाब तो मिलना चाहिये।

कहा यह जाता है कि राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। अगर वह समझते हैं कि एक ने ग़लती की तो वह उससे ही क्यों चिपट जाते हैं। मैंने तो कंट्रोल की ही बातें कही थीं और किसी कारण वग़ैरा की बात नहीं कही थी और उसका भी जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। इसलिये मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त——सभापति महोदय, मुझे बहुत दुःख है कि मुझ से भूल हो गई कि मैं माननीय उपाध्याय जी की बातों का उत्तर अपने पहले के उत्तरों में नहीं दे सका। चूंकि उन्होंने इस प्रश्न को उठाया है। इसलिये उनकी जानकारी के लिये कि इस विधेयक में कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे उनकी बातों का उत्तर मिल सकता है मुझे यही कहना है कि उन्होंने मंसूरी का जिक्र किया था...

अधिष्ठाता——माननीय मंत्री जी को अभी समय है। जब उत्तर देने को अवसर होगा तो वह अपना उत्तर देने की कृपा करेंगे।

श्री गेंदा सिंह——माननीय सभापति महोदय, मैंने तो इस उम्मीद से इस संशोधन को पेश किया था कि माननीय अन्न मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे। यह तो बहुत सीधा सादा संशोधन था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसमें किसी बिल की नीति का विरोध हो। यह बात जरूर थी कि मैं ऐसा समझता था कि बिल में ऐसी बातें हैं कि जिन पर आपत्ति की जा सकती है और उसके संशोधन की जरूरत है और जैसा कि हमारे नेता विरोधी दल माननीय राजनारायण जी ने कहा कि उसमें कुछ बुनियादी बातें ऐसी हैं जिसका उसमें जिक्र नहीं है। जिनका होना जरूरी है। ऐसी हालत में मैंने यह मुनासिब समझा कि जहां दो वर्ष के लिये हम इस कानून को पास कर रहे हैं, उसके बजाय एक वर्ष कर दिया जाय।

इसके विरोध में माननीय अन्न मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, दलील दी वह दलील हमको कुछ जंची नहीं। मजबूरी है। मैं शायद उनकी तरह से नहीं सोच सका, लेकिन जब उन्होंने यह कहा कि सदन का समय खराब होता है और उसमें व्यय होता है ऐसे प्रश्नों पर विचार करने में तो मैं समझता हूं कि भोजन के बाद फिर घर का प्रश्न आता है मनुष्य के जीवन में। भोजन के मसले को हम हल करने के लिये रोज रोज काम करते हैं, उसी प्रकार मकान के मसले को हल करने के लिये कुछ न कुछ करना पड़ता है, तो अगर यह सदन वर्ष भर में एक दिन अपने रहने की झोंपड़ी के, मकान के सम्बन्ध में बात कर ले बैठ कर तो यह कोई महंगा नहीं पड़ता और हो सकता है कि साल भर में कुछ अनुभव हम प्राप्त करें और उस अनुभव से जो माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में प्राप्ति किया हो उससे सरकार को लाभान्वित करावें और उसको सुन कर के सरकार ऐसा विधेयक बनावें जिससे सारे सूबे का कल्याण हो सके। तो उस वक्त कोई महंगा सौदा नहीं पड़ता। लेकिन बदकिस्मती है कि वह बात माननीय अन्न मंत्री जी को नहीं जचंती हालांकि पिछलीबार तो उन्होंने दो वर्ष से एक वर्ष कर दिया था और मेरा संशोधन मान लिया था। उससे मुझे एनकरेजमेंट और उत्साह मिला।

अब वे मानें या न मानें, मजबूरी है, मैं उनको मना नहीं सकता। उनके पास इतना बल है और उसका अनुचित गर्व भी है जिसके कारण यह हमारी बात मानने को तैयार नहीं हो सकते। मैं फिर भी उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इस हार्मलेस संशोधन को मान लें। उससे उनको कोई नुक़सान नहीं होता। दो वर्ष से एक वर्ष करने में कोई कठिनाई उनको नहीं पड़ेगी और जो सुविधा इस सदन को प्राप्त होती है कि अगले वर्ष ऐसे आवश्यक प्रश्न पर एक दिन फिर विचार कर लेंगे उसको ध्यान में रखते हुये मैं आशा करता हूं कि माननीय अन्न मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त— सभापति जी, माननीय उपाध्याय जी ने यह ऐतराज उपस्थित किया था कि मैंने उनके प्रश्नों का उत्तर अपने उत्तर में नहीं दिया। उन्होंने मंसूरी का हवाला देकर यह बताया था कि मंसूरी में टिनेंट्स और लैंडलार्ड्स में जो झगड़ा हुआ, जो कि ऐग्रीड रेंट (सम्मत किराये) के सिलसिले में था उसमें सरकार ने टिनेंट्स का पक्ष नहीं लिया था और उनकी जो लड़ाई चलती थी उसको बढ़ने दिया। मैं उनसे यह बताना चाहता हूं कि यदि उन्होंने इस विधेयक की धाराओं का अध्ययन किया होता तो वह इस प्रकार का ऐतराज इस सदन में उपस्थित नहीं करते। धारा ५ जिसमें कंट्रोल और उसके संबंध में तमाम बातें कही गयी हैं उसमें यदि कोई व्यक्ति ऐग्रीड रेंट से असंतुष्ट है तो वह उस ऐग्रीड रेंट को अदालत में जाकर बदलवा सकता है। दफा ५ की उपधारा (४) में साफ लिखा है—

"If the landlord or the tenant, as the case may be, claims that the annual rent of any accommodation to which the Act applies is inadequate or excessive, or if the tenant claims that the agreed rent is higher than the annual reasonable rent, he may institute a suit for fixation of rent in the Court of the Munsif having territorial jurisdiction if the annual rent claimed or payable is Rs. 500 or less, and in the Court of the Civil Judge having territorial jurisdiction if it exceeds Rs. 500."

तो इसमें हमें साफ अधिकार मिला है कि यदि वह किसी तरीके पर ऐग्रीड रेंट से असंतुष्ट है तो मुंसिफ या सिविल जज के यहां मुकदमा दायर कर सकता है और ऐग्रीड रेंट को भी अदालत में जाकर बदलवा सकता है मंसूरी के टिनेंट्स को यह अधिकार मिला हुआ था। जब सरकार के सामने वे आये तो सरकार ने सुझाव दिया कि तुम अदालत में जाओ और वहां से फैसला करवा लो बजाय इसके कि कानून को अपने हाथ में लो।

अगर जवाब न मिलने की वजह से चाहते हैं कि एक साल ही इसकी मियाद रहे तो मैं उनसे कहता हूं कि उनका जो कुछ सुझाव है उसका समावेश इस ५ (४) में कर दिया गया है। मुझे यकीन है कि यदि उनका यही ऐतराज था तो इस ऐतराज का उत्तर पाने पर वह इस बिल की मियाद एक साल रखने की चेष्टा नहीं करेंगे वो जो अवधि दो साल की विधेयक में रखी गयी है उसे वह स्वीकार करेंगे।

अधिष्ठाता—अब माननीय सदस्य विचाराधीन संशोधन पर अपनी सम्मति देने की कृपा करेंगे।

प्रश्न यह है कि खंड २ की चौथी पंक्ति में अंक "१९५४" के स्थान पर अंक "१९५३" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—आदरणीय चेयरमैन महोदय, मेरा संशोधन खंड २ क पर है कि इसमें जहां यह लिखा हुआ है कि "Commissioner includes an Additional Commissioner" उसमें "Deputy Commissioner" बढ़ा दिया जाय। यह जो संशोधन है उसका केवल यही अर्थ है कि हमारे यहां जितने डिवीजन हैं उनमें से एक कुमायूं डिवीजन भी है। वहां न तो कोई कमीश्नर है और न कोई एडिशनल कमिश्नर ही है। वहां तो एक डिप्टी कमिश्नर इन्चार्ज होता है। तो जो हमारा कुमायूं डिवीजन है वह इससे वंचित रह जायेगा। इससे वहां के डिप्टी कमिश्नर को ताकत मिल जायेगी जो कि सरकार इस रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट से देना चाहती है। यह एक बहुत ही साधारण संशोधन है इसलिये सरकार इसे स्वीकार कर लेगी।

श्री बनारसी दास---श्रीमान् जी, जो संशोधन श्री नरायदत्त जी ने पेश किया है वह असम्भव है। वास्तव में जो इसमें कमिश्नर का वाक्य है उसमें सिर्फ एडिशिनल कमिश्नर को ही शरीक किया गया है। क्योंकि जब जिलाधीश के खिलाफ कोई बात जाती है तो इन्हीं के पास जाती है। यदि इसमें डिप्टी कमिश्नर कर दिया जाता है और जैसा कि यहां कहीं तो उसे डिप्टी कमिश्नर कहते हैं और कहीं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं तो उस आदमी को कई मौका नहीं मिलता है। इसलिये यहां पर इतना ही थोड़ा बढ़ाया गया है कि जहां कमिश्नर है वहां एडिशनल कमिश्नर भी रखा जाय। जहां कमिश्नर नहीं है वहां एडिशिनल कमिश्नर उसकी रिवीजन को सुनेंगे। इसलिये इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---माननीय सभापति जी, मुझे दुःख है कि हमारे माननीय उपमंत्री इस बात को समझे नहीं हैं कि हमारे कुमायूं डिवीजन में किस तरीके से सरकार का इन्तजाम होता है, पहले हमारे यहां एक कमिश्नर साहब थे जो कि कुमायूं और रुहेलखंड दोनों डिवीजन के कमिश्नर थे। अब हाल ही में कुछ कमिश्नरियों को खत्म कर दिया गया है और कुमायूं में वही करीका कर दिया है जिसमें एक डिप्टी कमिश्नर होता है जो कि डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज कुमायूं डिवीजन कहलाता है। इसमें नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल जिले आते हैं। श्री नारायण दत्त जी का मतलब था कि हमारे यहां कोई कमिश्नर नहीं होता है और हमारे इन जिलों में जो झगड़े होते हैं उनकी अपील सुनने के लिये डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज नैनीताल में रहता है इसलिये उनके पास अपील करने का अधिकार होना चाहिये, नहीं तो वहां के लोग बिना अपील के इसी तरह से रह जायेंगे: इसलिये वह फिर से माननीय अन्न मंत्री से पूछ लें और अन्य लोगों से भी पूछ लें कि वहां ऐसा है कि नहीं। माननीय मुख्य मंत्री भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और माननीय गृह मंत्री जी जो इस वक्त मौजूद हैं वह भी जानते हैं। वह उनसे पूछ सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---आदरणीय चैयरमैन महोदय, मेरा जो संशोधन था वह एक बहुत सीधा-साधा था उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसको न माना जाय। इसमें डिप्टी कमिश्नर और मैजिस्ट्रेट की बात नहीं थी। बल्कि मैंने कहा था कि कुमायूं डिवीजन में कमिश्नर के बजाय डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज होता है। यह बात हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी बजट के समय कही थी कि अब ५ में से तीन ही कमिश्नरियां रहेंगी और कुमायूं में जैसा पहिले था वैसा ही हो जायेगा। उन्होंने कहा था कि जो ताकत यहां कमिश्नर की होगी वही ताकत वहां के डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज की भी होगी। तो आपको इसके लिये भी प्राविजन रखना पड़ेगा। आप देखते हैं कि जो वहां झगड़े होते हैं उनको हल किया जाय। तो इसमें जो डिप्टी कमिश्नर रखा गया है वह कुमायूं डिवीजन के लिये रखा गया है।

श्री बनारसी दास---श्रीमान् जी, संशोधन के बारे में जो विचार पेश किये गये हैं बावजूद उनके सुनने के बाद भी, मैं उनके संशोधन को मानने में असमर्थ हूं। क्योंकि वहां कमिश्नर के बजाय एडिशनल कमिश्नर तमाम केसेज को सुनता है, तो इस तरह से करना उचित भी नहीं होगा। मैं समझता हूं कि उनको इसके सम्बन्ध में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिये क्योंकि इस सम्बन्ध में जो एडिशनल कमिश्नर हैं, वह काफी सफलतापूर्वक और जल्दी सुन सकेंगे और उनके आराम में कोई कठिनाई नहीं होगी।

अधिष्ठाता—प्रस्ताव यह है कि खंड २-क में "Additional Commissioner" के बाद शब्द "Deputy Commissioner" और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ और २ (क) इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

मूलअधिनियम की धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ इस धारा की उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित की जायगी और

(क) शब्द "No suit shall" को पहले शब्द "subject to any order passed under sud-section (3)." बढ़ा दिये जायंगे :

(ख) निम्नलिखित उपधाराएं (२) से (४) तक बढ़ा दी जायेंगी :—

"(2) The party aggrieved by the order of the District Magistrate granting or refusing to grant the permission referred to in sub-section (1) may, within 30 days from the date of the order or the date on which it is communicated to him. whichever is later, apply to the Commissioner to revise the order.

(3) The Commissioner shall as far as may be, hear the application within six Weeks from the date of its making and if he is satisfied that the District Magistrate has acted illegally or with material irregularity or has wrongly refused to act, he may confirm or set aside the order of the District Magistrate.

(4) The order of the Commissioner passed under sub-section (3) shall subject to any order passed by the State Government under section 7-F be final."

राजा वीरेन्द्रशाह—श्रीमान् जी, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करता हूं। खंड ३ (ख) (४) में शब्द 'final' के स्थान पर शब्द appealate रख दिया जाय। मेरा मंशा यह है कि कमिश्नर का आर्डर जो है उनकी अदालती कोर्टों में हो जायेगी और जैसा कि मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि जो संशोधन विचार करने लायक समझा जायेगा उसको हम स्वीकार करने में भी आपत्ति नहीं करेंगे। अब यह देखना है कि सरकार ने जो कुछ कहा है वह उस पर अमल भी करती है या नहीं। क्योंकि यह जो दो साल की मियाद बढ़ाई जा रही है इससे सुविधा और असुविधा दोनों हो सकती हैं। तो इस तरह से उनको दिक्कत हो सकती है और इस संशोधन के जरिये से उनको आराम पहुंचेगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार इसको स्वीकार कर लेगी।

श्री बनारसी दास—सभापति महोदय, जो संशोधन श्री वीरेन्द्र शाह ने पेश किया है, उस संशोधन द्वारा आप चाहते हैं कि कमिश्नर को जो अधिकार दिया गया है कि उसको खुद अप्लाई कर दिया जाये। तो यहां इस विधेयक के अन्दर कमिश्नर के बाद भी इस तरह का विधान किया गया है कि राज्य सरकार को उसकी सुनवाई करने का अधिकार होगा और यदि राज्य सरकार को यह अधिकार है तो इसमें कोई ग़लतफहमी नहीं है और आपके संशोधन से तो वह ठीक नहीं होगा।

आपका यह कहना कि यह नये नियम हैं और उसमें इसको भी रखा जा सकता है, यह ठीक नहीं है। उसमें टेनेंट और जमींदार दोनों हैं और यह फैसले यदि जमींदारों के हक में होते हैं और उसके विरुद्ध यदि यह फैसले टेनेंट के खिलाफ होते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाय तो यह सारा विधेयक ही इसलिये बनाया गया है जिससे कि जमींदारों के जो मकान हैं उनको किसी प्रकार की हानि न होने पावे और उसमें इस प्रकार के सुधार किये गये हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आशा करता हूं कि माननीय वीरेन्द्र शाह अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय सभापति जी, माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं और वह यह है कि जहां तक उन्होंने अपील का सवाल उठाया है, हम लोगों की बहुत बदकिस्मती है कि बावजूद यह समझाने के भी कि हमारे यहां न कोई ऐडिशिनल कमिश्नर है और न कोई कमिश्नर है...

श्री बनारसी दास—मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ करना चाहता हूं कि जिस धारा पर अभी विचार हो चुका है, उस पर माननीय सदस्य फिर विवाद शुरू करना चाहते हैं। यह बिलकुल इर्रेलेवेंट है और मैं आशा करता हूं कि इस पर आप अपनी रूलिंग देंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मैं तो अपील की बात कर रहा हूं।

अधिष्ठाता—माननीय सदस्य कृपा करके उपस्थित संशोधन पर ही अपना वक्तव्य दें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—अपील की बातों पर मैं आ रहा हूं। हमारे सामने यह सवाल है कि अपील कहां कहां होगी, फर्स्ट अपील कहां होगी और सेकेंड अपील कहां होगी। मैं अपील के बारे में कह रहा हूं, मैं कोई संशोधन के बाहर की बात नहीं कह रहा हूं। मैं वीरेन्द्रशाह जी से पूछना चाहता हूं कि जब तक नीचे की अपील का फैसला नहीं होगा, तब तक ऊपर अपील का फैसला कैसे हो जायगा। पहले हमारी नीचे की अपील का फैसला हो जाय, उसके बाद उनके अपील के फैसले की सपोर्ट हम करेंगे। यही कहने के लिये मैं आया था।

राजा वीरेन्द्रशाह—श्रीमान्, उपमंत्री जी का जो भाषण हुआ, उसके बाद मैं यह समझा कि कमिश्नर की अपील सरकार के पास जायगी और वहां उसका फैसला होगा। इसलिये मैं आज्ञा चाहता हूं कि इसको वापस ले लूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—(१) मूल अधिनियम की धारा 3-A की उपधारा (१) में शब्द "sub-clause (ii) of clause 3" के स्थान पर under clause (2) or (3) रख दिये जायेंगे। मूलअधिनियम की धारा ३ का संशोधन

(२) उक्त धारा की उपधारा (२) के खंड (d) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा :

"(*b*) If it is accommodation—
(i) falling under clause (2) or sub-clause (i) of clause (3) of sub-section (*f*) of section 2 the principles therein set forth, and
(ii) falling under sub-clause (1) of clause (3) of sub section (*f*) aforesaid, the principles setforth in clause (*a*) of sub-section (1) of section 6."

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंश माना जाय।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५—मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा :

"7. (1) (a) Every landlord shall, within 7 days after an accommodation becomes vacant by his ceasing to occupy it or by the tenant vacating it or otherwise ceasing to occupy it or by termination of a tenancy or by release from requisition or in any other manner whatsoever, give notice of the vacancy in writing to the District Magistrate.

(*b*) Every tenant occupying accommodation shall within 7 days of vacation of such accommodation or ceasing to occupy it give notice thereof in writing to the District Magistrate.

(*c*) The notice given under clause (*a*) or (*b*) shall contain such particulars as may be prescribed.

(2) The District Magistrate may by general or special order require a landlord to let or not to let to any person any acommodation which is or has fallen vacant or is about to fall vacant.

(3) No tenant shall sub-let any portion of the accommodation in his tenancy except with the permission in writing of the landlord and of the District Magistrate previously obtained.

(4) The District Magistrate may, on application made to him by the landlord, require a prospective tenant of any accommodation in respect of which an order is made under this section to pay to the landlord an advance of rent equal :

(a) to one months rent where the accommodation is to be let on a montly basis, and

(*b*) to one half of the yearly rent where the accommodaton is to be let on a yearly basis.

Explanation—For purposes of this section the word "let" shall include the word "sublet."

राजा वीरेन्द्र शाह---श्रीमान्, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ५ में मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ७ के स्थान पर प्रस्तावित धारा ७ (ए) की पहली पंक्ति में अंक '७' के स्थान पर अंक '१५' रख दिया जाय।

श्रीमान्' मेरा अभिप्राय इस संशोधन से यह है कि ७ दिन का समय कम होता है। १५ दिन का समय दिया जाय कि वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सूचना दे। इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है और मैं समझता हूं कि सरकार इसक स्वीकार कर लेगी।

श्री बनारसी दास---यह जो संशोधन श्री वीरेन्द्र शाह जी ने पेश किया है उसका मतलब यह है कि आज भी जो मकान खाली होते हैं उनकी सूचना मिलने में सरकार को बड़ी असुविधा होती है और यदि उनके संशोधन के मुताबिक हम ७ दिन के बजाय १५ दिन बढ़ा देते हैं तो और भी अधिक कठिनाई उपस्थित होगी। तो यह जो ७ दिन का समय सरकार ने रक्खा है यह टेनेंट और मालिक के लिये बहुत काफी है। यदि १५ दिन का समय कर दिया जाता है और इस दौरान में मकान पर कब्जा हो जाता है तो बड़ी कठिनाई पैदा हो जायगी। श्री वीरेंद्र शाह जी का जो मतलब है वह इसी से पूर हो जाता है। अतएव मैं प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस लें।

राजा वीरेन्द्रशाह---अगर नहीं मानते तो मैं वापस नहीं लेता।

श्री बनारसीदस---मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि मैं असमर्थ हूं।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ५ में मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ७ के स्थान पर प्रस्तावित धारा ७ (१) (क) की पहली पंक्ति में अंक '७' के स्थान पर अंक '१५' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी---आदरणीय चेयरमैन महोदय, मैं खंड ५ के अन्तर्गत मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ७ की उपधारा (१)--ए के अन्त के शब्द "to the District Magistrate" के बाद शब्द " or to the conservancy staff of the local Municipal Board, or the town area, or to the local Rationing staff, who on receving such information shall immediately communicate the same to the District Magistrate" बढ़ा दिये जायं यह प्रस्ताव करता हूं। मूल अधिनियम की धारा ७ जिस प्रकार बदली जा रही है उसके अनुसार प्रत्येक मकान मालिक को ७ दिन के अन्दर जिलाधीश को अपने मकान के खाली होने की सूचना देनी होगी चाहे टेनेंट उसका खाली करे, चाहे वह रिक्वीजीशन के जरिये खाली हो, उसके बारे में उसे जिलाधीश को ७ दिन के अन्दर सूचना देनी होगी।

जैसा कि अभी माननीय सभा सचिव ने कहा कि सरकार को बड़ी असुविधा होती है जल्दी से जल्दी यह पता लगाने में कि कोई मकान खाली हुआ और कहां खाली हुआ। जिलाधीश बेचारा सारे जिले का कर्त्ताधर्ता है। वह अपने हेडक्वार्टर में बैठा रहता है। उनको नहीं मालूम, जहां इतने टाउन एरियाज हों या म्युनिसिपल बोर्डस हों, कि कहां कौन सा मकान खाली हुआ। नतीजा यह होता है कि लैंडलार्ड यह चाहता है कि हमारी नामिनी टेनेंट बने। जाहिर है कि वह देर करना चाहता है और जिलाधीश के पास कोई मशीनरी नहीं है इस बात के वेरिफिकेशन के लिये। राशनिंग स्टाफ या म्युनिसिपल स्टाफ को इस बात का हक नहीं है, जो रोजाना मकान मालिक के टच में रहते हैं, उनको ज्यादा मालूममात रहती है कि कौन सा मकान खाली है या खाली होने वाला है, कि वह इत्तिला दे सके

इसलिये यह आवश्यक है कि म्युनिसिपल स्टाफ या राशनिंग स्टाफ को इस बात का

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

अधिकार दिया जाय कि वह जिलाधीश को इसकी इत्तिला दे सकें। ७ दिन के अन्दर कहां खबर देंगे और किसको देंगे? हमारे यहां बड़े बड़े ज़िले हैं। १५, २० दिन का जिलाधीश का दौरा होता है। इसलिये जो टाउन एरियाज, म्युनिसिपल बोर्ड या राशनिंग विभाग के इंस्पेक्टर्स हैं वे मकान खाली होने की इत्तिला दे सकते हैं। इस सिलसिले में कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके पेज ८९ पर इस संबंध में नोट है--

"Help of the Rationing Staff and the conservancy staff of the Municipal Board or the Town Area, as the case may be, should be taken in an organised manner to get information about houses falling vacant. The conservancy staff inside each Rationing Sub-area should inform the Senior Rationing Inspector concerned as soon as it comes to their notice that a house has fallen vacant in the area. The Rationing Sub-area Offices should also independently find out houses falling vacant or if some sub-tenant is being put in any house, by looking into the changes made in the Ration Cards of the Sub-Area. The Senior Inspector should convey the consolidated information to the Rent Control and Eviction Officer. Methods of getting information about vacant houses from different sources should be so adjusted that they may act as checks and counter checks on each other."

[खाली होने वाले मकानों की सूचना प्राप्त करने के लिये राशनिंग के कर्मचारियों की या यथास्थिति म्युनिसिपल बोर्ड अथवा टाउन एरिया के सफाई करने वाले कर्मचारियों की सहायता संघटित रूप से लेनी चाहिये। प्रत्येक राशनिंग सब एरिया के सफाई के कर्मचारिवर्ग को चाहिये कि जैसे ही उन्हें यह ज्ञात हो कि उस क्षेत्र में मकान खाली हुआ है, वे सम्बद्ध सीनियर राशनिंग इंस्पेक्टर को सूचना दें। राशनिंग सब एरिया के दफ्तरों को भी चाहिये कि सब एरिया के राशन कार्डों में किये गये परिवर्तनों को देख कर स्वतंत्र रूप से मालूम करें कि कहां पर मकान खाली हो रहा है या किस मकान में शिकमी किरायेदार रक्खा जा रहा है। इस प्रकार एकत्र की गई सूचना को सीनियर इन्सपेक्टर, रेंट कंट्रोल ऐण्ड एविक्शन आफिसर के पास भेजे। खाली होने वाले मकानों की सूचना विभिन्न साधनों से प्राप्त करने की रीतियों का समवस्थापन इस प्रकार किया जाय कि वे एक दूसरे के प्रति निग्रह और प्रतिनिग्रह का कार्य करें।]

सरकार दावा करती है कि हमने कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। अगर वास्तव में हम इस संशोधन के जरिये से कमेटी की इस बात को स्वीकार करते हैं तो इससे बहुत काम हलका हो जायगा और भार जो है वह भी हलका हो जाता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसके स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लैंड-लार्ड को और टेनेंट दोनों को इस बात का अधिकार होगा कि वह कंजरवेन्सी स्टाफ और म्युनिसिपल स्टाफ को भी खबर दे सकें। जो खबर जिला मैजिस्ट्रेट को देने के लिये कहा गया है वह उनको दी जा सके यही इस संशोधन का आशय है।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री बनारसी दास--माननीय नारायण दत्त जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उन्होंने अपने उद्देश्य में कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी का हवाला दिया है। बेहतर होता कि वह कंट्रोल इन्कवायरी कमेटी की सिफारिश को भी अलग से धारा के रूप में पेश करते तो कुछ समझ में आ सकता था लेकिन जहां एक लैंडलार्ड और टेनेंट मकान के खाली होने की सूचना दे वहां वह चाहते हैं कि म्युनिसिपल स्टाफ भी उसके लिये अधिकारी हो। मैं तो यह समझता हूं कि ऐसा करने से और देरी होगी।

आपको मालूम होना चाहिये कि प्रत्येक जिले के अन्दर डिस्ट्रिक्ट आफिसर रहता है और रेंट कंट्रोल आफिसर रहता है उसको जिला मैजिस्ट्रेट के जरिये से पावर दी हुई होती है। इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि जिलाधीश वहां पर रहे। केवल वह इस अधिकार के द्वारा जो जिलाधीश के द्वारा डेलिगेटेड होती है वह सब काम कर सकता है। इसमें इस बात का समावेश है कि अगर कोई मकान खाली हो तो टेनेंट के लिये और लैंडलार्ड के लिये यह अनिवार्य है कि वह ७ दिन के अन्दर इसकी सूचना जिलाधीश को दे दे। आपने बार बार कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी का जिकर किया है। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी की जो सिफारिश हैं उसके दो भाग हैं। एक तो उसका लेजिस्लेटिव भाग है और ऐक्जिक्यूटिव भाग है। आप तो यह चाहते हैं कि इस विधेयक को रामायण बना दी जाय। जब आपने इसके सिधान्त को स्वीकार कर लिया है और क्लाज ७ वां मौजूद है जिसके अन्दर उन सब बातों का समावेश किया गया जो आप चाहते हैं तो फिर आपको क्या ऐतराज हो सकता है। अगर कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी की कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनसे यहां सब सहमत हैं तो उनके लिये उपनियम बनाकर समावेश किया जा सकता है और अमल में ला सकते हैं। इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है और जो सिद्धान्त इसके अन्दर रखा गया है मैं समझता हूं उसकी भावना के भी वह खिलाफ पड़ता है।

आपका मन्शा समय पर सूचना देने का है वह तो समय हो ही जायगा। लेकिन अगर आप इस तरह से रख देंगे कि राशनिंग स्टाफ और म्युनिसिपल स्टाफ भी उसके लिये अधिकारी हो जाय तो इससे तो बहुत देर हो जायगी और कम से कम १५ दिन का समय अवश्य इसमें लग जायगा। अगर आप यह चाहते हैं कि सूचना एक सप्ताह के अन्दर मिले और इसमें देरी न हो तो आपसे निवेदन करूंगा कि यह उनकी भावना के खिलाफ है और इसमें अवश्य देरी होगी।

मैं प्रार्थना करूंगा कि नारायण दत्त जी अपने इस संशोधन को वापस ले ले जिससे जो उनकी मन्शा है वह पूरा तो होता ही है और ज्यादा विलम्ब न हो। कंजर्वेन्सी स्टाफ को खबर देने का प्रस्ताव मान लेने से इसमें देरी होगी। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इसको इसको वापस ले लेने की कृपा करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मुझे यह जानकर इस बात का दुख होता है कि जब कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी का जिकर आता है तो हमारे उपमंत्री महोदय परेशान हो जाते हैं। मैंने जो कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी का हवाला दिया तो उसका केवल एक ही आधार है और वह यह है कि सरकार को मदद मिले और सरकार इन सिफारिशों को ठीक प्रकार से लागू कर सके। सरकार कहती है कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं सरकार उनके लिये उपनियम बना लेगी और नियमों में इनको इन्क्लूड कर लेगी लेकिन अगर आप इसका इस अधिनियम में इशारा नहीं देंगे तो नियमों के अन्दर इसको कैसे लागू कर सकते हैं? यदि अधिनियम में कोई इशारा नहीं है तो नियम किस आधार पर बनेंगे? अगर सरकार यह समझती है कि सरकार के रूल्स और इस सदन द्वारा पास किया हुआ ऐक्ट एक ही है तब तो बात दूसरी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार भी ऐसी बात नहीं समझती है। इसके बारे में आप को ऐक्ट के अन्दर अधिकार देने होंगे और निश्चित रूप में कहना होगा कि हम कंजरवेंसी स्टाफ और राशनिंग स्टाफ को अधिकार दे रहे हैं और उसमें यह सब बतलाया जायगा कि अर्जी पहले कहां इन्सपेक्टर वगैरा के या किसके पास जायगी इसलिये यह सब विधेयक में ही आना जरूरी है। जब आप ने ७ दिन रखा है तो किस तरह से अगर कोई अफसर दौरे पर होंगे तो कैसे इत्तला पहुंच सकेगी?

इसलिये मैं कहूंगा कि मंत्री जी रूल्स और ऐक्ट के फर्क को देखें और इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, मुझे नारायण दत्त जी के उत्तर को सुनने के बाद भी बड़ा खेद है कि मैं उनके संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मैं नहीं समझ पाया कि वह चाहते हैं कि सूचना जल्द मिले और देरी न हो। मैंने कहा कि ७ दिन के अन्दर जिलाधीश

[श्री बनारसी दास]

के यहां इत्तला मिलना चाहिये। हमारे लिये यह अधिक विचारणीय नहीं है कि कौन सूचना दे और कहां से दे या कौन उसकी एजेंसी हो। जिलाधीश सप्लाई आफिसर या राशनिंग आफिसर एनडिविजुअली पता लगा सकते हैं। वह चाहते हैं कि यह एजेंसी कनजरवेंसी स्टाफ और राशनिंग स्टाफ वगैरा की भी बना दी जाय।

यों तो इस धारा को अनुसार केवल लैंड लार्ड और टेनेंन्ट को ही आदेश है कि वे जिलाधीश को सूचित कर दें। इस तरह से तो और अधिक देर लगेगी और सबकी सूचना की आवश्यकता होगी। तो बहुत समय सब नक़शा उसका तैयार करने लग जायगा। इससे आप का मतलब भी हल नहीं होता। इसलिये मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ५ के अन्तर्गत मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ७ की उपधारा १-ए के अन्त के शब्द "to the District Magistrate" के बाद शब्द "or to the conservancy saff of the local Municipal Board, or the town area, or to the local Rationing Staff, who on receiving such information shall immediately communicate the same to the District Magistrate" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ५ के अन्तर्गत, मूल अधिनियम में प्रस्ताविक्त धारा ७ में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ाये जाने का प्रस्ताव करता हूं—

"Provided that the District Magistrate shall carry out the recommendations of the prescribed Advisory Committee in the above respect."

"Further provided that all allotments shall be made under and according to the general priority list maintained through and according to the applicants' register prescribed under the rules."

श्री बनारसी दास—अभी पांचवी धारा भी पूर्ण नहीं हुई है और माननीय सदस्य सातवीं धारा पर संशोधन कर रहे हैं। माननीय सदस्य शायद भूल से ऐसा कह गये हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैंने धारा ५ ही कहा। मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रतिबन्ध के लगाने की आवश्यकता इसलिये है यह कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी सारे प्रान्त में गई तो सबसे बड़ी शिकायत उसको यही मिली की एलाटमेंट करने में रेण्ट कंट्रोलर वगैरा फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्वड के अनुसार अलाटमेंट नहीं करते हैं।

तमाम प्रान्त में सिफारिशों का ज़ोर है और एक प्रकार से जिनको मिलना चाहिये उनको नहीं मिलता है और जिनको नहीं मिलना चाहिये उनको मिल जाता है। जिसका ज्यादा ज़ोर सिफारिशों का है उनको मिल जाता है इस प्रकार की तमाम शिकायतें कंट्रोल कमेटियों के सामने आई। जहां तक एलाटमेंट की बात है वही पुरानी धारा वैसी की वैसी ही रखी हुई है और केवल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही यह अधिकार है कि वह जिसको चाहे उसको एलाट करे। यानी यह कि—

"The District Magistrate may, by general or special order, require a landlord to give intimation that any accommodation of which he is landlord, is or has fallen vacant, and to let or not to let such accommodation to any person."

जितने भी अधिकार हैं वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही रखे गये हैं। जैसा कि मैंने पहिले निवेदन किया था कि लखनऊ रीजिनल इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कह दिया है कि ऐडवाइजरी कमेटी केवल लखनऊ में है। इसके अलावा जहां है भी तो वहां काम सुचारुरूप

से नहीं हो रहा है। आमतौर पर जो एलाटमेंट किये जाते हैं वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा ही होते हैं। तो भले ही आपने सलाहकार समितियां बनाई हों लेकिन जब तक आप इसको लाजिमी नहीं करेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा कि एडवाइजरी कमेटीज की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाय और उन सिफारिशों को लागू किया जाय तब तक मैं समझता हूं एडवाइजरी कमेटीज से कोई फायदा होने वाला नहीं है कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी ने साफ-साफ कहा है --

"There have been persistent complaints that the rule 'first come first served' is generally not practised in allotting houses, even in those cases where the demand is equally genuine which naturally causes much heart burning and discontent in the applicants."

[लगातार शिकायतें आती रहीं हैं कि ऐसे प्रकरणों में भी जहां आवश्यकता समान रूप से यथार्थ हो, साधारणतया इस नियम का पालन नहीं किया जाता कि जो पहिले आया हो उसका काम पहिले किया जाय। स्वभावतः इससे अभ्यार्थियों में ईर्षा और असंतोष उत्पन्न होता है।]

और उन्होंने ६ कारण बतलाये हैं और उन पर सरकार को ध्यान रखना चाहिये उनके ऊपर सरकार को नियम बनाना चाहिये। लेकिन इन नियमों से वैधानिक महत्ता नहीं आ सकती जब तक कि ऐक्ट में एक लाइन इसके बारे में नहीं रख दी जाती कि एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशों को लागू करना होगा। जब तक ऐक्ट में आप नहीं रखेंगे तब तक आपका नियम कोई काम नहीं कर सकता और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसके लिये बाध्य नहीं हो सकता। जब अपील होगी और कोई कहेगा कि जवाब एडवाइजरी कमेटी तो मेरे हक में बात कही थी लेकिन वहां तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब का आर्डर ही देखा जायगा और उसके खिलाफ नहीं जा सकते और इस प्रकार से एडवाइजरी कमेटी नाममात्र की कमेटी बकी रह जायगी। इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वह एक नाममात्र की कमेटी है उसमें यह भी साफ लिखा हुआ है कि एडवाइजरी कमेटी को क्या अधिकार होने चाहिये

"An Advisory Committee should be formed on a uniform and well defined basis."

[एक से और सुनिश्चित आधार पर एक परामर्शदात्री समिति बनायी जानी चाहिये]

आपको उनके अधिकार की डेफीनीशन करनी होगी। इसलिये जो प्रस्ताव पेश किया गया है वह बड़े महत्व का है और उसको मंजूर न करना इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की स्पिरिट का वायलेशन है। उसकी भावना को स्वीकार न करना है। इसलिये यह प्रतिबन्ध लगाया जाना कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंक्यायरी कमेटी की रिपोर्ट को मानेगा यह बहुत ही आवश्यक है। इसलिये इस संशोधन को स्वीकार करना इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की भावना को स्वीकार करना है।

दूसरा जो अत्यंत आवश्यक प्रावीजन होना चाहिये वह यह है --

"Further provided that all allotments shall be made under and according to the general priority list."

ये निहायत जरूरी है कि जनरल प्रायोरटी की लिस्ट बनाई जाय। उसमें यह भी कहा गया है कि पहिली जितनी भी ऐप्लीकेशन्स है उनकी एक लिस्ट बनाई जाय और उनको रजिस्टर किया जाय। उन पर एक नम्बर डाला जाय और जो लिस्ट में नम्बर हो उसके अनुसार एलाटमंट किया जाय। रजिस्टर मेनटेन किया जाय, जनरल प्रायोरिटी-लिस्ट तैयार की जाय। तब ऐप्लीकेशन के नम्बर हिसाब से मकान मिल जायगा। यह बड़ा अच्छा मालूम होता है। इंक्वायरी कमेटी की यह राय बहुत ही अच्छी है। लेकिन अगर उसको इस अधिनियम में स्थान नहीं दिया जायगा और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर प्रतिबन्ध न रखा जायगा

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

और उसको इस बात के लिये मजबूर न किया जायगा कि वह रजिस्टर मेनटेन करे और जनरल प्रायोरिटी के अनुसार मकानों को एलाट करे तब तक आपके इस बिल से कोई फायदा होने वाला नहीं है और न टेनेंट्स को जो आप रिलीफ देना चाहते हैं वह ही मिल सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो प्रतिबन्ध बढ़ाने का संशोधन रखा है सामयिक है, कमेटी की रिपोर्ट की स्प्रिट के अनुसार है और जो माननीय मंत्री और सभा सचिव ने कहा उसके भी अनुरूप है तो मैं समझता हूं कि इसके स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, इस संशोधन के तात्पर्य में समझ नहीं सका। एक तरफ तो आप ऐडवाइजरी कमेटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस विधेयक के अन्दर आप उसको एक स्टैटुटरी सूरत देना चाहते हैं। कंट्रोल इनक्वायरी कमेटी ने शब्द ऐडवाइजरी ही प्रयोग किया है। ऐडवाइजरी का मतलब होता है सलाह देना। ऐडवाइजरी का मतलब यह नहीं होता कि उसकी सलाह कानून का स्थान ले ले। शासन की दृष्टि से यह उचित भी नहीं है। जिनको नीति को कार्यान्वित करना है उन पर अविश्वास किया जाय और हमारे प्रान्त में सभी जगह ऐडवाइजरी कमेटियां फंक्शन कर रही हैं। उनमें सरकार सदस्यों को नामजद करती है। उनमें विधान सभा के सदस्य भी हैं। हेड आफ एजुकेशनल इस्टीट्यूशंस भी हैं। टिनेंट्स के भी प्रतिनिधि हैं। इसलिये मैं आपके इस संशोधन के पेश करने का मतलब नहीं समझ पाया। विधेयक तो बहुत सीधा सादा है। जिला मैजिस्ट्रेट को अधिकार देना चाहते हैं कि वह ऐसा करे और जहां ऐडवाइजरी बाडीज होती हैं यह लाजिमी है कि उनकी सलाह आमतौर पर मानी जाती है। हमें जिलाधीशों में इतना विवेक समझ ही लेना चाहिये कि जो ऐडवाइजरी कमेटीज सलाह देने के लिये हैं जब तक कोई खास कारण न हो वह किस प्रकार उनकी सलाह को ठुकरा सकते हैं। इसलिये जो काम सलाह के तरीके से होता है उसको कानून की शक्ल देना मैं थोड़ा सा अनुचित समझता हूं। ऐडवाइजरी कमेटीज, जैसा कि खुद लिखा है "नामिनेटेड बाई दि गवर्नमेंट", तो जब गवर्नमेंट नामजद करेगी तो आप इसके लिये जोर देना चाहते हैं कि कानून की शक्ल दे दी जाय, कोई भी कानून नहीं चल सकता अगर आप की भावना यही है कि जो उन पर अमल करने वाले हैं वह सही तरीके पर अमल नहीं करेंगे। कोई भी नियम नहीं चल सकता यदि उसका चलाने वाला अच्छा न हो, और अच्छा नियम भी खराब हो सकता है। लेकिन किसी नियम में अगर थोड़ी बहुत त्रुटि भी हो, और उसका चलाने वाला ठीक हो तो वह नियम अच्छा बन सकता है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि एडवाइजरी कमेटियों को इस विधेयक में शामिल करने के लिये जोर न दें। वह तो आज भी मौजूद है और वह जारी रहेंगी इग्जिक्यूटिव आर्डर से और उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ेगा।

मुझे आशा है कि आप अपना संशोधन वापस लेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—माननीय चेयरमैन, मुझे बड़ा दुख है कि माननीय सभा सचिव अधिनियम और नियमों के फर्क के बारे में स्पष्ट नहीं हो सके हैं। वह रूल्स और ऐक्ट में बराबर कनफ्यूज करते हैं। पिछले सालों में जितने परेशानियां ऐडवाइजरी कमेटीज के सिलसिले में हुई उसका कारण यही था कि इस ऐक्ट में ऐडवाइजरी कमेटियों का कोई स्थान नहीं है। अगर ऐक्ट में ऐडवाइजरी कमेटियों की व्यवस्था कर दी जाती है तो स्टेटुटरी कमेटियां नहीं हो जातीं। उनका स्कोप तो नहीं बढ़ जाता। अगर उन्होंने ध्यान से संशोधन देखा होगा तो मैंने कहीं भी नहीं कहा है कि "शैल कैरी आउड रेकोमेंडेशंनआफ दि ऐडवाइजरी कमेटी"। लेकिन अगर आप ऐडवाइजरी कमेटी को ऐक्ट में स्थान नहीं देंगे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इनक्वाइरी कमेटी की रिपोर्ट में बताया है कि लखनऊ में सलाहकार कमेटी की बात थी, और सब नाम की है। जितने एलाटमेंट होते हैं सब एस० डी० ओ० करते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि हमारे यहां ऐडवाइजरी कमेटीज ने कोई काम किया है। फिर आप कहते

हैं कि कैबाल टाउंस में दो-दो कमेटियां बनाएंगे। पचास रुपया और सौ रुपये की दो कैटेगरी कर देगें। तो फिर कैसे माननीय सचिव इसको स्वीकार नहीं करते ?

जहां तक और सवाल है तो एलाटमेंट रजिस्टर, प्रायरटी लिस्ट और अप्लीकेंट लिस्ट जरूर होनी चाहिये। हम देखते हैं कि हमें पिछले पांच साल का अनुभव है। गलतियां यहां होती हैं जिनको मकान की आवश्यकता होती है उन को मकान नहीं मिलता और बीच में एक दम कमेटी किसी और के लिये ही सिफारिश कर देती है और उनको मिल भी जाता है। इसलिये हम इस तरह की धांधलेबाजी को रोकना चाहते हैं हमें इस ऐक्ट में कहना होगा कि मकान उन्हीं को मिलेगा जिनका नाम अप्लीकेंट रजिस्टर में होगा। जब तक आप ऐक्ट में सिफारिश नहीं करेंगे तब तक आप के नियम भी सफल नहीं होंगे। नियम से ऐक्ट नहीं बनता बल्कि ऐक्ट से नियम बनते हैं।

मैं समझता हूं कि सभा सचिव जी को इसका भ्रम हो गया है कि नियम ऐक्ट पर लागू होते हैं। इसलिये वे इस मतभेद को ध्यान में नही रखेंगे और मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार करने में अब उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी तथा उसे स्वीकार करेंगे।

श्री बनारसीदास—जो मुझे कहना था वह मैंने पहले ही कह दिया। इसलिये संशोधन को मंजूर नहीं कर सकता।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ५ के अन्तर्गत, मूल अधिनियम में प्रस्तावित धारा ७ में यह प्रतिबन्ध और जोड़ दिया जाय—

"Provided that the District Magistrate shall carry out the recommendations of the prescribed Advisory Committee in the above respect.

Further provided that all allotments should be made under and according to the general priority list maintained through and according to the applicants' register prescribed under the rules."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

सभा का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की सभा की कार्यवाही रोजमर्रा के समय से अधिक समय तक चलायी जाय जिससे हम आज इस विधेयक को यहां स्वीकार करा सकें। यदि सदन इस बात की स्वीकृत दे तो मैं सदन के सामने इस प्रस्ताव को आप के द्वारा उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री से इतना कहना चाहता हूं कि यहां पर ५ बजे के बाद ज्यादा बैठने का ऐतराज नहीं है परन्तु कम से कम सदन को यह बतला दें कि यह क्यों आवश्यक है कि आज ही इसे खत्म कर दिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय चेयरमैन महोदय, आज सवा पांच बजे से सलेक्ट कमेटी की मीटिंग शुरु होगी और सरकार ने साथ ही यह भी कहा है कि दो हफ्ते के अन्दर उसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिये। अगर माननीय मंत्री जी की आज्ञा हो तो हम सेलेक्ट कमेटी में न जायं और सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मुझे सेलेक्ट कमेटी की बात मालूम नहीं थी। क्योंकि थोड़े से संशोधन बाकी हैं और इसे थोड़े से समय के अन्दर पास किया जा सकता है यदि सदन इस बात की आज्ञा प्रदान करे।

अधिष्ठाता---माननीय मंत्री की सूचना के लिये है कि दो सेलेक्ट कमेटियों की मीटिंग सवा पांच बजे से हैं। अब भी आप अपना प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं तो आप को इसका अधिकार है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं प्रार्थना करूंगा हूं कि अगर साढ़े पांच बजे तक बैठ सकें तो इस विधेयक को पास कर सकेंगे। यदि उस समय तक नहीं बैठ सकें तो अपना प्रस्ताव सदन के सामने नहीं रखता हूं।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि साढ़े पांच बजे तक बैठक की कार्यवाही जारी रखी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश (अस्थायी कंट्रोल आफ़ रेंट ऐंड एविक्शन) (संशोधन) विधेयक, (क्रमागत)

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के अन्तर्गत, मूल अधिनियम में प्रस्तावित धारा ७ के खंड ३ में "and of the District Magistrate" निकाल दिया जाय।

श्रीमान् जी, मेरा अभिप्राय इस संशोधन को पेश करने का यह है कि और जैसा कि मंत्री जी के भाषण में मैंने सुना था, मैं उससे सहमत हूं कि टेनेन्ट और सब-टेनेन्ट को इसकी इजाजत कर दी जाय। मगर आप यह चाहते हैं कि ऐसे नियम नहीं रक्खेंगे कि कोई टेनेन्ट अपने सब-टेनेन्ट को भी दिला दें क्योंकि इससे मालिक मकान को नुक्सान होगा। फिर आप उसके ऊपर नियम करते जा रहे हैं कि यदि आप सब-टेनेन्ट को रखने की कोशिश करेंगे तो उससे बड़ी ज्यादती होगी। मैंने यह आबजेक्शन किया है कि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है वह निकाल दिया जाय। तो कोई किरायेदार है और अगर मालिक मकान की इजाजत होती है कि वह उसे सब-टेनेन्ट को दे दें, तो तो इतना ही काफी है, उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की इजाजत नहीं होनी चाहिये। ऐसा नहीं हो सकता है और इस उसूल को हमारे मंत्री जी भी मानते हैं और अगर वे इसको मान लें तो इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा कि आप उन मकान मालिकों की मंशा पर सब-लेटिंग एलाउ करेंगे और उनकी मंशा के बगैर नहीं।

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)---श्रीमान् जी, यह संशोधन जो श्री वीरेन्द्रशाह जी ने पेश किया है, आप देखेंगे कि जो पहला मूल अधिनियम था, उसमें ऐसा ही सुधार किया गया है। इसमें दोनों को रखना बहुत आवश्यक मालूम होता है यानी लैण्डलार्ड और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यदि हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को निकाल दें तो इससे सब-टेनेन्ट के ऊपर दबाव डाला जा सकता है और उससे ज्यादा किराया लिया जा सकता है। इसलिये यह बहुत आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि श्री वीरेन्द्रशाह जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

राजा वीरेन्द्रशाह---श्रीमान् जी, मैंने मंत्री जी का उत्तर सुना, उससे मुझे संतोष नहीं हुआ। उन्होंने यह तो नहीं कहा कि यदि हम इस सिद्धांत पर चलेंगे तो सब-लेटिंग का क्या होगा और इसमें लैण्डलार्ड की मंशा पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दी गई है। उसमें परमीशन के लिये लिखा है कि 'ऐन्ड दि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रिवियसली आबटेण्ड' तो इसमें यह नहीं पता चलता कि किसकी राय मानी जायेगी क्योंकि इसमें वैसे दोनों की राय है। राईटिंग में किसकी राय मानी जायेगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की या मकान मालिक की और इस तरह से करने से मालिक मकान के ऊपर दबाव भी डाला गया है और इस तरह से उसके साथ अन्याय भी होगा।

श्री बनारसीदास—श्रीमान जी, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है इसलिये कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की स्वीकृति लेना आवश्यक है। इसमें इसको मान लेने कोई गुंजाइश नहीं है इसलिये जो आपका संशोधन है उसे स्वीकार करने में समर्थ नहीं हूं।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ५ के अन्तर्गत प्रस्तावित धारा ७ के खंड ३ में शब्द "and of the District Magistrate" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय चेयरमैन महोदय, खंड ७ के अन्तर्गत मूल अधिनियम में प्रस्तावित धारा ७.....

अधिष्ठाता—माननीय सदस्य यह जानने की कृपा करें कि इस समय खंड ५ विचाराधीन है, ७ नहीं है। उनका संशोधन जो हमारे पास मौजूद है, उसमें खंड ५ ही लिखा हुआ है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—खंड ५ के अन्तर्गत मूल अधिनियम में प्रस्तावित धारा ७ की उपधारा (३) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"Provided that the sub-tenants in respect of the accommodation prior to the coming in force of this Act shall be given the status of direct tenants on their or on the landlord's application to the prescribed authority which shall also adjust the rent rates as amongst them, other tenants and the landlord."

यह जो प्रतिबन्ध मैंने उपधारा ३ में जोड़ने का प्रस्ताव रखा है यह रिपोर्ट की तत्संबंधित सिफारिशों से बिलकुल मिलता है। इस सिलसिले में कमेटी रिपोर्ट में निश्चितरूप से कह दिया गया है पेज ९५ में कि—

"With regard to cases of sub-leases by tenants prior to the coming in force of this Act, it is recommended that the sub-tenants should be given the status of direct tenants of the house owners with necessary adjustment of the house owners with necessary adjustment of rents between them and other tenants."

[इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व किरायेदारों द्वारा किये गये शिकमी पट्टों के विषय में यह सिफारिश की जाती है कि शिकमी किरायेदारों को मकान मालिकों के प्रत्यक्ष (डाइरेक्ट) किरायेदार का दर्जा दे दिया जाय और उनके तथा अन्य किरायेदारों के दर्म्यान किराये के आवश्यक समवस्थापन कर दिये जायं।]

यह संशोधन बिलकुल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार है। मैं समझता हूं कि यह बात बिलकुल जल्दी में लिख दी गयी है।

"No tenant shall sub-let any portion of the accommodation of his tenancy."

केवल यह बात जल्दी में छूट गयी है। यह बिलकुल रिपोर्ट के अनुसार है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय सभा सचिव इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री बनारसीदास—श्रीमान्, इस संबंध में पहले ही कहा जा चुका है कि विधान के अन्दर पहले सब-लेटिंग अपराध था और वह बेदखल किया जा सकता था। इसलिये मूल अधिनियम के अनुसार जो एक अपराध था उसको माननीय नारायण दत्त जी चाहते हैं कि इस संशोधन के द्वारा नियमित कर दिया जाय। सब-लेटिंग को प्रोत्साहन देना नहीं चाहते, इसलिये इसके अन्दर आगे के लिये लिखा है।

[श्री बनारसीदास]

अब तक के जो सब-टेनेंट हैं उनके लिये लैंडलार्ड और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता थी । हम यह नहीं चाहते हैं कि अब तक के जो सब-टेनेंट हैं उनको एक दर्जा और दे दिया जाय । इससे बड़ी व्यवहारिक कठिनाइयां होंगी । यदि एक किसान मुख्य टेनेंट है वह छोड़ कर चला जाता है तो दूसरे आदमी की आवश्यकता होती है, परन्तु इसके मानें यह हैं कि उसमें सब-टेनेंट तो मौजूद हैं मगर फिर भी एक दूसरा सब-टेनेंट उसके अन्दर दाखिल किया जाय । इसमें बड़ी व्यावहारिक कठिनाइयां होंगी । वैसे भी देखने में आया है कि जिस मकान में बहुत से सब-टेनेंट रहते हैं उनमें आपस में मिलजुल कर रहने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं । इसलिये सब-लेटिंग की प्रथा को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये और यदि सब-लेटिंग हो तो उसमें थोड़ा प्रतिबन्ध हो । जैसा इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में है उस रेकमेंडेशन को मानने के लिये हम असमर्थ हैं । इसलिये जो संशोधन पेश किया गया है उसको स्वीकार करने में मजबूरी है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---माननीय चेयरमैन महोदय, मैंने सभा सचिव के उत्तर को ध्यान से सुना लेकिन उन्होंने एक बात इस संबंध में ध्यान पूर्वक नहीं देखी कि जो धारा ७ की उपधारा (३) है वह भविष्य के लिये है कि "नो टेनेंट शैल सबलेट" । भविष्य के लिये यह है कि आगे के लिये कोई टेनेंट अपने मकान के किसी हिस्से को सबलेट नहीं करेगा बिना लैंडलार्ड या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अनुमति के लिये हुये लेकिन जो मकान सबलेट किये जा चुके हैं उनके लिये क्या होगा । इन दोनों में फर्क बिलकुल साफ है और इसको माननीय मंत्री जी ने देखा नहीं है । अगर वह इसको समझ लेते तो इन्क्वाइरी कमेटी की रिपोर्ट समझने में आसानी होती । मैं कहने के लिये बाधित हूं कि वह इन्क्वाइरी कमेटी की रिपोर्ट को समझे नहीं जहां तक उनको समझना चाहिये था । यह जो ऐक्ट है इसका संबंध भविष्य से है और जो प्रतिबन्ध है वह वर्तमान और भूतकाल से संबंधित है । जो सब-लेटिंग पहले हो चुकी है उसको रेगुलेराइज करना है । इतना साफ और सही सुझाव भी सरकार मानने को तैयार नहीं इसलिये कि एक बार जल्दी में जो विधेयक सरकार ले आयी वही सही है तो उसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता । वैसे रिपोर्ट मौजूद है, यह विधेयक मौजूद है और भविष्य और भूतकाल का फर्क लोग समझ सकते हैं।

हजारों आदमियों का खयाल न करके कोई जवाब का तरीका निकाल लिया जाता है इतनी योग्यता तो उनमें है ही । कह दिया जाता है कि इस तरह से नहीं हो सकता, इतनी हद तक सरकार मानती है और इतनी हद तक नहीं मानती । उद्देश्य और कारणों में साफ साफ क्यों नहीं लिख दिया कि हम सिफारिशों के बहुत से अंश को मानते हैं और बहुत से अंश को नहीं मानते लेकिन उनमें कहा यह जाता है कि १०० प्रतिशत मानते हैं लेकिन इतनी बड़ी सिफारिश को सरकार स्वीकार नहीं करती ।

श्री बनारसीदास---श्रीमान्, मैं समझता हूं कि श्री नारायण दत्त जी का भ्रम है । वह कहते हैं कि कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मैंने समझी नहीं । मैंने कहा था कि जहां तक सब-लेटिंग का प्रश्न है सरकार उसे इस अधिनियम के द्वारा उसे देने को तैयार नहीं है । पहले भी वह एक अपराध था और आज भी इसके द्वारा है । सब टेनेंट को बेदखल किया जा सकता है जब तक कि वह लैंडलार्ड या जिलाधीश की अनुमति न प्राप्त कर ले । इसके बिना सब टेनेंट को ला में कोई स्थान नहीं है । इसलिये इसमें भ्रम की गुंजाइश नहीं है । हम नहीं चाहते कि सब लेटिंग को प्रोत्साहन दिया जाय । सब-लेटिंग से एक हानि होगी । विधान के अनुसार पहले भी यह प्राविजन था और आज भी है और आगे के लिये भी चाहते हैं कि सब-लेटिंग हो तो जिलाधीश के या लैंडलार्ड की अनुमति से हो । यह इसकी मंशा है । अतएव बार बार जो इंक्वायरी कमेटी का हवाला दिया जाता है उसे मैं मानने के लिये तैयार नहीं और आशा है आप इसे वापस ले लेंगे ।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ५ के अन्तर्गत मूल अधिनियम में प्रस्तावित धारा ७ की उपधारा (३) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय--

"Provided that the sub-tenant in respect of the accommodation prior to the coming in force of this Act should be given the status of direct tenants of their or on the landlords application to the prescribed authority which shall also adjust the rent rates as amongst them, other tenants and the landlord."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)---माननीय चेयरमैन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के अन्तर्गत, प्रस्तावित उपधारा ७-४ (बी) में शब्द "to" के बाद "one half" के स्थान पर "one sixth" रख दिया जाय।

श्री बनारसी दास---सभापति महोदय, इस संशोधन की प्रतिलिपि मेरे पास नहीं आई है।

अधिष्ठाता---दुख की बात है कि यह प्रतिलिपि यहां प्राप्त नहीं हुई लेकिन यह प्रस्ताव मेरे पास अभी आया है इसलिये इसकी अनुमति तो दी गयी है लेकिन मैं आप की सेवा में प्रतिलिपि भेजे देता हूं।

श्री कमला सिंह---जब यह ऐक्ट पास हुआ तब से लोगों को बराबर यह दिक्कत होने लगी खासतौर से मकान मालिकों को और किरायेदारों को किसी तरह से किराया उनको ठीक समय पर दिया जा सके और उनसे किराया ठीक वक्त पर वसूल हो सके। ऐसी हालत में यह बराबर देखा जाता है कि ऐसे लोग जिनके पास कोई इन्कम नहीं है उनको मकान एलाट किया जाता है तो मकान मालिकों को बड़ी दिक्कत किराया वसूल करने में होती है इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह रख दिया जाय कि बजाय १/२ के १/६ रख दिया जाय और जो इसके अन्दर है वह साल के हिसाब से रखा गया है यानी "One half of the yearly rent where accommodation is to be let on yearly basis"

अब हमें देखना यह है कि आया जो लोग मकानों में किरायेदार की हैसियत से आते हैं वह साल भर के लिये आते हैं या कुछ थोड़े समय के लिये। जितने लोग किरायेदार मकानों में आते हैं वह ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मकान नहीं होता है और दूसरे वे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट होते हैं जिनका ट्रांसफर हो जाता है या रिफ्यूजीज होते हैं जिनके पास कोई मकान नहीं होता है। उनके पास इतना रुपया नहीं होता है और उनको एडवान्स पे भी नहीं मिलती कि जिससे वह ६ महीने का किराया अग्रिम दे सकें। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि आधे साल के किराये को जमा करने के बजाय २ महीने का किराया जमा करने के लिये उनको कहा जाय। फिर बाद में तो वह बराबर माहवार अदा करते रहते हैं। वह किस तरह से किराये को मारेंगे इसके लिये सवाल पैदा नहीं होता। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे। इसमें सिर्फ इतना है कि ६ महीने के किराये के बदले वह २ महीने का किराया अग्रिम लेना स्वीकार कर लें।

श्री बनारसी दास---यह जो धारा ४ की उपधारा बी है उसमें पहले कहा था कि यहां पर रेंट का बेसिस मासिक होता है या सालाना होता है। प्लेन में तो किराया मासिक के हिसाब से तय होता है और उसके लिये इसमें यह है कि एक मास का किराया दिया जायगा और इसमें यह है कि--

"One month's rent where accommodation is to be let on a monthly basis"

[श्री बनारसी दास]

और पहाड़ों के लिये यह है कि आधे साल का किराया वहां पर लिया जाय। अगर आपका संशोधन २ महीने का मान लिया जायगा तो इससे बहुत कठिनाई पैदा होगी। जहां पर हम एक तरह यह चाहते हैं कि टेनेन्ट को सुविधा पहुंचाई जाय वहां पर यह बात भी आवश्यक है कि 'जो मकानों के मालिक हैं उनको किराया समय पर मिलता रहे। इसलिये जहां तक प्लेन की मासिक किराये की बात है वह तो ठीक है लेकिन पहाड़ों पर सालाना किराया होता है और वहां पर सालाना के हिसाब से तय होता है। अगर वहां पर साल का आधा किराया ले लिया जाय तो इससे कोई कठिनाई पैदा नहीं होगी। इस कारण से मैं आपके संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री कमला सिंह---मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि वे लोग जो ट्रांसफर हो जाते हैं और दूसरे लोग जो साल भर के लिये जाते हैं उनको और भी सहूलियत हो जायगी और वह साल के हिसाब से तय कर लेते हैं लेकिन बहुत से रेफ्यूजी होते हैं वह भी साल भर के लिये मकान लेते हैं मकान उनको लेना होता ही है लेकिन उनसे अगर आधे साल का किराया एक दम जमा कराया जायगा तो इससे उनको कुछ कठिनाई बढ़ जाती है। उनकी कुछ सहूलियत का खयाल रखने के लिये मैंने यह संशोधन पेश किया था। अगर माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं वापस लेने के लिये तैयार नहीं हूं।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ५ के अन्तर्गत प्रस्तावित उपधारा ७ (४) (बी) में शब्द 'to' के बाद 'one half' के स्थान पर 'one sixth' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमला सिंह---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के अन्तर्गत प्रस्तावित धारा ७ (४) के एक्सप्लेनेशन में "for purpose of the Section the word 'let' shall include the word "sub-let" के स्थान पर "for purpose of the Sectior the word 'let' shall include the word "sub-let' and the allotment order shall contain the reasonable rent of accommodation" रख दिया जाय।

अकसर यह देखा गया है कि जब कोई मकान किसी के नाम से एलाट होता है तो उस में आर्डर हो जाता है कि फलां मकान फलां के नाम से एलाट हुआ और जैसा अमेंडमेंट है उससे यह अर्थ होगा कि एक महीने या ६ महीने का किराया पहले अदा करना होगा ऐसी हालत में जो किराया देना है वह भी अगर उसको आर्डर के साथ लिख कर नहीं दिया जायगा तो उससे बड़ी कठिनाई होगी और खासकर ऐसे लोगों को जो बाहर से आते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है उनको पता नहीं लगता कि पहले क्या किराया था और जो मकान १०) को उठता था वह १५ रुपये का बतलाया जा सकता है। इसी तरह की बहुत सी कठिनाइयां सामने आवेंगी और उन दिक्कतों को समझते हुये अगर किराये की भी एन्ट्री आर्डर में दर्ज कर दिया जाया करे तो बड़ी सुविधा होगी। आशा है कि इस रीजनेबिल संशोधन को माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री बनारसी दास---इसमें जो आप ने यह रखा है "allotment order shall contain the reasonable rent of accommodation" मैं समझता हूं कि अगर आप मूल अधिनियम को ध्यान से पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। मूल अधिनियम में जो व्याख्या दी गई है उसमें यह लिखा है कि किराये के मामले में टेनेन्ट को अधिकार होगा कि वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एप्रोच करे। और वहां से किराये को ठीक करा ले। टेनेंट और लैंडलार्ड दोनों को अधिकार

है कि यदि उनको किराये में आपत्ति हो तो वह कोर्ट में धारा ५ की उपधारा ४ के अनुसार सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए इस तरह की कोई कठिनाई नहीं है। और इस तरह से रीजनेबिल रेन्ट का उसमें लिखा जाना सुपरफ्लुअस होगा। जो श्री कमला सिंह जी की मंशा है वह तो इसमें पहले से ही मौजूद है। इसलिये इन शब्दों के बढ़ाने से मैं समझता हूं कि कोई लाभ नही होता क्योंकि वह तो पहले से ही मूल अधिनियम में है। इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री कमला सिंह——मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को कुछ गलतफहमी हो गई है जिसकी वजह से वह सिविल कोर्ट का नाम ले रहे हैं। मैं आप की आज्ञा से सेक्शन ३ अ(१) को पढ़ना चाहता हूं——

"The District Magistrate may, on application made to him by the landlord, or tenant determine the reasonable annual rent thereof.

5. If the landlord or tenant claims that the annual reasonable rent of any accommodation is excessive or inadequate he may institute a suit in civil court."

ऐसी हालत में फर्स्ट आर्डर जो जो टेनेन्ट को मिलेगा वह इसी क्लाज में रहेगा और अगर इसमें किराया दर्ज नहीं होगा तो उससे बड़ी दिक्कत होगी और यह भी नहीं सोचा जा सकता किराया रीजनेबुल क्या होगा और क्या अन-रीजनेबुल होगा और माननीय मंत्री जी ने जो सिविल कोर्ट जाने की बात कही है वह तो उस वक्त होगी जब कि जिलाधीश किराया मुकर्रर करेगा। तो उससे यदि टेनेन्ट या मकान मालिक संतुष्ट न हो तो उस हालत में सिविल कोर्ट जाने की जरूरत होगी लेकिन फर्स्ट आर्डर जो एलाटमेंट का मिलेगा उसमें अगर डी० एस० ओ० किराया भी लिख दे कि किस हिसाब से एडवान्स या किराया देना होगा। जब पब्लिक को हर हालत में सहूलियत देने का सवाल है तो अच्छा हो कि फर्स्ट आर्डर में एलाटमेंट के साथ किराया भी लिख दिया जाय।

श्री बनारसी दास——श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन किया कि इसमें जो उपधारा ४ है यदि वह उसको गौर से पढ़ें तो मालूम होगा कि जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आदेश देगा एक महीने या साल भर का तो वह मूल अधिनियम की धारा ४ के मतानुसार कार्यवाही होगी। तो इसलिये वह रेंट देने का आदेश देंगे। यदि वह रेंट रीजनेबिल है तब तो वह देगा लेकिन अगर वह रीजनेबिल नहीं है तो वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से प्रार्थना कर सकता है अगर वे रिफंड नहीं करते हैं तो वह सिविल कोर्ट में भी जा सकता है। अतः यह शब्द सुपरफ्लुअस होंगे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जब आदेश देंगे तो उसमें यह इंप्लाईड है कि रीजनेलवस रेंट हो और वे १ महीने या साल भर का देने का आदेश देंगे। इसलिये चूंकि यह सुपरफ्लुअस है मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

अधिष्ठाता——प्रश्न यह है कि खंड ५ के अन्तर्गत, प्रस्तावित उपधारा ७ (४) के एक्सप्लेनेशन में

"For purposes of the section the word 'let' shall include the word "sub-let" के स्थान पर "For purposes of the secton the word 'let' shall include the word 'sub-let' and the allotment order shall contain the reasonable rent of accommodation" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता——प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

ल अधि-
ायम की
ारा ७ के
थान पर
ग्री धारा
खना ।

खंड ६

६—मूल अधिनियम की धारा 7-A और 7-B में जहां जहां भी शब्द और अंक "sub-section (1) of section 7" आये हों उनके स्थान पर शब्द और अंक "sub-section (2) of section 7" रख दिये जायंगें ।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

ल अधि-
ायम की
ारा ७-बी
ा संशोधन ।

खंड ७

७—मूल अधिनियम की धारा 7-B की उपधारा (७) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अंत में निम्नलिखित बढ़ा दिया जायगा ।

"or furnishes security to the satisfaction of the Court."

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय चेयरमैन साहब, खंड ७ के अंतर्गत मूल अधिनियम में प्रस्तावित धारा ७ की उपधारा (२) के अंत में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ाये जायें ।

"Provided that if the tenant files an objection or objections according to sub-section (5) maintaining that the claims of the landlord are grossly in excess of the reasonable rent, the Munsif shall take suitable measures to determine such reasonable rent payable and after such determination order the necessary adjustment in the claims of the landlord regarding arrears and further order a fresh delivery of notice under sub-section (3) thereon."

माननीय चेयरमैन महोदय, मेरा यह जो संशोधन है वह कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी की स्पिरिट को बिलकुल टच करता है। सबसे ज्यादा जोर इंक्वायरी कमेटी ने अपने रिपोर्ट में इसी संशोधन को स्वीकार करने पर दिया है। जब कि हम पुराने अधिनियम के अनुसार यह देखते हैं कि स्वयं सरकार ने इस बात की गुंजाइश रखी है कि जब किसी किरायेदार को निकालने के लिये कोई शख्स दावा पेश करता है कि वह किराया नहीं देता तब उसके मातहत मुंसिफ किरायेदार को नोटिस देता है कि वह कारण बतलाये कि उसको क्यों न निकाल दिया जाय और तुमको इतना रुपया जमा करना होगा। आम तौर पर यह देखा गया है कि लैंड लार्ड्स बढ़ा चढ़ा कर किराये का दावा करते हैं। अगर ५० रुपया किराया है तो १५० या २०० रु० का दावा करते हैं और जितना रीजनेबिल रेंट होता है उससे ज्यादातर मामलों में ऐक्सेस देना पड़ जाता है। और इससे टेनेंटस को बड़ा परेशानी होती थी। सरकार ने एक सहूलियत उनको यह दी है कि वह जमानत दे सकेंगे, अगर पूरा रुपया नहीं जमा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाय कि दावा मंजूर हो गया तो बेचारा टिनेंट मरेगा चूंकि लैंडलार्ड ने पहले ही अपने दावा में रीजनेबिल रेंट से ज्यादा रुपया मांगा है। इसलिये जब तक रीजनेबिल रेंट को तय करने का मुंसिफ को अधिकार नहीं देंगे नोटिस जारी करने के पहले या बाद को, तब तक टिनेंट के साथ यह बहुत ज्यादती होगी। इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है जो कि इस विधेयक में नहीं है। इसमें साफ कहा गया है रिकवरी आफ रेंट में

"It is alleged that sometimes this device of filing suits of arrears of rent at excessive rates is used by unscrupulous house owners to evict their tenants. We recommend that the Civil Courts should be vested with powers to enter into the question of the fixation of rent before issuing notices under section 7-B of the Act."

[यह कहा जाता है कि अत्यन्त अधिक दर के किराये की बकाया के लिये दावा दायर करने के इस उपाय का प्रयोग निरंकुश मकान मालिक लोग अपने किरायेदारों को निकालने के लिये करते हैं। हम सिफारिश करते हैं कि दीवानी अदालत को यह शक्ति

प्रदान की जाय कि अधिनियम के सेक्शन ७—बी के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पूर्व वे किराये के निर्धारण के प्रश्न पर विचार कर सकें।]

तो ७ (बी) जो इसकी है वह यह धारा है। यही रेकोमेंडेशन इस संशोधन में लिखी गयी है जो कि इन्क्वायरी कमेटी ने की है। टिनेंट नाजायज रुपया न दे सके इसलिये मुंसिफ को इस बात का अधिकार दिया जाना चाहिये कि अगर लैंडलार्ड ने अपने दावे में जरूरत से ज्यादा किराया मांगा है तो वह किराया वास्तव में न होना चाहिये, इस चीज को तय करने के लिये मुंसिफ को जरुर अधिकार होना चाहिये मैं समझता हूं कि माननीय गुप्ता जी नाराज हो रहे होंगे कि खामखा समय बरबाद कर रहा है। लेकिन मेरी मजबूरी है। एक ओर हम दावा करते हैं कि इस सिफारिश को मंजूर कर रहे हैं दूसरी तरफ अत्यन्त महत्वपूर्ण सिफारिशों को नहीं मानते। इसलिये मजबूर होना पड़ता है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि अगर ये संशोधन मंजूर नहीं किये जायंगे तो मैं समझता हूं कि छः सात महीने के बाद कमेटी बनायेंगे, तो इतने समय में लोगों को परेशानी होगी। इसलिये मैं आवश्यक समझता हूं की रीजनेबिल रेंट की परिभाषा साफ करने के लिये और कितना देना चाहिये यह जरूरी है कि सिविल कोर्ट को इस बात का अधिकार दिया जाय।

वह निश्चय करले कि क्या रीजनेबिल रेंट रहे कि आया जो लैंडलार्ड ने क्लेम किया है वह ठीक है या टिनेंट ने जो जवाब दावा में लिखा है वह सही है। जब इसका निर्णय हो जायगा कि रीजनेबिल रेंट क्या है तब टिनेंट के साथ भी न्याय होगा कि जितना रेंट लैंडलार्ड को मिलना चाहिये उससे उसको ज्यादा नहीं मिलता है।

मुझे आशा है कि अब तो माननीय सभा सचिव इस महत्वपूर्ण संशोधन को मान लेंगे।

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, जो संशोधन श्री नारायण दत्त जी ने पेश किया है यदि वह मूल अधिनियम की धारा ५ (४) को पढ़ते तो जो कठिनाई उन्होंने बतलायी है वह न होती उसमें तो साफ लिखा है—

"If the landlord or the tenant, as the case may be, claims that the annual reasonable rent of any accommodation to which the Act applies is inadequate or excessive, or if the tenant claims that the agreed rent is higher than the annual reasonable rent, he may institute a suit for fixation of rent in the Court of the Munsif."

तो अगर आप मूल अधिनियम की धारा ७ (७) देखें तो मालूम होगा

"Provided that the tenant shall not be permitted to file any objections, unless he has deposited in Court the amount mentioned in the notice."

तो कंट्रोल इनक्वायरी कमेटी में इस कठिनाई को दूर करने के लिये सुझाव पेश किया था। उसी को दृष्टिकोण में रख कर इस संशोधन के द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि "or furnishes security to the satisfaction of the court."

एक तरफ तो हम चाहते हैं कि टिनेंट की रक्षा की जाय हम वहां यह भी चाहते हैं कि किराया न देने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न किया जाय। यदि आप की बात मान ली जाये तो मुंसिफ की कोर्ट में दो साल तक मुकदमा चले तो टिनेंट को छुट्टी हो गई किराया दो साल तक देने के वास्ते। इसलिये इसमें यह लफ्ज लिखा है कि 'टु दि सैटिस्फैक्शन आफ दि कोर्ट।' सिविल कोर्ट पर आप को आशा करनी चाहिये कि वह ऐसा नहीं करेगा कि सब एक ही साथ देने के लिये कह दे वह भी इस हार्डशिप को जानते हैं। तो हमने कन्ट्रोल इन्क्वायरी कमेटी की

[श्री बनारसी दास]

भावना को पूरा मान लिया है । इस ऐक्ट के अनुसार हमने टेनेन्ट के अधिकार का खयाल किया है । साथ ही साथ किरायेदारों की न देने की प्रवृत्ति को भी रोका है । इस लिये मैं आशा करूंगा कि श्री नारायण दत्त जी अपने इस संशोधन को वापस ले लें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय चेयरमैन महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सभा सचिव पढ़ तो जरूर देते हैं लेकिन वह गैर जरूरी को पढ़ते हैं । अगर ऐसा नहीं होता तो कन्ट्रोल इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिश क्यों होती । लेकिन माननीय सभा सचिव यह नहीं समझे कि यह धारा ५ (४) ऐसे मामलों के लिये हैं जिनमें शुरुआत की बात है । जब कोई रेंट आपस में तय न हो तो तब की बात है । यह अब जो मैं संशोधन रख रहा हूं वह कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशों पर ही है और जो बात आप कर रहे हैं वह आखिरी की बात है । जहां पर कोई रेंट शुरू में अग्री नहीं होता है तो वहां यह बात होती है । जहां पर तीन महीने का किराया नहीं दिया है और इव्किशन का दावा किया है और उस दावे में जितनी रक़म मांगी है तब जा कर यह लागू होता है । मैं कन्ट्रोल इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशों के पेज ९३ में से पढ़ देता हूं ।

"Civil courts should also be vested with powers to enter into the question of fixation of rents before issuing the ejection notice under section 7--B of the Act in order to deter landlords from filing excessive claims for harassing the tenants."

[दिवानी अदालतों को यह भी शक्ति दी जानी चाहिये कि अधिनियम के सेक्शन ७—बी के अन्तर्गत, मकान खाली करने की नोटिस जारी करने के पूर्व, किराये के निर्धारण के प्रश्न पर विचार करें ताकि मकान मालिक लोग किरायेदारों को तंग करने के लिये बड़ी बड़ी रक़मों के दावे दायर न कर सकें ।]

इतनी सिफारिश इन्क्वारी कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है । वहां ७ (बी) का सवाल है और आप ५ (४) को पढ़ रहे हैं । इस तरह का कहीं कन्टेक्स्ट नहीं और न कोई रिफ़ेन्स ही है । मुझे तो यह आशा थी और पक्का भरोसा था कि जो मेरे संशोधन हैं और जो कि कंट्रोल इन्क्वारी की सिफारिशों में हैं उनमें से कोई न कोई जरूर मंजूर किया जायगा । लेकिन सभा सचिव मालूम पड़ता है इस बात पर तुले हुये हैं कि किसी को भी स्वीकार नहीं करेंगे ।

अधिष्ठाता--क्या आप और अधिक समय लेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी हां ।

अधिष्ठाता--तो आप अपना भाषण कल जारी रखें ।

उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (संशोधन) विधेयक, १९५२

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--मैं उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (संशोधन) विधेयक, १९५२, को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९३ पर)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३८ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ,
८ सितम्बर, १९५२ ।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९–३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १२–१३ पर)

क्रम संख्या	बगीचे का नाम	बगीचे के काटे जाने से सरकार को लाभ			खाम बगीचों के काटे जाने की स्वीकृति देने से पूर्व के दो वर्षों में आय			अन्य विवरण
		रु०	आ.	पा	रु०	आ.	पा०	
१	जटपुरा, त० रामपुर	माफी			कुछ नहीं			
२	खोड ,, ,,	,,			,,	,,		
३	लखीमपुर ,, विलासपुर	१०४६	१०	०	५०	०	०	
४	खोन्दलपुर ,, ,,	१००	०	०	५	०	०	
५	हजरतपुर ,, ,, (दो बाग़)	४०७४	८	०	कुछ नहीं			इस गांव की जमीन पट्टे पर दी गई थी।
६	फूलपुर और ,, ,, बीहट (दो बाग़)	१३०९	०	०	,,	,,		
७	बुधवानगला ,, ,,	७८४	०	०	,,	,,		
८	बशारतनगर ,, ,, (दो बाग़)	१६९१	०	०	,,	,,		गांव पट्टे पर दिया गया था।
९	धनौरा ,, ,,	८५८	१४	०	,,	,,		
१०	सराय ,, ,,	७४२	०	०	,,	,,		,, ,, ,,
११	मनेनगर और ,, ,, चन्दला				,,	,,		उपनिवेश विभाग को हस्तांतरित कर दी थी।
१२	बोसैना ,, ,,	१००	०	०	,,	,,		
१३	हसनपुर ,,स्वार				,,	,,		अभी नीलाम नहीं हुआ है।
१४	चौपुरा ,, ,,	२३८	०	०	,,	,,		
१५	समौधिया ,, ,,	माफी			,,	,,		
१६	कैथोला ,, ,,	४२३	०	०	२	०	०	
१७	हरनगला ,, ,,	१६४७	०	०	५०	०	०	
१८	लरपुर ,, ,, बथवाखेडा	५४५	०	०	१००	०	०	
१९	अलीनगर (उत्तर)	१४०५	०	०	१००	०	०	
२०	लरपुर सैंभरा ,, ,,	१५३३	०	०	१२२	८	०	
२१	महाराजपुर ,, ,,	माफी			कुछ नहीं			
२२	नान करनी ,, ,,	,,			,,	,,		
		१६४९७	०	०	४२९	८	०	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

प्रश्न ४८ के उत्तर में उल्लिखित सूची:

जिन कामों के लिये तकावी दी जाती है उसका विवरण।

१—माल विभाग द्वारा	(क) बांध बांधने, पक्के कुयें, ट्यूब वेल और सिंचाई के लिये बिजली से चलने वाली मशीनों के लिये।
	(ख) कच्चे कुयें, खाद, उत्तम बीज, बैल गाय और खेती के सामान के लिये।
	(ग) दैवी तथा प्राकृतिक आपदाओं, जैसे अकाल, सूखा बाढ़ पाला या ओला, आग या रोग से पीड़ित हो जाने के कारण पशु या फसलों को हानि पहुंचाने पर सहायतार्थ तकावी दी जाती है।
२—अन्नोत्पादन विभाग द्वारा कृषि विकास योजना के अन्तर्गत।	(क) किराये पर लिये गये ट्रैक्टरों का किराया देने के लिये।
	(ख) ट्रैक्टरों के खरीदने के लिये।
	(ग) बैलों तथा कृषि के अन्य सामान के लिये।
	(घ) ऊसर के सुधार तथा जंगलों की सफाई के लिये।
	(ङ) पक्के कुएं बनवाने के लिये लोहा, सीमेंट तथा कोयला आदि सामान बिना सूद की तकावी के रूप में दिया जाता है।
	(च) कुएं की खुदाई तथा रहट लगाने के लिये यह काम सरकारी विभाग द्वारा कराने पर पूरे खर्च का आधा खर्च बिना सूद की तकावी के रूप में दिया जाता है।
	(छ) सरकारी विभाग द्वारा ट्यूब वेल तथा पम्पिंग प्लांट लगाने के लिये पूरे खर्च का तिहाई खर्च बिना सूद की तकावी के रूप में दिया जाता है।
३—पशुपालन विभाग द्वारा	दूधशाला के लिये आवश्यक मशीनों तथा अन्य सामग्री के लिये।
४—कृषि विभाग तथा ग्राम विकास विभाग द्वारा	गन्ने तथा अन्न के अच्छे किस्म के बीज, कृषि के समान, खाद, खली गाय तथा बैल के लिये यह तकावी सामान के रूप में दी जाती है।
५—उद्योग विभाग द्वारा	कोल्हू, गन्ने का रस उबालने के लिये बड़े कढ़ाव, तथा बर्धा धानी।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

रामपुर जिले की राजस्व की वार्षिक (१३५९ फसली) आय का लेखा :

तहसील का नाम	आय (१३५९ फ)
	रु०
१—रामपुर	२०,१५१
२—शाहाबाद	१,८१,२०३
३—मिलक	१,६२,३५२
४—बिलासपुर	१,९६,७२९
५—सुआर	४,१२,८११
समस्त जिलों का कुल योग	९,७३,२४६

संसद सदस्य सूचना

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

List of Schemes in Azamgarh District

(*A*) *Schemes under Construction*

1. Surha Tal Drain.
2. Nurwey Tal Drain.
3. Pasika Drain.
4. Jagishpur bund.
5. Bhainsala Tal drain.
6. Gokulpura drain.
7. Gansoor bund.
8. Rasulpur bund.
9. Malo bund.
10. Bindwal bund.
11. Kasara Drain.
12. Kopaganj drain.
13. Hasnadih drain.
14. Kasmaulia drain.
15. Bhulandish bund.
16. Cheonti Dand bund.

(*B*) *Other Schemes under investigation*

Investigation Complete — 1. Mangai nadi.
Investigation Complete — 2. Besu nadi.
Investigation Complete — 3. Bhainsahi nadi.
Investigation Complete — 4. Chhoti Sarju nadi.
Investigation Complete — 5. Silri nadi.
Investigation Complete — 6. Kayer nadi.
Investigation Complete — 7. Haha nala.

Investigation complete. Action has been taken to improve them. I have inspected two schemes.

Drains bunds and regulators

1. Phules Tal and Sarda Tal drain with a bund and regulator.
2. Khasdih Tal drain.
3. Arrarah Tal drain.
4. Belaun Tal drain.
5. Zahiruddin Pur Tal drain with a bund and regulator.
6. Dubanwan Bund with regulator.
7. Nonarai Bund.
8. Narai Bund.
9. Narda Chak Bund.
10. Chak Khurram Bund.
11. Dayal pur Bund.
12. Pauni Khurd Bund.
13. Hathnawar Bund.
14. Paras Ram pur Bund.
15. Gokulpura Bund.
16. Challha bund.
17. Datauli Bund.
18. Banti Kalan Bund.
19. Tilsra Bund.
20. Anwaon Bund.

Investigation Complete — 1–4

I have inspected these Schemes. — 5–8

Investigation Complete — 9–20

अविशुद्ध सभा

21. Pewa Pakri.
22. Bajha Band.
23. Naraja Tal Cut.
24. Gaunra Band.
25. Saura Santi Band.
26. Amlahwa Band.
27. Dhausand Bund.
28. Jairamgarh two bund.
29. Laranpur bund.
30. Village Mahawar Bund.
31. Harish Chandra Band in village Indara.
32. Sahpur bund.
33. Repairs to Modapur tank and bund.
34. Ahrupur bund a new bund.
35. Khataraon Bund a new bund.
36. Kaithari Bund a new bund.
37. Koltia tal drain.
38. Lal Ghat old bund.
39. Puck Tal Drain.
40. Ishak pur out falling into Hasnadih drain.
41. Dobia tal drain.
42. Rampur khas bund on Pikia nadi.
43. Kotyal tal.
44. Bhawanpur bund.
45. Captainganj bund.

(C) *List remaining to be investigated*

1. Gambhajar pur.
2. Pakri Buzurga.
3. Nevajwela Bund at Tal Bhaisah.
4. Barakdih Tal.
5. Khnewa Rampur.
6. Gopalpur bund.
7. Khaniana.
8. Ratwa chanpur, Bharpur Tal.
9. Singhani Bund at Tal Singhani.
10. Khurkhai Bund Ieharkhai.
11. Nanseypur.
12. Sarvan.
13. Newacla.
14. Kauji.
15. Thekmem Tal.
16. Bhadaura.
17. Deosipur.
18. Khurhat.
19. Kopna.
20. Badra.
21. Padri Dand.
22. Hardaspur.
23. Bariapur.
24. Musapur Tal.
25. Toganpur.
26. Gigan Sanchi.

सत्यमेव जयते विधान सभा

27. Manuane Buzurg.
28. Dutna Tal.
29. Chistipur Tal.
30. Khantia.
31. Khorcha.
32. Bohra.
33. Khanaun.
34. Sanwan.
35. Chawrala Tal.
36. Yakoobpur.
37. Saraunela.
38. Tal Patachha.
39. Hanaiya Tal.
40. Nathurpur Tal.
41. Chanita Tal.
42. Kunaiyawan Tal.
43. Angupur Tal.
44. Kathanli Tal.
45. Ahinanli.
46. Sipoh Tal.
47. Raghunathpur Tal.
48. Gayaspur Tal.
49. Nadwal.
50. Sughanpur.
51. Poole.
52. Prandarpur.
53. Piranwan.
54. Pakauli.
55. Gauna.
56. Jarekpur.
57. Dharwara.
58. Kurwara.
59. Surhan Tal.
60. Sikhaur Sabbari.
61. Patti Tal.
62. Sewara Kind.
63. Kaknagon.
64. Deogaon.
65. Male.
66. Nakti Tal.
67. Lasah Tal.
68. Bagata Tal.
69. Bhaidel Tal.
70. Anga Masupatti.
71. Askar Tal.
72. Hasullapur.
73. Halaspur (Fauladpur).
74. Laran.
75. Chak Habibulla.

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८६ पर)

उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (संशोधन) विधेयक, १९५२

ऐक्ट ३, १८६७ ।

उत्तर प्रदेश में पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७ की प्रवृत्ति के संबंध में कुछ प्रयोजनों के निमित्त उक्त अधिनियम में और अधिक संशोधन के लिये

विधेयक

ऐक्ट ३, १८६७ ।

उत्तर प्रदेश में पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७ की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में ऐसे प्रयोजनों के निमित्त जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे उक्त अधिनियम में और अधिक संशोधन करना आवश्यक है ;

इस लिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (संशोधन) अधिनियम, १९५२" होगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

ऐक्ट ३, १८६७ की धारा ३ में संशोधन ।

२—पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७ (जो यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ में शब्द "two hundred rupees" के स्थान पर शब्द "five hundred rupees" रख दिये जायंगे ।

ऐक्ट ३, १८६७ की धारा ४ में संशोधन ।

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में शब्द "one hundred rupees" के स्थान पर शब्द "three hundred rupees" रख दिये जायंगे ।

ऐक्ट ३, १८६७ की धारा १३ में संशोधन ।

४—मूल अधिनियम की धारा १३ में शब्द "to a fine not exceeding fifty rupees, or to imprisonment, either simple or rigorous, for any term not exceeding one calendar month" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा—

"(*a*) For the first offence to a fine not exceeding two hundred and fifty rupees or to imprisonment of either description for a term not exceeding one month; and

(*b*) For the second and every subsequent offence to a fine not exceeding five hundred rupees or to imprisonment of either description for a term not exceeding six months.

Explanation.—For the purpose of this section "public place" includes any open space situated adjacent to and abutting a public street and not separated therefrom by a boundary wall."

ऐक्ट ३, १८६७ की धारा १५ का संशोधन ।

५—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"15. Whoever, having been convicted of an offence punishable under section 3 or 4 of this Act, shall again be guilty of any offence punishable under either of the said sections, shall for every such subsequent offence be liable—

(*a*) if it is an offence under section 3, to a fine not exceeding one thousand rupees and to imprisonment of either description for a term not exceeding twelve months; and

(*b*) if it is an offence under section 4, to a fine not exceeding five hundred rupees and to imprisonment of either description for a term not exceeding six months."

उद्देश्य और कारण

यह अनुभव किया गया है कि पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७ के अधीन नियत दण्ड पर्याप्त नहीं है। तदनुसार यह विचार किया गया है कि ऐसे दण्ड देने की व्यवस्था की जाय जो अधिक कड़े हों और जो अपराधों के रोकने में समर्थ हों। उक्त अधिनियम की धारा ३, ४, १३ तथा १५ के अधीन दिये जाने वाले अर्थ दंड की मात्रा बढ़ा दी गयी है। उसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि प्रथम अपराध के बाद किये गये अपराधों की दशा में अर्थ दण्ड के अतिरिक्त कारावास का भी दण्ड दिया जाय।

उक्त ऐक्ट की धारा १३ के साथ एक स्पष्टीकरण (एक्स्प्लेनेशन) भी जोड़ दिया गया है जिससे शब्द "पब्लिक प्लेस" का क्षेत्र अधिक विस्तृत कर दिया गया है।

सैयद अली जहीर,
न्याय मन्त्री।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—८४ एल ए—१९५२—८५०